[2019] 3 एस. सी. आर. *535*

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। *&* एएनआर।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2018 की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *99)*

25 जनवरी, *2019*

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.*]*

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016:*

की संवैधानिक वैधता-आयोजितः संहिता पारित के प्रावधान

संवैधानिक मस्टर।

एसएस। *5 (7) , 5 (8) , 5 (20) , 7 (1) , 7 (4) , 7 (5) , 8* और *9*-वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के बीच वर्गीकरण चाहे भेदभावपूर्ण, मनमाना और कला का उल्लंघन करने वाला। *14* – आयोजित किया गयाः निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है, वित्तीय लेनदार परिचालन लेनदारों से स्पष्ट रूप से अलग हैं-इस प्रकार, दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जिसका संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से सीधा संबंध है-इस प्रकार, कोई भेदभाव नहीं है-भारत का संविधान-कला। *14 .*

एसएस। *3 , 3 (9) (* ग*), 214 (*ङ*), 60,65,75,7,8* और *9*-वित्तीय ऋणों के बारे में सूचना देना, सुनवाई करना और उन्हें बंद करना या उनका प्रतिवाद करना।

वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया-प्रस्तुत करना कि प्रेरक प्रक्रिया में अंतर

वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के कहने पर है

भेदभावपूर्ण और मनमाना-आयोजितः एक वित्तीय लेनदार को एक परिचालन लेनदार के विपरीत "चूक" साबित करना पड़ता है जो केवल

"के संबंध में दायित्व या दायित्व के भुगतान का अधिकार का दावा करता है

एक ऐसा ऋण जो देय हो सकता है-इसे देखते हुए, वित्तीय लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया को शुरू करने में अंतर

यू/एस। *7* और परिचालन लेनदारों द्वारा यू/एस. एस. *8* और *9* स्पष्ट भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड *(*सूचना उपयोगिता*)* विनियम, *2017*-दिवाला और दिवालियापन *(*न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन*)* नियम, *2016*-फॉर्म *I* बन जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएस। *21 , 24 , 28* और *30 (2) (*बी*)* आर/डब्ल्यू एस। *31* - परिचालन लेनदार

- लेनदारों की समिति में मतदान का अधिकार-कार्यात्मक याचिका

लेनदारों की समिति में लेनदार का एक भी वोट नहीं होता है - आयोजित किया गयाः वित्तीय लेनदार व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और

निगमित देनदार के व्यवसाय की व्यवहार्यता और समाधान योजना की सामग्री का मूल्यांकन दूसरी ओर, परिचालन

ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशियों की वसूली, और आम तौर पर व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थ होते हैं -

समाधान योजना मस्टर यू/एस को पारित नहीं कर सकती है। *30 (2) (* ख*)* आर. डब्ल्यू. एस. *31* जब तक कि परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान नहीं किया जाता है, कम नहीं है

परिसमापन मूल्य की तुलना में-विनियमन *38* के अधिकारों को मजबूत करता है

के सिद्धांत को सांविधिक रूप से शामिल करके परिचालन लेनदार

वित्तीय लेनदारों पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ परिचालन लेनदारों के अधिकारों का निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार

परिचालन लेनदारों के साथ न तो भेदभाव किया जाता है और न ही कला। *14* है।

समानों के साथ असमान व्यवहार किए जाने के आधार पर या स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर दिवालिया घोषित किया गया और भारतीय दिवालियापन बोर्ड *(*कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया*)* विनियम, *2016*-विनियम *38* -

भारत का संविधान-कला। *14* .

एसएस। *12* ए *(*संशोधित*)* और *60*-एस। *12* ए जिसमें की वापसी

समझाया कि सभी वित्तीय लेनदारों को अपना सिर रखना पड़ता है एक साथ इस तरह की निकासी की अनुमति देने के लिए, आम तौर पर, एक सर्वव्यापी

आदर्श रूप से, सभी लेनदारों को शामिल करते हुए समझौता किया जाना चाहिए-किसी भी मामले में, कुछ भी नहीं होने पर नब्बे प्रतिशत का आंकड़ा।

यह दिखाने के लिए कि यह मनमाना है, विधायी नीति के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए-इसके अलावा, यदि लेनदारों की समिति मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत निपटान और/या निकासी दावे को अस्वीकार करती है, तो *NCLT,* और

इसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. हमेशा इस तरह के निर्णय को रद्द कर सकता है। *60*

-

दिवाला और दिवालियापन *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड *(*दिवाला संकल्प*)*

निगमित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया*)* विनियम, *2016*-विनियम *30* ए।

एस. *210* – निजी सूचना उपयोगिताएँ-साक्ष्य प्रदान किए गए

निजी सूचना उपयोगिताओं द्वारा-याचिका है कि निजी सूचना स्विस रिबन पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

उपयुक्त मानदंडों और ऋण चूक के साक्ष्य द्वारा नियंत्रित नहीं उपयोगिताएँ

ऐसी उपयोगिता के अभिलेखों में जो निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं-आयोजितः नियम-कानून

20 और *21* यह स्पष्ट करता है कि कठोर आवश्यकताओं के अलावा

इस तरह की जानकारी सभी पक्षों को दी जानी चाहिए और ऋण की प्रतिभूति और एक सूचना उपयोगिता शीघ्रता से

प्रमाणीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करना निजी सूचना उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना साक्ष्य है

केवल डिफ़ॉल्ट का प्रथम दृष्टया साक्ष्य जिसका खंडन किया जा सकता है

(निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया*)* विनियम, *2016* – विनियम *20* और *21*

एसएस। *18* , *41* , *42* और *28*-समाधान पेशेवर-न्यायनिर्णायक

संहिता और विनियमों के तहत शक्ति-आयोजितः संहिता के साथ-साथ विनियमों से यह स्पष्ट है कि समाधान पेशेवर

कोई न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं

समाधान पेशेवर दिया जाता है

अर्ध-न्यायिक शक्तियों के विपरीत प्रशासनिक-तब भी जब

समाधान पेशेवर को इसके तहत एक "निर्धारण" करना है

विनियमन *35* ए, वह केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को लागू करने के लिए है

किए गए निर्धारण के आधार पर उचित राहत के लिए इस प्रकार,

समाधान पेशेवर वास्तव में समाधान प्रक्रिया का एक सहायक है,

जिनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख समिति द्वारा की जाती है

लेनदारों और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा-दिवाला और

भारतीय दिवालियापन बोर्ड *(*कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया*)* विनियम, *2016*-विनियम *10,12,13,*

14 , और *35* ए।

एस. *29* ए *(*संशोधित के रूप में*)*-पूर्वव्यापी आवेदन-प्रस्तुति

कि वसूली में भाग लेने के लिए पूर्व प्रवर्तकों के निहित अधिकार

एक निगमित देनदार की प्रक्रिया एस के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से बाधित हुई है। *29* ए-आयोजितः एक क़ानून केवल पूर्वव्यापी नहीं है

क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है या केवल इसलिए कि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताएं एक समय पूर्व से लेकर इसके पारित होने तक खींची जाती हैं।

- समाधान आवेदक के पास विचार के लिए कोई निहित अधिकार नहीं है या

इसकी समाधान योजना का अनुमोदन-एस के अनुप्रयोग द्वारा। *29* ए, कोई निहित नहीं अधिकार छीन लिया जाता है-क्योंकि एक संकल्प आवेदक जो यू/एस लागू करता है।

29 ए *(*सी*)* के पास एक के रूप में माने जाने के लिए आवेदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है समाधान आवेदक, प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है।

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. *29* ए और एस। *35 (1) (* च*)* परंतुक। *29* ए यदि कदाचार तक सीमित है-समर्पण वह एस। *29* ए एक कंबल प्रतिबंध लगाता है

निगमित देनदारियों के सभी प्रवर्तकों की भागीदारी, बिना किसी तंत्र के बेईमानों को बाहर निकालने के लिए

प्रबंधक लेकिन जो अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं

आयोजित किया गयाः एस. *29* दुर्भावना तक सीमित नहीं

अन्य कारण

विधायी उद्देश्य जो एस में व्याप्त है। *29* ए धारा में तब भी व्याप्त रहता है जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होता है, बल्कि परिसमापन के लिए भी।

एस. *29 (ए) (सी)*-एस में एक वर्ष की अवधि। *29* ए-गैर-निष्पादित परिसंपत्ति-उस यू/एस का अनुरोध करें। *29* ए *(सी),* किसी व्यक्ति के खाते को वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में, भले ही वह जानबूझकर चूक करने वाला न हो और खंड *(ग)* में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि पूरी तरह से

मनमाना और तर्कसंगतता या कानून में किसी भी आधार के बिना

आयोजित किया गयाः एक व्यक्ति एक चूककर्ता है जब एक किस्त और/या ब्याज

मूलधन तीन महीने से अधिक समय तक बकाया रहता है। जिसके खाते को एन. पी. ए. घोषित किया जाता है-एक वर्ष की अवधि के दौरान

इसके बाद, यह अनुग्रह अवधि ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए दी जाती है ऋण-यदि कोई व्यक्ति पूरे या पूर्ण रूप से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ है।

आंशिक रूप से, एक वर्ष और तीन महीने की इस अवधि के भीतर, वह एक संकल्प आवेदक बनने के लिए अयोग्य होगा-इस विधायी नीति में दोष नहीं पाया जा सकता है-न ही एक वर्ष की अवधि हो सकती है

गलती पाई।

दूसरों के साथ मिलकर व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं संकल्प आवेदक-इसी तरह, व्यक्तियों की सभी श्रेणियां

यह दर्शाते हुए कि ऐसा व्यक्ति समाधान आवेदक की गतिविधि के व्यवसाय से "जुड़ा हुआ" है, ऐसा व्यक्ति संभवतः नहीं हो सकता है अयोग्य घोषित यू/एस। *29* ए *(जे)*-स्पष्टीकरण *I* खंड *(ii)* से एस। *29* ए *(जे)* यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्यथा "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में कवर किया गया है, तो यह प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को भी कवर करेगा जो स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में है।

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

समाधान योजना का कार्यान्वयन-इस प्रकार, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो पूर्ववर्ती समय पर या समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान भी निगमित ऋणी के व्यवसाय के भार में है।

एस। *29* ए-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एस से छूट। *29* ए-का औचित्य-आयोजितः न्यायसंगत-इसके लिए तर्क

अन्य असुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी लेनदारों से नीचे का स्थान जो वित्तीय लेनदार होते हैं, इस प्रकार एस। *53 (1) (* च*)* इस प्रकार भेदभावपूर्ण और मनमाना, कला का उल्लंघन है। *14* - आयोजित किया गयाः एस। *53* कला का उल्लंघन नहीं करता है। *14* - वित्तीय ऋणों का पुनर्भुगतान पूंजी का निवेश करता है

अर्थव्यवस्था जैसे कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने व्यवसायों के लिए अन्य उद्यमियों को इस तरह के धन को आगे उधार देने में सक्षम हैं-यह तर्क वित्तीय ऋणों और परिचालन ऋणों के बीच एक समझदारी भरा अंतर पैदा करता है, जो असुरक्षित हैं, जो सीधे संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित हैं-जब तक कि

कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में कुछ वैध ब्याज की रक्षा करने की मांग की जाती है, कला। *14* इसका उल्लंघन नहीं होता है-भारत का संविधान-कला। *14* .

संहिता का उद्देश्य और कारण-समझाया गया।

संहिता का अधिनियमन और कार्यकरण-समझाया गया।

कंपनी अधिनियम, *2013:* एस। *412* - न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन-मद्रास बार एसोसिएशन के विपरीत एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्यों की नियुक्ति की याचिका *(III)* का मामला-*s*। *412* जिसके द्वारा न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन किया जाएगा, चयन के दो न्यायिक सदस्य

समिति तीन नौकरशाहों से आगे निकल जाती है-आयोजितः एस। *412* कंपनी संशोधन अधिनियम, *2017* द्वारा संशोधित किया गया है-एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के वर्तमान सदस्यों को चयन समिति द्वारा नियुक्त किया गया है, इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उनका पुनर्गठन किया गया है।

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिकाः एन. सी. एल. ए. टी. पीठ-सर्किट पीठों का निर्माण

प्रस्तुत करना कि एन. सी. एल. ए. टी. पीठ की एक सीट केवल नई दिल्ली में है और मद्रास बार एसोसिएशन *(II)* मामले में फैसले के विपरीत है -

आयोजित किया गयाः महान्यायवादी द्वारा दिए गए इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि जल्द ही सर्किट पीठों की स्थापना की जाएगी, भारत संघ को निर्धारित अवधि के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. की सर्किट पीठों की स्थापना करने का निर्देश जारी किया गया।

भारत का संविधानः कला. *77* - प्रस्तुत करें कि न्यायाधिकरण

NCLT और *NCLAT* गलत मंत्रालय के तहत काम कर रहे हैं-मंत्रालय

तथापि, मद्रास बार एसोसिएशन *(1)* मामले के अनुसार सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक समर्थन विधि और न्याय मंत्रालय से होना चाहिए-आयोजितः व्यवसाय के नियम प्रकृति में अनिवार्य होने और उनका पालन करने के कारण, सरकार की कार्यकारी शाखा द्वारा उनका पालन किया जाना है-हालाँकि, यह न्यायालय मद्रास बार एसोसिएशन *(आई)*, भारत संघ द्वारा निर्णय का अक्षर और भाव दोनों में पालन करने के लिए बाध्य है।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

वित्तीय ऋणदाता के बीच वर्गीकरण

क्रेडिटर

ऑपरेशनल

नीथर

और विवेचनात्मकता, गैर-आर्बिटरी, अनुच्छेद *14* का विषाक्ततापूर्ण नहीं

1.1 चूँकि समानता केवल बराबर लोगों के बीच है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है।

परिणाम यदि न्यायालय को यह दिखाया जा सकता है कि एक बोधगम्य अंतर है जो दो प्रकार के लेनदारों को अलग करता है, जब तक कि लेनदारों के बीच कुछ तर्कसंगत संबंध है, जो कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इतना अलग है। एक कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। *[* पैरा *20,21] [586-*ए-सी*]*

1.2 "वित्तीय लेनदार" की परिभाषा का अवलोकन और

या दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016* की धारा *5 (8)* में निर्धारित किसी भी तरीके से या अन्यथा धारा के रूप में उठाया गया है। *5 (8)* एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक "परिचालन स्विस रिबन्स पी. वी. टी".।

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

ऋण में रोजगार सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा या किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण शामिल होगा। *[* पैरा *23] [594-*बी-सी*]*

1.3 एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संहिता लागू कर सकता है जो ऐसा कर सकते हैं। "चूक" होने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। धारा *7 (1)* के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता ऐसे व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को किए गए चूक के संबंध में लागू की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है

स्पष्ट करें कि एक बार शुरू होने के बाद, संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया आरईएम में एक सामूहिक कार्यवाही है जो पहली बार में, कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्वास का प्रयास करती है। धारा *7 (4)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर, वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाना; और धारा *7 (5)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि चूक

ऐसा तब हुआ जब वह आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार कर सकता है, या आवेदन को खारिज कर सकता है यदि ऐसा चूक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ

साथ ही, धारा *8* और *9* के तहत, एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, एक मांग सूचना दे सकता है जिसका जवाब निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर, यदि निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है

1.4 यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान जो गिरवी रखे गए दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। ऋण की प्रकृति

वित्तीय लेनदारों के साथ समझौते अनुबंधों से अलग होते हैं।

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए परिचालन लेनदारों के साथ। वित्तीय लेनदार आम तौर पर एक सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त उधार देते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार को या तो निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। अपना व्यवसाय शुरू करें और/या संचालित करें। दूसरी ओर, परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति *[2019] 3* एस. सी. आर. से संबंधित हैं।

व्यवसाय के संचालन में। वित्तीय अनुबंधों में आम तौर पर बड़ी राशि शामिल होती है। इसके विपरीत, परिचालन अनुबंधों पर देय राशि होती है जिसकी मात्रा आम तौर पर कम होती है। व्यवसाय के संचालन में, वित्तीय लेनदारों के विपरीत परिचालन लेनदार कई हो सकते हैं, जो व्यवसाय की स्थापना या कामकाज के लिए वित्त उधार देते हैं। इसके अलावा, वित्तीय लेनदारों ने पुनर्भुगतान को निर्दिष्ट किया है।

1.5 वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल होते हैं। वे कर सकते हैं, और इसलिए, ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में संलग्न हों जब

वित्तीय तनाव, जो ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार, निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है, वित्तीय लेनदार स्पष्ट रूप से परिचालन लेनदारों से अलग हैं और इसलिए, दोनों के बीच स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट अंतर है जिसका संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ सीधा संबंध है। *[* पैरा *28] [600* एफ-जी*]*

शायरा बानो बनाम। भारत संघ *(2017) 9* एससीसी *1: [2017] 7* एससीआर *797;* गोपाल झा बनाम। भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय *[2018] 14* स्केल *286;* भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। *2018 (13)* स्केल *75;* जोसेफ शाइन बनाम। भारत संघ *2018 (11)* स्केल *556;* के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ *(2019) 1* एस. सी. सी. *1;* नवतेज सिंह जौहर और अन्य। वी. भारत संघ *(2018) 10* एस. सी. सी. *1;* लोक प्रहरी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *(2018) 6* एससीसी *1: [2018] 6* एस. सी. आर. *1076;* निकेश ताराचंद शाह बनाम। भारत संघ
और ओआरएस। *(2018) 11* एससीसी *1: [2017] 12* एससीआर *358 -*

संदर्भित किया गया।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत का संघ

सूचना देना, सुनना और अलग करना या

दावा करने वाले देश के वित्तीय ऋण।

2.1 संहिता की धारा *214 (ई)* के साथ पठित धारा *3 (ए) (सी)* से यह स्पष्ट है कि द्वारा किए गए ऋणों के संबंध में जानकारी

(सूचना उपयोगिताएँ*)* विनियम, *2017* स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हैं कि ऋण के बारे में प्रदान की गई जानकारी सटीक है। यह कॉर्पोरेट देनदार को नोटिस देकर किया जाता है जिसके पास तब एक ऐसी जानकारी को सही करने का अवसर। इस तरह की उपयोगिता द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अलावा, दिवाला और दिवालियापन *(*न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन*)* नियम, *2016* में संलग्न प्रपत्र *I* अन्य स्रोतों को स्पष्ट करता है जो वित्तीय ऋण का प्रमाण देते हैं। *[* पैरा *31,32] [603-*एफ-एच*]*

2.2 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, *2016* के नियम *4 (3), 11,34* और *37* के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर पर

संहिता की धारा *7 (5)* के अनुसार निगमित ऋणी को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ दायर आवेदन की एक प्रति प्रदान की जाती है और उसे उक्त प्राधिकरण के समक्ष जवाब दाखिल करने और उक्त आवेदन को स्वीकार करने का आदेश देने से पहले उक्त प्राधिकरण द्वारा सुने जाने का अवसर मिलता है। निगमित देनदार को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण तरीके से घसीटे जाने से बचाने के लिए, संहिता दंड निर्धारित करती है। इसके अलावा, धारा *75* के तहत गलत जानकारी देने के लिए सजा निर्धारित की गई है। एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया गया एक आवेदन जो एक वित्तीय लेनदार को धारा *7* के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने से रोकता है। *[* पारस *33,34] [606-*सी, डी, जी*]*

2.3 जहाँ तक ऋण चुकाने और प्रतिदावे का संबंध है, वित्तीय लेनदारों से देय राशियों का ऋण चुकाना दुर्लभ है। आमतौर पर,

वित्तीय ऋण केवल एक तरह से इंगित करते हैं-उधार दी गई राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि एक वैध सेट-ऑफ पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। समाधान प्रक्रिया के दौरान दावों के प्रमाण दाखिल करने के चरण में इस तरह के सेट-ऑफ पर विचार किया जा सकता है

समाधान पेशेवर, उनका निर्णय चुनौती के अधीन है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष यू */* एस. *60.* समान रूप से, प्रतिदावे, उनकी परिभाषा के अनुसार, स्वतंत्र अधिकार हैं जो संहिता द्वारा नहीं लिए गए हैं, लेकिन *[2019] 3* एस. सी. आर. के चरण के लिए संरक्षित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" से "चूक का निर्धारण" की अवधारणा। उक्त बदलाव वित्तीय लेनदार को साबित करने में सक्षम बनाता है, जिसके आधार पर ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, कि ऋण का भुगतान

करने का दायित्व था और ऋणी इस तरह के दायित्व में विफल रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने इसके लिए चार नीतिगत कारण बताए हैं।

विधायी नीति में बदलाव। सबसे पहले पूर्वानुमान और निश्चितता है। दूसरा, निगमित देनदार के ब्याज की रक्षा करना सर्वोपरि है और दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश इस तरह के ब्याज को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वास्तव में इसकी रक्षा करता है। तीसरा, वित्तीय तनाव की स्थिति में, चूक का कारण प्रासंगिक नहीं है; कॉर्पोरेट देनदार के आर्थिक हित की रक्षा करना अधिक प्रासंगिक है। चौथा, परिसमापन की ओर ले जाने वाला ट्रिगर केवल समाधान प्रक्रिया की विफलता पर हो सकता है। *[* पैरा *37] [610-*एफ-एच*; 611-*ए-बी*]* *2.5* जबकि एक "दावा" केवल "देय" होने पर "ऋण" को जन्म देता है, एक "चूक" केवल तभी होती है जब एक "ऋण" "देय और देय" हो जाता है और ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। यही कारण है कि एक वित्तीय लेनदार को एक परिचालन लेनदार के विपरीत "चूक" साबित करना पड़ता है जो केवल देय ऋण के संबंध में देयता या दायित्व के भुगतान के अधिकार का "दावा" करता है। जब इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है, तो धारा *7* के तहत वित्तीय लेनदारों द्वारा और धारा *8* के तहत परिचालन लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया को शुरू करने में अंतर।

और संहिता का *9* स्पष्ट हो जाता है। *[* पैरा *38] [611-*एच*; 612-*ए-बी*]*

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड *v.* आईसीआईसीआई बैंक *(2018) 1* एससीसी *407 [2017] 8* एससीआर *33-*संदर्भित।

3.1 धारा *21* और *24* और अनुच्छेद *14:*

परिचालन ऋणदाताओं ने ऋणदाताओं की समिति में कोई मतदान नहीं किया है।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत का संघ

संहिता के तहत, ऋणदाताओं की समिति को वित्तीय पुनर्गठन की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे.

सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उपलब्ध सभी वैकल्पिक निवेश अवसरों का मूल्यांकन करके एक निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करना आवश्यक है। लेनदारों की समिति को व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के आधार पर समाधान योजना का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा और उसके बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उक्त योजना सभी के लिए बाध्यकारी होती है। हितधारक। चूँकि वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में होते हैं, इसलिए बैंक और वित्तीय संस्थान निगमित देनदार के व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं। ऋण देने के समय भी, ये बैंक और वित्तीय संस्थान एक विस्तृत बाजार अध्ययन करते हैं जिसमें एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, ऋण का मूल्यांकन शामिल होता है।

व्यवसाय, वित्तीय अनुमान, आदि। चूंकि यह विस्तृत अध्ययन ऋण स्वीकृत करने से पहले ही किया जा चुका है, और चूंकि वित्तीय लेनदारों ने कर्मचारियों को व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित किया है, इसलिए वे समाधान योजना की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। दूसरी ओर, माल और सेवाएं प्रदान करने वाले परिचालन ऋणदाता केवल वसूली में शामिल होते हैं

ऐसी राशि जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की जाती है, और आमतौर पर व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थ होती है। द.

बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट इसे बहुत स्पष्ट करती है। *[* पैरा *43,44] [620* ई-एफ; *621-*ई; *622-*ए-सी*]*

3.2 एन. सी. एल. ए. टी. ने, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता को देखते हुए, हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि क्या परिचालन लेनदारों को लगभग वित्तीय लेनदारों के समान व्यवहार दिया जाता है, और यदि वे नहीं हैं, तो ऐसी योजनाओं को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या संशोधित किया जाता है ताकि परिचालन लेनदारों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह देखा जा सकता है कि एक समाधान योजना को पारित नहीं किया जा सकता है। एस. *30 (2) (*बी*)* आर. डब्ल्यू. धारा *31* जब तक कि परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान नहीं किया जाता है, परिसमापन मूल्य से कम नहीं होना। विनियमन *38* वित्तीय लेनदारों पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ परिचालन लेनदारों के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को वैधानिक रूप से शामिल करके परिचालन लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करता है।

इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिचालन लेनदार हैं इसके खिलाफ भेदभाव किया गया या कि अनुच्छेद *14* को या तो *[2019] 3* एस. सी. आर. का उल्लंघन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समानों के साथ असमान व्यवहार किए जाने के आधार पर या स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर। *[* पारस *46-48] [623-C-D; 624-B-C]*

धारा *12* ए अनुच्छेद *14* के प्रतिकूल नहीं है।

4.1 यह स्पष्ट है कि एक बार कोड ट्रिगर हो जाता है

धारा *7* से *9* के तहत लेनदार की याचिका को स्वीकार करना, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जो कार्यवाही है, एक सामूहिक कार्यवाही होने के नाते, एक कार्यवाही है। आर. ई. एम. में कार्यवाही होने के कारण, यह आवश्यक है कि समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने वाले निकाय से किसी भी व्यक्ति से पहले परामर्श किया जाना चाहिए। निगमित देनदार को अपने दावे का निपटान करने की अनुमति है। एक सवाल उठता है कि लेनदारों की एक समिति के गठन से पहले क्या होना है *(*निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से *30* दिनों के भीतर किसी भी समय लेनदारों की एक समिति नियुक्त की जा सकती है*)*। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्तर पर जहां लेनदारों की समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है, एक पक्ष सीधे एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है, जो न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियम, *2016* के नियम *11* के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निकासी या निपटान के लिए एक आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है। सभी संबंधित पक्षों को सुनने और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। *[* पैरा *52] [626-*ई-एच*]*

निकासी की अनुमति दें। इस उच्च सीमा को आई. एल. सी. रिपोर्ट में समझाया गया है क्योंकि सभी वित्तीय लेनदारों को इस तरह की निकासी की अनुमति देने के लिए अपने सिर को एक साथ रखना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर, सभी लेनदारों को शामिल करने वाला एक सर्वव्यापी समझौता, आदर्श रूप से, किया जाना

चाहिए। यह बताता है कि नब्बे प्रतिशत, जो कि काफी हद तक सभी वित्तीय ऋणदाता हैं, को व्यक्तिगत निकासी या निपटान के लिए अपनी मंजूरी क्यों देनी पड़ती है। किसी भी मामले में, नब्बे प्रति का आंकड़ा प्रतिशत, यह दिखाने के लिए आगे कुछ भी नहीं है कि यह मनमाना है, विधायी नीति के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, जिसे रिपोर्ट द्वारा समझाया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि धारा *60* के तहत

संहिता, लेनदारों की समिति के पास इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं है। यदि लेनदारों की समिति मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत निपटान और/या निकासी के दावे को अस्वीकार करती है, तो एन. सी. एल. टी. और उसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. हमेशा धारा *60* के तहत इस तरह के निर्णय को दरकिनार कर सकता है।

कोड से। इस प्रकार, धारा *12* ए भी संवैधानिक रूप से पारित होती है। *[* पैरा *53] [627-*ए-डी*]* स्विस रिबन्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

ब्रिलियंट अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. श्री एस. राजगोपाल और अन्य।

एसएलपी *(*सिविल*)* सं. *31557/2018* दिनांक *14.12.2018 -*

संदर्भित किया गया।

निजी जानकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण

उपयोगिताएँ: एकमात्र प्राथमिक चेहरा चूक का प्रमाण

5. सूचना उपयोगिता विनियम, विशेष रूप से

विनियम *20* और *21*, यह स्पष्ट करते हैं कि चूक की जानकारी प्राप्त होने पर, एक सूचना उपयोगिता सूचना के प्रमाणीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करेगी। ने कहा कि विनियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसी उपयोगिता के पंजीकरण के रूप में कठोर आवश्यकताओं के अलावा, जिस क्षण चूक की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी जानकारी सभी पक्षों और ऋण के प्रतिभूओं को सूचित की जानी चाहिए। इसके अलावा, उपयोगिता की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करना है

सूचना का प्रमाणीकरण और सत्यापन, जिसमें चूक करने वाले देनदार से प्रमाणीकरण और सत्यापन शामिल होगा। यह मामला होने के कारण, इस तथ्य के साथ कि इस तरह के साक्ष्य, जैसा कि अटॉर्नी जनरल द्वारा स्वीकार किया गया है, केवल डिफ़ॉल्ट का प्रथम दृष्टया सबूत है, जिसका कॉर्पोरेट देनदार द्वारा खंडन किया जा सकता है, यह स्पष्ट करता है कि इस आधार पर आधारित चुनौती भी विफल होनी चाहिए। *[* पैरा *56,57] [628-*ई*; 629-*डी-ई*]*

समाधान

नहीं है

पेशेवर

न्यायपालिका शक्तियाँ।

6. संहिता को पढ़ने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि

विनियम कि समाधान पेशेवर के पास कोई न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं। संहिता की धारा *18* एक अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। सी. आई. आर. पी. नियमों के तहत,

समाधान पेशेवर को किए गए दावों का परीक्षण और सत्यापन करना होता है, और

अंततः, प्रत्येक दावे की राशि निर्धारित करें। विनियम *10,12,13,14* और *15* के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संकल्प

पेशेवरों को अर्ध-न्यायिक शक्तियों के विपरीत प्रशासनिक शक्तियां दी जाती हैं। वास्तव में, जब समाधान पेशेवर को विनियमन *35* ए के तहत "निर्धारण" करना होता है, तो उसे केवल किए गए निर्धारण के आधार पर उचित राहत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इसके विपरीत, परिसमापक को संहिता के तहत परिसमापन कार्यवाही में समेकित करना होगा और

दावों का सत्यापन करें और संहिता की धारा *38* से *40* के तहत ऐसे दावों को स्वीकार या अस्वीकार करें। यह धारा *41* और *42 [2019] 3* एस. सी. आर. से स्पष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि जब परिसमापक धारा *40* के तहत स्वीकार किए गए दावों का मूल्य "निर्धारित" करता है, तो ऐसा निर्धारण एक "निर्णय" है, जो प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है, और जिसके खिलाफ संहिता की धारा *42* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। परिसमापक के विपरीत, समाधान पेशेवर संहिता की धारा *28* के तहत लेनदारों की समिति की मंजूरी के बिना कई मामलों में कार्य नहीं कर सकता है, जो दो-तिहाई बहुमत से, एक समाधान पेशेवर को दूसरे के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है।

लेनदारों और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा। *[*पारस *58-61] [629* एफ; *631*-सी; *632*-एफ; *633*-सी, ई-जी*]*

धारा *29* ए की संवैधानिक वैधताः

प्रत्याशित आवेदन

7. एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है; न ही यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसका एक हिस्सा है

इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताएं एक समय पूर्व से लेकर इसके पारित होने तक खींची जाती हैं। आर्सेलर मित्तल के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि एक समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना पर विचार करने या अनुमोदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा *29* ए के लागू होने से कोई निहित अधिकार नहीं खोया जाता है। चूंकि एक समाधान आवेदक जो धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत आवेदन करता है, उसे समाधान आवेदक के रूप में माने जाने के लिए आवेदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसलिए इस बिंदु का कोई लाभ नहीं है। *[*पारस *64,65] [640*-ई-एफ; *641*-बी, जी*]*

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार

गुप्ता और ओआरएस। *[2018] 13* स्केल *381*-अनुसरण किया गया।

रितेश अग्रवाल और अन्र। वी. एस. ई. बी. आई और अन्य। *(2008) 8* एससीसी *205 [2008] 8* एससीआर *553;* के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य और अन्य। *(1994) 5* एस. सी. सी. *593 [1994] 3* पूरक। एस. सी. आर. *405;* दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह और अन्र। *(1992)* पूरक *1* एस. सी. सी. *191: [1990] 3* पूरक। एस. सी. आर. *212;* प्यारे लाल शर्मा बनाम प्रबंध निदेशक और अन्य। *(1989) 3* एससीसी *448 [1989] 3* एससीआर *428;* पी. डी. अग्रवाल और
ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। *(1987) 3* एससीसी *622: [1987] 3* एस. सी. आर. *427;* गोविंद दास और अन्य। वी.

आयकर अधिकारी स्विस रिबन्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. भारत का संघ

और एन. आर. *(1976) 1* एससीसी *906: [1976] 3* एससीआर *44 -*

प्रतिष्ठित।

चित्रा शर्मा बनाम। भारत संघ *2018 (9)* स्केल *490;*

स्टेट बैंक कर्मचारी संघ *(*मद्रास सर्कल*) v.* संघ का

भारत और ओआरएस। *(2005) 7* एस. सी. सी. *584 [2005] 3* पूरक।

एस. सी. आर. *200* संदर्भित है।
धारा *29* ए *(*सी*)* नहीं

रुक गए हैं

दुर्भावना

8. एक पूर्व प्रवर्तक में कोई निहित अधिकार नहीं है

निगमित देनदार परिसमापन में निगमित देनदार की अचल और चल संपत्ति के लिए बोली लगाने के लिए। इसके अलावा, उन व्यक्तियों की श्रेणियों को देखते हुए जो धारा *29* ए के तहत अपात्र हैं, जिसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो भ्रष्ट हैं, या वे व्यक्ति जो गलत हैं।

कानून किसी तरह से, और जो व्यक्ति अनुमत अनुग्रह अवधि में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस परंतुक द्वारा उस निगमित देनदार की संपत्ति खरीदने से रोक दिया जाता है, जिसके ऋणों का उन्होंने या तो जानबूझकर भुगतान नहीं किया है या भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं। विधायी उद्देश्य जो धारा *29* ए में व्याप्त है

यह धारा तब भी लागू होती है जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होती है, बल्कि परिसमापन पर भी लागू होती है। अतः इस याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है। *[* पैरा *69] [643*-डी-एफ*]*

धारा *29* ए *(*सी*)* में एक-वर्षीय अवधि और

एनपीएएस

9. यह स्पष्ट है कि धारा *29* ए एक प्रस्तुत करने की पात्रता के लिए जाती है

समाधान योजना। एक विलफुल डिफॉल्टर, के अनुसार आर. बी. आई. के दिशानिर्देश, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भुगतान करने में सक्षम होने के बावजूद भुगतान नहीं करता है। दूसरी ओर, एन. पी. ए. किसी व्यक्ति के उस खाते को संदर्भित करता है जिसे आर. बी. आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत घोषित किया जाता है। आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर के खंड *4* से यह स्पष्ट है कि खातों को एन. पी. ए. केवल तभी घोषित किया जाता है जब किसी कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए चूक का समाधान नहीं किया जाता है *(*उदाहरण के लिए, किसी सावधि ऋण के संबंध में *90* दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया मूलधन पर ब्याज और/या किश्त*)*। इस तरह के एन. पी. ए. की घोषणा के बाद, जो स्पष्ट है वह यह है कि एक घटिया परिसंपत्ति एन. पी. ए. होगी जो बारह महीने की अवधि के लिए बनी हुई है। संक्षेप में, एक व्यक्ति एक चूककर्ता है जब एक किस्त और/या मूलधन पर ब्याज तीन महीने से अधिक समय तक अतिदेय रहता है, *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके बाद उसके खाते को एन. पी. ए. घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान, क्योंकि अब इसे घटिया मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कर्जदार एन. पी. ए. होंगे। व्यवहार के रूप में, वे पहले कॉर्पोरेट देनदार के साथ विवादों को हल करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद, कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित किया जाता है। इसलिए विधायी नीति के मामले में, कदाचार से काफी अलग, यदि व्यक्ति एक वर्ष और तीन महीने की इस अवधि के भीतर पूरे या आंशिक रूप से लिए गए ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है *(*जो, किसी भी मामले में, एक पूर्व अवधि के बाद है जहां कॉर्पोरेट देनदार और उसके वित्तीय लेनदार जारी चूक को हल करने के लिए एक साथ बैठते हैं*)*, इसे समाधान आवेदक बनने के लिए अयोग्य कहा जाता है। कारण देखने के लिए दूर नहीं है। एक व्यक्ति जो उक्त अवधि के लिए ऋण नहीं चुका सकता है, वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद बीमार है। इसलिए विधायी नीति यह है कि एक व्यक्ति जो अपनी सेवा करने में असमर्थ है

अनुग्रह अवधि से परे अपना ऋण समाधान आवेदक बनने के योग्य होने के लिए अयोग्य है। इस नीति में दोष नहीं पाया जा सकता है। न ही एक वर्ष की अवधि को दोषपूर्ण पाया जा सकता है, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किया जाता है और जो इसके परिणामस्वरूप सामने आता है।

मास्टर सर्कुलर, इस अवधि के दौरान, एक एन. पी. ए. को घटिया परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद ही अयोग्यता जुड़ती है क्योंकि एन. पी. ए. अब संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत हो जाता है।

संपत्ति। *[* पारस *70,71] [643-*जी*; 646-*ए*-*जी*]*

संबंधित पार्टी

10.1 जो व्यक्ति संयुक्त रूप से या दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, वे संकल्प आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं।

इसी तरह, धारा *5 (24 ए)* में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियां दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्तियों को धारा *29 ए (जे)* के अर्थ के भीतर समाधान आवेदक के साथ "जुड़ा" होना चाहिए। इस मामले में, व्यक्तियों की उक्त श्रेणियों का, जिनका सामूहिक रूप से "रिश्तेदार" शीर्षक के तहत उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ संबंध होना चाहिए। यह दिखाने के अभाव में कि ऐसा व्यक्ति समाधान आवेदक की गतिविधि के व्यवसाय से "जुड़ा हुआ" है, ऐसा व्यक्ति स्विस रिबन्स पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

संभवतः धारा *29 ए (जे)* के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। धारा *29 ए (जे)* की सभी श्रेणियां प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित हैं, जो राज्य की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। समाधान आवेदक। इसलिए परिभाषा धाराओं में निहित "संबंधित पक्ष" और "सापेक्ष" अभिव्यक्ति को स्पष्टीकरण *I* में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ एक समाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो प्रस्ताव आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। *[पैरा 75] [654-एफ-एच; 655-ए]*

भारत और अन्य के लिए महान्यायवादी। वी. अमृतलाल

प्रजिवंदास और ओआरएस। *(1994) 5* एससीसी *54: [1994] 1* पूरक।

एस. सी. आर. *1*-संदर्भित।

10.2 यह प्रस्तुत किया गया था कि स्पष्टीकरण *I*, खंड *(ii)* से धारा *29 ए (जे)* में "संबद्ध व्यक्ति" अभिव्यक्ति संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित नहीं कर सकती है जो भविष्य में निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में हो सकता है। यह मनमाना होगा क्योंकि स्पष्टीकरण तब एक अनिश्चित व्यक्ति पर लागू होगा। इस प्रस्तुति को इस स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अन्यथा "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में शामिल है, तो यह प्रावधान एक व्यक्ति को भी शामिल करेगा। जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में हो। इसलिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो पूर्ववर्ती समय पर या इसके कार्यान्वयन के दौरान भी निगमित देनदार के व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालता है।

समाधान योजना। *[पैरा 76] [655-बी-डी]*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम का अपवाद

धारा *29 ए* से प्रविष्टियाँ

11. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, *2006* की धारा *7* निम्नलिखित के आधार पर उद्यमों को वर्गीकृत करती हैः चाहे वे वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हों, या किए गए कुछ निवेशों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान करने और प्रदान करने में लगे हों। आई. एल. सी. का तर्क

धारा *29* ए *(*सी*)* और *29* ए *(*एच*)* में निर्धारित पात्रता मानदंडों से ऐसे उद्योगों को बाहर करने के लिए *2018* की रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि ऐसे उद्योगों, अन्य समाधान आवेदकों को लागू नहीं किया जा सकता है। आगामी, जो तब अनिवार्य रूप से समाधान की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसमापन के लिए। दिवाला विधि समिति के अनुसार रिपोर्ट, धारा *240* ए को संहिता में शामिल किया गया है

06.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब संहिता ने उद्यमों के एक वर्ग के लिए कठिनाई पैदा की है, तो सरकार द्वारा गठित समिति ने इसकी देखरेख की है

संहिता का कार्य, ऐसी समस्याओं के लिए जीवित रहा है, और सरकार ने धारा *240* ए को लागू करने में समिति की सिफारिशों का पालन किया है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे कार्यपालक संहिता के अनुप्रयोग की निगरानी करना जारी रखता है, और उद्यमों के एक वर्ग को इससे छूट देता है

इसके कुछ प्रावधानों को योग्य मामलों में लागू करना। यह और संहिता में बार-बार किए जा रहे अन्य संशोधन, और इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ कानून, समिति की रिपोर्टों के आधार पर, जो संहिता के कामकाज पर गौर कर रहे हैं, यह भी दिखाएंगे कि विधायिका संहिता के कामकाज में उत्पन्न होने वाली गंभीर विसंगतियों के प्रति सचेत है और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा रही है। *[*पारस *78,80* और *81] [655*-एफ*; 657*-बी-सी*; 658*-सी-ई*]*

संहिता की धारा *53* हिंसक नहीं है

अनुच्छेद *14.*

12. जब दिवाला संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की बात आती है, तो वित्तीय ऋण, जो सुरक्षित हैं, और परिचालन ऋण, जो असुरक्षित हैं, के बीच अंतर करने का कारण दो प्रकार के ऋणों का सापेक्ष महत्व है। वित्तीय ऋणों का पुनर्भुगतान पूंजी का निवेश करता है

अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे बैंक और वित्तीय संस्थान सक्षम हैं,

जो पैसा वापस किया गया है, उससे अन्य उद्यमियों को उनके व्यवसायों के लिए इस तरह के पैसे उधार देने के लिए। यह तर्क

वित्तीय ऋणों और परिचालन ऋणों के बीच एक बोधगम्य अंतर पैदा करता है, जो असुरक्षित हैं, जो सीधे संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित हैं। किसी भी मामले में, श्रमिकों का बकाया, जो असुरक्षित ऋण भी है,

पारंपरिक रूप से इसे अधिकांश अन्य ऋणों से ऊपर रखा गया है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि असुरक्षित ऋण विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जब तक कि कुछ वैध ब्याज को संरक्षित करने की मांग की जाती है, जिसका संबंध क़ानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से होता है। सवाल यह है कि अनुच्छेद *14*

का उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार, एस के लिए चुनौती। *53* यह कि यह भेदभावपूर्ण है और स्पष्ट रूप से मनमाना है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *84] [661-*बी-डी*]* स्विस रिबन्स पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

13. दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

पूरे देश में। पूर्व प्रयोग, के संदर्भ में

कानून विफल होने के कारण, 'परीक्षण' बार-बार 'त्रुटियों' का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता से आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित क्रूरताओं और असमानताओं से, संवैधानिक रूप से पारित होता है। आर्थिक चीजों में प्रयोग जारी रखना एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा है। संहिता के कामकाज की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जा रही है जो इस संबंध में स्थापित की गई हैं। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं सहित हितधारक। संहिता के कार्यकरण में, वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि संहिता को लागू करने में किया गया प्रयोग काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। द.

चूककर्ता का स्वर्ग खो गया है। इसके स्थान पर अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को फिर से हासिल कर लिया गया है। *[* पारस *85,86] [661-*ई-एच*; 662-*ए, ई-एफ*]*

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ *(2015) 8* एससीसी

583 [2014] 10 एस. सी. आर. *1;* मद्रास बार एसोसिएशन बनाम।

भारत संघ *(2014) 10* एससीसी *1: [2014] 10* एस. सी. आर. *1;* उत्तरा फूड्स एंड फीड्स प्रा. लिमिटेड वी. मोना फार्माकेम

2017 (13) स्केल *526;* भारत संघ बनाम। आर. गांधी,

अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन *(2010) 11* एससीसी *1:*

[2010] 6 एस. सी. आर. *857;* इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई

बैंक और एन. आर. *(2018) 1* एससीसी *407: [2017] 8* एससीआर *33;* मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. औद्योगिक बोर्ड

और वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य। *(2016) 4* एससीसी

1 : [2016] 11 एससीआर *419;* आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ

(1981) 4 एससीसी *675 [1982] 1* एससीआर *947;* भावेश डी।

पैरिश वी। भारत संघ *(2000) 5* एससीसी *471: [2000] 1* पूरक। एस. सी. आर. *291;* विदेश व्यापार के डी. जी. बनाम। कनक निर्यात
(2016) 2 एससीसी *226 [2015] 15* एससीआर *287;* दिल्ली *[2019] 3* एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बनाम। अंतर्राष्ट्रीय पट्टा वित्त निगम और अन्य। *(2015) 8* एससीसी *446:*

[2015] 2 एस. सी. आर. *1040*-संदर्भित।

लोच्नर वी। न्यूयॉर्क *198* यू. एस. *45 (1905);* न्यू स्टेट आइस कं. वी. लिबमैन *285* यू. एस. *262 (1932);* फर्ग्यूसन बनाम।

स्क्रूपा *372* यू. एस. *726 (1962)*-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 10 एससीआर *1*

पैरा *2*

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

[2017] 7 एससीआर *797*

संदर्भित किया गया है

पैरा *2*

2017 (13) स्केल *526*

पैरा *2*

संदर्भित किया गया है

[2010] 6 एससीआर *857*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2017] 8 एससीआर *33*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2016] 11 एससीआर *419*

पैरा *6*

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर *947*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[2000] 1 पूरक। एससीआर *291*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

[2015] 15 एससीआर *287*

पैरा *8*

संदर्भित किया गया है

[2015] 2 एससीआर *1040*

पैरा *18*

संदर्भित किया गया है

[2018] 14 स्केल *286*

संदर्भित

पैरा *21*

को

2018 (13) स्केल *75*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

2018 (11) स्केल *556*

पैरा *21*

संदर्भित किया गया है

2019 (1) एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

(2018) 10 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[2018] 6 एससीआर *1076*

संदर्भित किया गया है

पैरा *21*

[2017] 12 एससीआर *358*

पैरा *21*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

2018 (9) स्केल *490*

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 पूरक। एससीआर *200*

संदर्भित किया गया है

पैरा *63*

[2018 (13) स्केल *381*

पीछा किया।

पैरा *64* स्विस रिबन्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. भारत का संघ

[2008] 8 एससीआर *553*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1994] 3 पूरक। एससीआर *405*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1990] 3 पूरक। एससीआर *212*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1989] 3 एससीआर *428*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1987] 3 एससीआर *427*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1976] 3 एससीआर *44*

प्रतिष्ठित

पैरा *65*

[1994] 1 पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *74*

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका *(*सिविल*)* सं. *99*

2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

के साथ

लेखन याचिका *(*सी*)* सं। *115* , *100* , *459* , *598* , *775* , *822* , *849* , *1221* से

2018 ,

2019 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *37* और एस. एल. पी. *(*ग*)* की सं. *28623*

2018 .

के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, एसजी,

श्रीमती माधवी दीवान, विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., श्याम दीवान, राकेश द्विवेदी, साजन पूवय्या, सी. यू. सिंह, मुकुल रोहतगी, के. वी. विश्वनाथन, चेतन शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री हरि प्रिया,

सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चिन्मायी चंद्र, श्रीमती अनिल कटियार, ए. के. शर्मा, पराग पी. त्रिपाठी, विश्वजीत दुबे, स्पंदना बिस्वाल, सुश्री श्रीदीपा भट्टाचार्य, मनप्रीत लांबा, आदित्य मारवाह, प्रफुल्ल गोयल, कानू अग्रवाल, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, सुश्री मीशा, सिद्धांत

कांत, सुश्री सृष्टि खरे, सुश्री जसवीन कौर, एस. एस. श्रॉफ, मेसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, अनंगा भट्टाचार्य, रोहित राव एन., किरण कुमार कोंडापर्थी, मेसर्स वेरिटास लेगिस, मिलंक चौधरी, सरोजानंद झा, एशली चेरियन, एस. के. रजा, परवीन कुमार, राजेश सिंह,

ओ. पी. गग्गर, आदित्य गग्गर, सुरेश के., सुश्री सुरुचि अग्रवाल, आर. आर. गुप्ता, सुश्री अंकिता प्रकाश, सुश्री सिंधु टी. पी., मेसर्स इंडियन लॉ, राघव बंसल *(*मेसर्स के लिए*)*। पारेख एंड कंपनी*)*, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, ए. के. शुक्ला, विवेक तिवारी, विनय राय, प्रमोद तिवारी, कंवल

चौधरी, जसबिर सिंह मलिक, उदित गुप्ता, दिगंत कक्कड़, विश्वास शाह, मासूम शाह, पुलकित देवड़ा *(*मेसर्स के लिए। उदित किशन एंड एसोसिएट्स*)*, *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. के. पांडे, अंशुल राज, अवनीश कुमार, मेसर्स। धर्मपाल लॉ एसोसिएट्स, प्रज्ञा ओहरी, अभिरूप दासगुप्ता, ईशान दुग्गल, मोहित *D.Ram*, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, भरत गंगाधरन, सुश्री शुभ्रा कपूर, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री श्रीजा चौधरी, राजेंद्र बारोट, विवेक शेट्टी, सुश्री लिज़ मैथ्यू, जहाँ ए. चोकशी, सुश्री संसृति, एकलव्य द्विवेदी, नवनीत आर., राघव मेहरोत्रा, विपिन

कुमार जय, विपुल जय, शैली दिनकर, हितेश के. शर्मा, राजेश सिंह, राजेंद्र बेनीवाल, राजेश पी., विशाल ठाकुर, अरविंद कुमार शुक्ला, आलोक शुक्ला, एन. पी. गौर, हार्दिक लूथरा, कुणाल यादव, निहाल अहमद, सुश्री रीतू शर्मा, सुश्री नीना शुक्ला, अतुल शर्मा, अरवीना शर्मा, आशु कंसल, सुश्री वर्षा बनर्जी, करण बतुरा, सुश्री स्तुति

वत्स, मनमयी शर्मा, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, मेसर्स गायत्री गुलाटी, मेसर्स स्नेह ढिल्लन, राजेश कुमार-*I*, अनंत गौतम, सुश्री श्रुति वत्स, सुश्री खुशबू अग्रवाल, अनमोल मेहता, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक।

नागपाल, सुश्री देवांशी सिंह, अर्शित आनंद, गुंजन अधवानी, सुश्री शाली भसीन, निशांत राव, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, पुनीत सिंह बिंद्रा, सुश्री सिमरान जीत, साद एम. शेरवानी, अभिषेक सिंह, जमाल आनंद, यथारथ कुमार, वंशदीप डालमिया, प्रणय गोयल, अभिषेक शर्मा, यश बडकुर, हर्षवर्धन झा, युगांधरा पवार झा, सुश्री मयूरी शुक्ला, अभिषेक चौधरी, सुश्री दिव्या रॉय, लक्ष्यजीत सिंह बागडवाल, सर्वेश बिसारिया, आशीष आजाद, प्रकाश चंद्र शर्मा, श्रीमती एस. उषा रेड्डी, बालाजी श्रीनिवासन, आलोक कुमार, सुश्री डी. सिंह, सुश्री रेबेका डैट्स, राहुल शर्मा, सिद्धांत मनराल, श्रीमती ललिता कौशिक, केशव गुप्ता, सुश्री एना बंसल, अनिल कुमार, देवांशु स्विस रिबन्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. भारत का संघ

सजलन, दीपक जोशी, आकाश लांबा, टी. महिपाल, साहिल मोंगा, उत्कर्ष मारिया, नकुल गांधी, मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, आशीष राणा, हर्षित गर्ग, सेंथिल जगदीशन, एम. पी. विनोद, संदीप सुधाकर देशमुख, विनोद शर्मा, निखिल जैन, राजीव शंकर द्विवेदी, अनुपम लाल दास, मोहित डी. राम, आकर्ष कामरा, सुश्री उषा नंदिनी। वी, सुश्री पल्लवी प्रताप, मयंक पांडे, शांतनु सागर, अनुराग किशोर, सोम राज चौधरी, अभिषेक अग्रवाल, सुदर्शन मेनन, सुश्री मीरा माथुर, अरुण अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. *1.* वर्तमान याचिकाएँ हमला करती हैं

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016 ["*दिवाला संहिता*"* या *"*संहिता*"]* के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता। चूँकि हम केवल संहिता की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय ले रहे हैं, इसलिए हम किसी भी मामले के व्यक्तिगत तथ्यों में नहीं जा रहे हैं। *2. 2018* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *99* में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया है कि

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण *["*एन. सी. एल. टी*".]* के सदस्यों और राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण *["*एन. सी. एल. ए. टी*".]* के कुछ सदस्यों को मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत नियुक्त किया गया है। भारत संघ, *(2015) 8* एस. सी. सी. *583 ["*मद्रास बार एसोसिएशन *(III)"]*, और इसलिए, ऐसा होने के कारण, ऐसे सदस्यों द्वारा पारित किए गए सभी आदेश, जो उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत पारित किए गए हैं, को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, यह मानते हुए भी कि वास्तविक सिद्धांत ऐसे आदेशों को बचाने के लिए लागू होगा, यह स्पष्ट है कि ऐसे सदस्यों को भविष्य में कोई भी आदेश पारित करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी मामले में, जब तक कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार एक उचित रूप से गठित समिति,

उन्हें फिर से नियुक्त करता है, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक समर्थन कानून और न्याय मंत्रालय से होना चाहिए। लेकिन आज भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. निगमित कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करना। इसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। एक और तकनीकी उल्लंघन यह भी है कि यदि उच्च न्यायालय की शक्तियों को छीन लिया जाता है, तो एक अपीलीय मंच के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. को वही सुविधा और समीचीनता

होनी चाहिए जो एन. सी. एल. ए. टी. में जाने वाली अपीलों से पहले थी। चूंकि एक अपीलीय अदालत के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. की एक सीट केवल नई दिल्ली में है, इसलिए यह उपचार को अप्रभावी बना देगा क्योंकि व्यक्तियों को तमिलनाडु, कलकत्ता और बॉम्बे से नई दिल्ली की यात्रा करनी होगी, जबकि पहले वे *(2019) 3* एस. सी. आर.

अपने राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते थे। यह फिर से मद्रास बार एसोसिएशन बनाम के सीधे विपरीत है। संघ का

भारत, *(2014) 10* एस. सी. सी. *1 ["*मद्रास बार एसोसिएशन *(II)"]*, और विशेष रूप से पैराग्राफ *123*। उपरोक्त तकनीकी आपत्ति के अलावा, श्री रोहतगी ने संहिता की धारा *7* में निहित विधायी योजना पर हमला करते हुए कहा कि वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। उनके अनुसार, दोनों प्रकार के लेनदार या तो ऋण के संदर्भ में या वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में धन देंगे। इस प्रकार, कोई बोधगम्य अंतर नहीं है दो प्रकार के लेनदारों के बीच, संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् दिवाला समाधान, और यदि यह संभव नहीं है, तो अंततः परिसमापन। शायरा बानो बनाम पर भरोसा करना। भारत संघ, *(2017) 9* एस. सी. सी. *1 [*शायरा बानो*]*, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण न केवल भेदभावपूर्ण होगा, बल्कि स्पष्ट रूप से भी होगा।

मनमाना, संहिता की धारा *8* और *9* के तहत, एक परिचालन देनदार को न केवल चूक की सूचना दी जाती है, बल्कि वह दावे की वास्तविकता पर विवाद करने का हकदार है। दूसरी ओर, वित्तीय देनदार के मामले में, कोई सूचना नहीं दी जाती है और वित्तीय देनदार वित्तीय लेनदार के दावे पर विवाद करने का हकदार नहीं है। यह पर्याप्त है कि परिभाषित के रूप में एक डिफ़ॉल्ट होता है,

जिसके बाद, भले ही दावा विवादित हो और भले ही कोई रोक और प्रतिदावा हो, फिर भी संहिता एक वित्तीय लेनदार के कहने पर शुरू हो जाती है, बिना कॉर्पोरेट देनदार इस तथ्य को सही ठहराने में सक्षम होता है कि एक वास्तविक विवाद उठाया जाता है, जिसे सामान्य अदालतों और/या न्यायाधिकरणों के समक्ष निर्णय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। श्री रोहतगी ने तब तर्क दिया कि यह मानते हुए कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच एक वैध अंतर मौजूद है, परिचालन लेनदारों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक वे ऋण की कुल राशि का *10* प्रतिशत नहीं हैं, तब तक लेनदारों की समिति में उनकी कोई आवाज नहीं है। किसी भी मामले में, संहिता की धारा *21* और *24* भेदभावपूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं कि परिचालन लेनदारों के पास लेनदारों की समिति में एक भी वोट नहीं है, जिसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं।

निगमित देनदारियों की समाधान प्रक्रिया में। श्री रोहतगी ने तब संहिता के तहत स्थापित सूचना उपयोगिताओं की स्थापना पर हमला किया। उनके अनुसार, संहिता की धारा *210* के तहत, निजी सूचना उपयोगिताएँ हो सकती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होगा। इसके अलावा, उक्त सूचना उपयोगिता न केवल वित्तीय डेटा एकत्र करने के लिए है, बल्कि यह भी जांचने के लिए है कि कोई चूक हुई है या नहीं। ऐसी एजेंसी का प्रमाणन निर्णय का विकल्प नहीं हो सकता है। इस प्रकार, एक सूचना उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रारंभिक स्विस रिबन्स पी. वी. टी. की प्रकृति का होता है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बिना किसी सुनवाई के और बिना किसी प्रक्रिया के जारी की गई डिक्री

न्यायनिर्णयन। श्री रोहतगी ने आगे तर्क दिया कि संहिता की धारा *12* ए उत्तरा फूड्स में अपने आदेश में इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है और फ़ीड्स प्रा. लिमिटेड वी. मोना फ़ार्माचेम, सिविल अपील सं. *18520/2017 [13.11.2017* पर निर्णय लिया गया*]*, और यह कि उक्त आदेश का पालन करने के बजाय, धारा *12* ए अब समिति के मतदान हिस्से के कम से कम नब्बे प्रतिशत की मंजूरी की आवश्यकता के साथ निपटान प्रक्रिया को पटरी से उतार देती है।

लेनदार। लेनदारों की समिति को लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदारों के बीच किए गए वैध निपटान को अस्वीकार करने के लिए बेलगाम और गैर-कानूनी शक्ति दी जाती है। श्री रोहतगी ने तब तर्क दिया कि प्रस्ताव पेशेवर को संहिता और विनियमों के तहत निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं, एक गैर-न्यायिक प्राधिकरण को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना न्याय के वितरण और न्याय तक पहुंच के बुनियादी पहलुओं का उल्लंघन है। अंत में, धारा *29* ए, विशेष रूप से, खंड *(*सी*)* के खिलाफ चार गुना हमला किया गया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, श्री रोहतगी ने कहा कि वसूली में भाग लेने के लिए पूर्व प्रवर्तकों के निहित अधिकार

एक निगमित देनदार की प्रक्रिया पूर्वव्यापी रूप से बाधित हुई है धारा *29* ए का अनुप्रयोग। धारा *29* ए, किसी भी मामले में, संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के विपरीत है, विशेष रूप से, समाधान प्रक्रिया का त्वरित निपटान क्योंकि यह अनिवार्य रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के सामने चुनौतियों का कारण बनेगा, जो धीमा हो जाएगा।

और दिवाला समाधान प्रक्रिया में देरी। विशेष रूप से, जहां तक धारा *29* ए *(*सी*)* का संबंध है, कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के सभी प्रवर्तकों की भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध, बिना किसी तंत्र के उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो हैं

बेईमान और कंपनी को जमीन पर ला दिया है, उन व्यक्तियों के खिलाफ जो कुशल प्रबंधक हैं, लेकिन जो विभिन्न अन्य कारणों से अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाए हैं, न केवल स्पष्ट रूप से होगा

मनमाना, लेकिन असमान लोगों के साथ भी समान व्यवहार करें। श्री रोहतगी के अनुसार परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

समाधान प्रक्रिया में प्राप्त किया। धारा *29* ए ऐसे लक्ष्य के विपरीत है क्योंकि एक पूर्व प्रवर्तक, जो अन्य सभी आवेदकों को पछाड़ सकता है और जिसके पास सबसे अच्छी समाधान योजना हो सकती है, उसे सीमा से बाहर रखा जाएगा, जिससे परिसंपत्तियों के मूल्य के अधिकतमकरण के उद्देश्य को नुकसान होगा। एक अन्य तर्क जो दिया गया था वह यह था कि धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत, किसी व्यक्ति का खाता कर सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक *["*आर. बी. आई*".]* के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति *["*एन. पी. ए*".]* के रूप में वर्गीकृत किया जाए, भले ही वह जानबूझकर चूक करने वाला न हो। इसके अलावा, खंड *(*ग*)* में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि फिर से पूरी तरह से मनमाना है और तर्कसंगतता या किसी भी आधार के बिना है।

कानून। श्री रोहतगी ने तब धारा *29* ए *(*जे*)* पर अपनी बंदूक को प्रशिक्षित किया और कहा कि *[2019] 3* एस. सी. आर.

ऐसे व्यक्ति जो इस अर्थ में संबंधित पक्ष हो सकते हैं कि वे पूर्ववर्ती प्रवर्तकों के रिश्तेदार हो सकते हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनका पूर्ववर्ती प्रवर्तकों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं हो सकता है जिन्हें धारा *29* ए द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। *3.* श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, *2018* की रिट याचिका *No.822* में उपस्थित हुए, उन्होंने श्री रोहतगी का पुरजोर समर्थन किया और बहुत स्पष्टता के साथ और अपनी विभिन्न बारीकियों के साथ उन्हीं बिंदुओं पर तर्क दिया, जो हमारे फैसले में परिलक्षित होंगे। श्री विश्वनाथन, श्री ए. के. गुप्ता, श्री पुलकित देवड़ा, श्री देवांशु सजलन और श्री दीपक जोशी ने भी भेदभाव के संबंध में विशेष रूप से प्रस्तुतियां दीं।

परिचालन लेनदारों के खिलाफ।

कानून विफल हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्ति की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट देनदारों के दिवालिया समाधान को पुनर्गठित करने के लिए संहिता लागू की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक कॉर्पोरेट देनदार के तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के कब्जे में होने के पूर्व प्रबंधन से लेनदारों के लिए एक आदर्श बदलाव है जो अब पूर्ववर्ती प्रबंधन से नियंत्रण ग्रहण करते हैं और अन्य बेहतर और अधिक कुशल प्रबंधकों की समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में सक्षम होते हैं, जो न केवल कॉर्पोरेट देनदार के हित में होगा, बल्कि सभी हितधारकों, अर्थात् सभी लेनदारों, श्रमिकों और शेयरधारकों के हित में होगा। वे.

उद्देश्यों और कारणों के विवरण, प्रस्तावना, और संहिता के विभिन्न प्रावधानों, और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को उनकी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए संदर्भित किया गया है। विशेष रूप से, उन्होंने उन निर्णयों का उल्लेख किया जो आर्थिक विनियमन से संबंधित कानूनों के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को अनिवार्य करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि विधायिका को प्रयोग करने के लिए जोड़ों में अधिकतम स्वतंत्र खेल प्राप्त करना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए जो पहले कठिन लग रही थीं। विशेष रूप से, स्विस रिबन्स पी. वी. टी. की उपस्थिति में विद्वान वकील द्वारा दिए गए व्यक्तिगत बिंदुओं का मुकाबला करने में।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एसोसिएशन *(2010) 11* एस. सी. सी. *1 ["*मद्रास बार एसोसिएशन *(I)"]* और मद्रास बार एसोसिएशन *(III) (*ऊपर*)*। उन्होंने शपथपत्रों का उल्लेख किया इस न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए दायर किया गया कि ऐसे सभी सदस्यों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा की गई थी

नौकरशाह, उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप। जब वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच वर्गीकरण की बात आती है, तो उन्होंने तर्क दिया कि दो प्रकार के लेनदारों के बीच अंतर उनके साथ किए गए अनुबंधों की प्रकृति से होता है। वित्तीय अनुबंधों में कम व्यक्तियों द्वारा दी गई बड़ी राशि शामिल होती है, जबकि परिचालन लेनदारों

की संख्या बहुत अधिक होती है और बकाया की मात्रा आम तौर पर कम होती है। वित्तीय लेनदारों के पास निर्दिष्ट पुनर्भुगतान कार्यक्रम हैं और

ऐसे समझौते जो ऐसे लेनदारों को कुल मिलाकर ऋण वापस लेने का अधिकार देते हैं

चूक की जा रही है, जो परिचालन लेनदारों के पास नहीं है। इसके अलावा, वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, कॉर्पोरेट देनदारों की व्यवहार्यता के मूल्यांकन में शामिल होते हैं और इसलिए, वित्तीय तनाव की स्थिति में ऋणों के पुनर्गठन के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में शामिल होने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित होते हैं। ये सभी भेद न केवल बोधगम्य हैं, बल्कि संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से सीधे संबंधित हैं। जहां तक वित्तीय लेनदारों से संबंधित धारा *7* और परिचालन लेनदारों से संबंधित धारा *8* और *9* का संबंध है, यह कहना गलत है कि वित्तीय देनदार को किए गए चूक पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि वित्तीय देनदार ऋण संरचना और किए गए चूक के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। इसके अलावा, इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. , *(2018) 1* एस. सी. सी. *407 ["*अभिनव उद्योग*"]* ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संहिता की धारा *7 (5)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को, इस बात से "संतुष्ट" होने पर कि कोई चूक हुई है, निगमित देनदार को नोटिस जारी करना होगा, निगमित देनदार को सुनना होगा, और फिर उसी पर निर्णय लेना होगा। वित्तीय देनदारियों द्वारा उठाए गए विवादों का कारण इस स्तर पर नहीं जाना जाता है

संहिता को ट्रिगर करना इसलिए है क्योंकि वित्तीय ऋणों के प्रमाण हैं

सूचना उपयोगिताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दस्तावेजों में निहित। जो विवाद उठाए जा सकते हैं, उन्हें समाधान प्रक्रिया चल रही होने के बाद दावे दायर करने के चरण में उठाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय ऋणों की प्रकृति के अनुसार, वित्तीय देनदारों द्वारा चुकाया गया ऋण और प्रतिदावे बहुत दुर्लभ हैं और किसी भी मामले में, उन्हें दिए गए ऋण से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जहाँ तक परिचालन लेनदारों का संबंध है जिनके पास *[2019] 3* एस. सी. आर. हैं।

लेनदारों की समिति में किसी भी वोट का संबंध नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि परिचालन लेनदार आमतौर पर केवल अपने द्वारा की गई वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जबकि वित्तीय लेनदार आम तौर पर यह देखने में शामिल होते हैं कि उनका पूरा ऋण चुका दिया जाए, जिसके लिए वे कॉर्पोरेट की व्यवहार्यता में जाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

उद्यम, ऋण अनुदान के चरण में और चूक के चरण में दोनों। इसके अलावा, परिचालन लेनदारों के हितों को, जब एक समाधान योजना को मंजूरी दी जानी होती है, अच्छी तरह से देखा जाता है-क्योंकि परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान किया जाना है जो परिसंपत्तियों का परिसमापन मूल्य है। इसके अलावा, उनके हितों को वित्तीय लेनदारों के हितों के बराबर रखा जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजनाओं को अस्वीकार करने या संशोधित करने के लिए हस्तक्षेप करता है जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता है। संहिता लागू होने के बाद से हल किए गए *80* मामलों में, इस न्यायालय को आंकड़े यह इंगित करने के लिए भी दिखाए गए थे कि समाधान योजना के तहत न केवल परिचालन लेनदारों को वित्तीय लेनदारों के समक्ष भुगतान किया जाता है, बल्कि उन्हें जो बकाया है उसकी

प्रारंभिक वसूली वित्तीय लेनदारों को देय राशि की तुलना में थोड़ी अधिक है। जहाँ तक धारा *12* ए का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब किसी लेनदार द्वारा आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो कार्यवाही आरईएम में एक कार्यवाही बन जाती है और अब यह एक व्यक्तिगत कार्यवाही नहीं है, बल्कि एक सामूहिक कार्यवाही है। इस मामले में, यह महत्वपूर्ण है कि जब एक समाधान प्रक्रिया शुरू की जानी है और लेनदारों की एक समिति का गठन किया जाता है, तो यह वह समिति है जो आवेदनों से निपटने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित है।

दिवाला याचिका स्वीकार करने के बाद निकासी या निपटान। नब्बे

इस तरह के लेनदारों के प्रतिशत को यह कार्य दिया गया है कि एक बार कार्यवाही शुरू होने के बाद ऐसी कार्यवाही को रोका जाए, जो इसके लाभ के लिए है -

सभी लेनदार आम तौर पर तभी हो सकते हैं जब उनमें से सभी या अधिकांश इसके लिए सहमत हों। उन्होंने तर्क दिया कि समाधान पेशेवर के पास संहिता या विनियमों के तहत कोई न्यायिक शक्तियां नहीं हैं, लेकिन केवल मिलान करने के लिए है

जानकारी दी। यहां तक कि जब वह कुछ स्थितियों में अपने सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो वह ऐसा प्रशासनिक रूप से करता है, और इसकी देखरेख करने वाले एक न्यायिक निकाय के अधीन होता है। जब संहिता की धारा *29* ए की बात आती है, तो उन्होंने तर्क दिया कि धारा *29* ए किसी भी निहित या मौजूदा अधिकारों को बाधित नहीं करती है, क्योंकि एक समाधान आवेदक के पास कोई निहित या मौजूदा अधिकार नहीं हैं जिन्हें बाधित किया जा सकता है, जैसा कि आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *v.* सतीश कुमार गुप्ता और

ओआरएस। , सिविल अपील सं। *9402-9405 / 2018 [04.10.2018] ["आर्सेलर मित्तल"]* पर निर्णय लिया। इसके अलावा, केवल इसलिए कि यह धारा निर्भर करती है -

इसके अनुप्रयोग के लिए पूर्ववर्ती तथ्यों का मतलब यह नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[आर. एफ. नरीमन, जे.]*

इसके अलावा, धारा *29* ए संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो यह देखना है कि इसके सभी खंडों में उल्लिखित अवांछनीय व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है ताकि ऐसे व्यक्ति तनावग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों के प्रबंधन में न आ सकें। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा *29* ए केवल उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्होंने कदाचार के कार्य किए हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए भी है जिन्होंने अन्यथा किया है।

निगमित देनदार के प्रबंधन के भार में डालने के लिए अयोग्य, जैसे कि अविमुक्त दिवालिया और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *164* के तहत निदेशक के रूप में हटा दिया गया है *(*दाखिल नहीं करने के लिए*)*

उदाहरण के लिए, *3* वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न*)*। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक वर्ष की अवधि पर्याप्त अवधि है जिसके भीतर एक व्यक्ति, जिसके खाते को एन. पी. ए. घोषित किया गया है, को अपने बकाया का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने एन. पी. ए. से निपटने वाले आर. बी. आई. विनियमों का उल्लेख किया और कहा कि किसी व्यक्ति के खाते को एन. पी. ए. घोषित करने से

पहले, ऐसे व्यक्ति को अपने ऋणों को चुकाने के लिए एक लंबी रस्सी दी जाती है। ऐसा न करने पर ही उसके खाते को पहली बार में एन. पी. ए. घोषित किया जाता है। साथ ही, एक बार उक्त दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि एक खाता, जो एक वर्ष से एन. पी. ए. है, उसे घटिया परिसंपत्ति घोषित किया जाता है और यही कारण है कि एक वर्ष की अवधि धारा *29* ए *(सी)* में दी गई है, जो कारण पर आधारित है, और मनमाना नहीं है।

5. परिसंपत्ति की ओर से उपस्थित श्री सी. यू. सिंह

रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संहिता लागू होने से पहले कानून की पूर्व-मौजूदा स्थिति का उल्लेख किया और विस्तार से उल्लेख किया कि कैसे ऐसे सभी कानून आवश्यक परिणाम देने में विफल रहे थे। उन्होंने अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के दिवाला अधिनियम, *1986* के उद्धरणों पर भी भरोसा किया कि दुनिया भर में दिवाला अधिनियम केवल परिसमापन से दूर चले गए हैं ताकि पहले कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा, उनके अनुसार, धारा *29* ए कोई ऐसी धारा नहीं है जिसका उद्देश्य कदाचार करना है। इसका उद्देश्य अयोग्य व्यक्तियों को, जो व्यापक अर्थों में अवांछनीय हैं, अर्थात् ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत करना है जो निगमित देनदार का प्रबंधन संभालने के लिए अयोग्य हैं।

प्रोलॉगः कानून का पूर्व-लागू होने वाला राज्य

6. प्रतिद्वंद्वी विवादों को सुनने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि पहले हवा को साफ किया जाए कि कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके कारण अधिनियम बनाया गया था

दिवाला संहिता। दिवालियापन कानून सुधार समिति *["*बी. एल. आर. सी*".]* ने अपनी रिपोर्ट दिनांक *04.11.2015* में पूर्ववर्ती शासन, जिसके कारण दिवाला संहिता लागू हुई, पर चर्चा की थीः

"फर्मों के लिए दिवालियापन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति एक अत्यधिक खंडित ढांचा है। दिवाला के तहत लेनदार और देनदार की शक्तियां विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाती हैं। के समाधान में लेनदारों और देनदारों के बीच संघर्ष को देखते हुए

धारा *3.2* में वर्णित दिवाला। *2* , इसकी संभावनाएँ

जब अधिकारों को अलग से परिभाषित किया जाता है तो समाधान में स्थिरता और दक्षता कम होती है। यह समस्याग्रस्त है कि इन विभिन्न कानूनों को विभिन्न न्यायिक मंचों पर लागू किया जाता है। न्यायाधिकरण/बी. आई. एफ. आर. में निर्णय लिए जाने वाले मामले अक्सर उच्च न्यायालयों में समीक्षा के लिए आते हैं। यह कार्यान्वयन में दो प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है समाधान ढांचा। पहला अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता की कमी है। ऐसी स्थिति में जहां एक मंच संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है

लेनदार के अधिकार, जबकि दूसरा देनदार के अधिकारों से संबंधित निर्णय लेता है, निर्णयों के खिलाफ आसानी से अपील की जाती है और या तो रोक लगाई जाती है या उच्च न्यायालय में पलट दिया जाता है। आदर्श रूप से, यदि

आर्थिक मूल्य को वास्तव में संरक्षित किया जाना है, एक ही मंच होना चाहिए जो मामले के दोनों पक्षों को सुने और दोनों के आधार पर निर्णय ले। दूसरी समस्या कई न्यायिक मंचों की समस्याओं को बढ़ा देती है। दिवाला और दिवालियापन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सौंपे गए मंचों के पास ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए व्यवसाय या वित्तीय विशेषज्ञता, जानकारी या बैंडविड्थ नहीं हो सकती है। यह किसी परिणाम पर पहुंचने में देरी और विस्तार की ओर ले जाता है, और अपीलों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

परिणाम। इन समस्याओं को जन्म देने वाली अनिश्चितता सामने आती है।

मामले में

भारत में दिवाला और दिवालियापन के मामलों पर कानून। न्यायिक मिसाल "केस लॉ" द्वारा निर्धारित की जाती है जो वैधानिक कानूनों को तैयार करने में मदद करती है। ये, कुछ मामलों में, नए मूल कानून का उच्चारण भी कर सकते हैं जहां क़ानून और पूर्ववर्ती मौन हैं। *(* रवि, *2015)* बी. आई. एफ. आर. मामलों, डी. आर. टी. एस. और डी. आर. ए. टी. पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा करता है जिनका बी. आई. एफ. आर. मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

मौजूदा दिवाला कानून की व्याख्या। समीक्षा किए गए निर्णय जून *2002* के बाद के हैं जब सरफेसी अधिनियम लागू हुआ था

प्रभाव में आया। यह देनदार और लेनदार दोनों के नेतृत्व में कॉर्पोरेट दिवालियापन की प्रक्रिया का उदाहरण है, और एक मैट्रिक्स का खुलासा करता है

सुसंगत और विपरीत के बजाय खंडित और विपरीत परिणाम

सुसंगत, पूर्ववर्ती के रूप में निर्धारित किया जा रहा है।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विधायी और न्यायिक अनिश्चितता के ऐसे वातावरण में, दिवाला और दिवालियापन पर परिणाम खराब हैं। विश्व बैंक *(2014)* की रिपोर्ट है कि दिवालियापन को हल करने के लिए औसत समय चार है

भारत में वर्ष, सिंगापुर में *0.8* वर्ष और लंदन में *1* वर्ष की तुलना में। सेनगुप्ता और शर्मा, *2015* ने यू. के. में कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए दायर होने वाले नए मामलों की संख्या की तुलना एस. आई. सी. ए., *1985* के तहत बी. आई. एफ. आर. में दर्ज मामलों की स्थिति के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, *1956* के तहत परिसमापन के लिए दायर मामलों से की। वे इसकी तुलना यू. के. में मामलों की फाइलों की संख्या से करते हैं, और उन मामलों में काफी अधिक कारोबार पाते हैं जो दिवालिया प्रक्रिया के माध्यम से दायर और साफ़ किए जाते हैं।

इसके बाद *1938* का अधिनियम, *1978* का सुधार अधिनियम, *1984* का अधिनियम, *1994* का अधिनियम, *2005* का एक संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। सिंगापुर ने *2013* में दिवालियापन सुधार का प्रस्ताव रखा, जबकि अमेरिका और सिंगापुर में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इस वर्ष *2015* में इतालवी दिवालियापन ढांचा। इनमें से कई संरचनात्मक सुधार हैं जिनका समाधान करने पर मौलिक प्रभाव पड़ता है।

दिवालियापन।

बीएलआरसी ने आगे कहाः

"[... .....] भारत दुनिया के सबसे युवा गणराज्यों में से एक है, जिसमें सबसे अधिक गतिशील उद्यमी हैं। फिर भी ये गेम चेंजर्स और विकास चालक एक ऐसे वातावरण से अपंग हैं जो ऋण पर बकाया चुकाते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए विश्व मानकों द्वारा सबसे लंबे समय और उच्चतम लागतों में से कुछ लेता है। यह समस्या गंभीर परिणामों की ओर ले जाती हैः अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में भारत के पास सबसे कम ऋण है।

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विशेष रूप से युवाओं के लिए एक परेशान करने वाली स्थिति है।

भारत की उद्यमशीलता की गतिशीलता के साथ उभरती अर्थव्यवस्था "।

XXX XXX XXX

"दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जबकि 'शांत अवधि' एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ उतनी ही परिसंपत्तियों के रूप में कम होता जाता है

मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है। इसलिए, जब

विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली प्राप्त करना

दर मुख्य रूप से स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है

विलम्ब। यही विचार एफ. एस. एल. आर. सी. *(*वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग*)* के वित्तीय फर्मों की विफलता के उपचार में पाया जाता है। दृढ़ विफलता से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचे को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य गति की आवश्यकता है।

पूर्व-विद्यमान परिदृश्य हमारे कुछ विचारों में देखा गया है। मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. सामरिक और वित्तीय पुनर्निर्माण और अन्य के लिए बोर्ड। *, (2016) 4* एससीसी *1,*अदालत ने पाया किः

स्वयं और बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* की उपयोगिता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। द. समिति ने आगे बताया कि बीमार स्विस रिबन्स पी. वी. टी. की प्रभावशीलता।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985*, जैसा कि पहले बताया गया है, बी. आई. एफ. आर. द्वारा मामलों के निपटारे में भारी देरी के कारण गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। *(* रिपोर्ट के पैरा *5.8,5.9* और *5.15* देखें।*)* नतीजतन, समिति ने सिफारिश की कि बीमार औद्योगिक कंपनियाँ

(विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* को निरस्त किया जाना चाहिए और इसके तहत पुनरुद्धार और पुनर्वास के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, *1956* की संरचना में ही शामिल किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

XXX XXX XXX " 43 ..... वास्तव में, एक अन्य दिलचस्प दस्तावेज बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* की धारा *36 (2)* के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए गए वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट है। तालिका *IV.14* में रिपोर्ट संबंधित आंकड़े प्रदान करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में रुझान बैंक-वार, समूह-वार। उक्त तालिका के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की प्रारंभिक शेष राशि वर्ष *2011-2012* के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक *746* अरब रुपये थे लेकिन *2011-2012* के लिए समापन शेष राशि केवल *1172* अरब रुपये थी। प्रतिभूतिकरण के माध्यम से वसूल की गई कुल राशि और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन

ब्याज अधिनियम, *2002* के दौरान *2011-2012* ने पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की, लेकिन फिर भी, इसके तहत वसूल की गई राशि

उक्त अधिनियम कुल वसूली गई राशि का *70* प्रतिशत था। बैंकों को देय ऋणों की वसूली के तहत वसूल की गई राशि

और वित्तीय संस्थान अधिनियम, *1993* का गठन केवल *28* प्रतिशत था। यह सब दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जो राशि वसूलनी है, वह चौंका देने वाले आंकड़ों में है और आखिरकार कम से कम एक वैधानिक उपाय कुछ हद तक प्रभावी साबित हुआ है। इस न्यायालय को ऐसी व्याख्या देने से घृणा होगी जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, *2002* के तहत वसूली प्रक्रिया को विफल कर दे, जो अकेले अधिनियम कम से कम कुछ हद तक काम करता है।

इसी तरह, अभिनव उद्योगों *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने पाया किः

" 13. संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भारत में दिवाला कानून को *[2019] 3* एस. सी. आर. के साथ एकल एकीकृत छत्र के तहत लाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाने का उद्देश्य। *2016* में विश्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत को औसतन *4.3* साल लगे, जो यूनाइटेड किंगडम *(1* वर्ष*)*, संयुक्त राज्य अमेरिका *(*डेढ़ वर्ष*)* की तुलना में बहुत अधिक था।

और दक्षिण अफ्रीका *(2* वर्ष*)*। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ़ डूइंग
व्यापार सूचकांक, *2015* ने विभिन्न पहलुओं के आधार पर दिवालियापन के समाधान में आसानी के आधार पर भारत को *190* देशों में *135* वें स्थान पर रखा।

इसके अलावा, इस न्यायालय ने आर्सेलर मित्तल *(*ऊपर*)* में कहाः
" 62. पिछला कानून, अर्थात् बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985* और देय ऋणों की वसूली

बीमार कंपनियों के पुनर्वास और पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान
उनके द्वारा लिए गए ऋण पूरी तरह से विफल पाए गए। यह

मद्रास पेट्रोकेम में हमारे फैसले पर ध्यान दिया गया था

औद्योगिक और वित्तीय

लिमिटेड वी. बोर्ड

के लिए

पुनर्निर्माण *(2016) 4* एस. सी. सी. *1 "*।

" 63. इन दोनों अधिनियमों के बाद प्रतिभूतिकरण हुआ।
वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रवर्तन

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, *2002*। जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है,
उक्त अधिनियम के तहत वसूल की गई राशि में सुधार दर्ज किया गया

पिछले दो अधिनियम, लेकिन यह अभी तक पाया गया था

अपर्याप्त "।

न्यायिक हाथ-ऑफ क्यू. यू. ए. आर्थिक कानून

7. संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक समय पर, *19* वीं शताब्दी के न्यायमूर्ति स्टीफन फील्ड के असहमति को बहुमत की राय में अनुवादित किया गया था

20 वीं शताब्दी की शुरुआत। इसे लोच्नर युग के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसमें अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने *40* वर्षों की अवधि में लगातार ऐसे कानून को रद्द कर दिया जो आर्थिक प्रकृति का था जैसा कि इस तरह के कानून ने किया था।

न, न्यायालय के अनुसार, संपत्ति अधिकारों के साथ वर्ग। नतीजतन, बड़ी संख्या में न्यूनतम मजदूरी कानून, कारखानों के कानूनों में काम के अधिकतम घंटे, बाल श्रम कानून आदि को रद्द कर दिया गया। परिणाम, जैसा कि सर्वविदित है, यह है कि राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने एक कोर्ट-पैकिंग योजना शुरू की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस से प्राधिकरण प्राप्त करने की मांग की, जिन्होंने तब लोच्नर लाइन के उदाहरणों को खारिज कर दिया होता। जैसे-जैसे यह निकला, यह अनावश्यक हो गया क्योंकि जस्टिस स्विस रिबन्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[आर. एफ. नरीमन, जे.]*

आर. टी. एस. ने अपना वोट बदल दिया ताकि *5: 4 1937* के बाद से आर्थिक कानून। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ई होम्स और जस्टिस ब्रैंडेस के मतभेद अब कानून बन गए। न्यायमूर्ति होम्स ने लोच्नर बनाम में अपनी असहमति व्यक्त की। न्यूयॉर्क, *198* यू. एस. *45 (1905)* ने कहाः

"यह मामला एक आर्थिक सिद्धांत पर तय किया जाता है जिसे देश का एक बड़ा हिस्सा स्वीकार नहीं करता है। अगर यह सवाल था कि क्या मैं उस सिद्धांत से सहमत हूं, तो मुझे अपना मन बनाने से पहले इसका और अधिक अध्ययन करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन मैं इसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि मेरी सहमति या असहमति

कानून में अपनी राय को मूर्त रूप देने के बहुमत के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह तय होता है कि राज्य के संविधान और राज्य के कानून कई तरीकों से जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं।

जिसे हम, विधायक के रूप में, अनुचित मान सकते हैं, या, यदि आप चाहें, तो अत्याचारी मान सकते हैं, और जो इसके साथ समान रूप से हस्तक्षेप करते हैं।

अनुबंध करने की स्वतंत्रता। रविवार के कानून और ब्याज कानून प्राचीन उदाहरण हैं। एक अधिक आधुनिक लॉटरी का निषेध है। नागरिक की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, जब तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है।

कुछ जाने-माने लेखकों के लिए, स्कूल के कानूनों द्वारा, डाकघर द्वारा, प्रत्येक राज्य या नगरपालिका संस्थान द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है जो उसके पैसे को वांछनीय उद्देश्यों के लिए लेता है, चाहे वह उसे पसंद करे या नहीं। चौदहवाँ संशोधन श्री हर्बर्ट स्पेंसर के सोशल स्टैटिक्स को लागू नहीं करता है। दूसरे दिन, हमने मैसाचुसेट्स टीकाकरण कानून को बनाए रखा। जैकबसन बनाम। मैसाचुसेट्स, *197* यू. एस. संयुक्त राज्य अमेरिका और राज्य के कानून और संयोजन के माध्यम से अनुबंध करने की स्वतंत्रता में कटौती करने वाले निर्णय इस अदालत से परिचित हैं। उत्तरी प्रतिभूति कंपनी *v.* संयुक्त राज्य अमेरिका, *193* यू. एस. *197.* दो साल पहले, हमने स्टॉक की बिक्री पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था

के संविधान में मार्जिन पर या भविष्य में वितरण के लिए कैलिफोर्निया। ओटिस वी। पार्कर, *187* यू. एस. *606* निर्णय को बनाए रखना

खनिकों के लिए आठ घंटे का कानून अभी भी हाल ही में है। होल्डन वी. हार्डी, *169* अमेरिकी *366*। इनमें से कुछ कानूनों में विश्वास या पूर्वाग्रह शामिल हैं। जिन न्यायाधीशों के साझा करने की संभावना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा न करें। लेकिन संविधान का उद्देश्य किसी विशेष आर्थिक सिद्धांत को मूर्त रूप देना नहीं है, चाहे वह पितृत्व और राज्य के साथ नागरिक के जैविक संबंध का हो।

या लैसेज़ फेयर का।

यह मौलिक रूप से अलग-अलग विचारों वाले लोगों के लिए बनाया गया है, और कुछ विचारों को स्वाभाविक और परिचित या नए और यहां तक कि चौंकाने वाले खोजने की दुर्घटना से *[2019] 3* एस. सी. आर. पर हमारे निर्णय का समापन नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सवाल यह है कि क्या उन्हें मूर्त रूप देने वाले कानून के साथ संघर्ष करते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।

सामान्य प्रस्ताव ठोस मामलों का निर्णय नहीं करते हैं। निर्णय किसी भी स्पष्ट प्रमुख आधार की तुलना में अधिक सूक्ष्म निर्णय या अंतर्ज्ञान पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी-अभी कहा गया प्रस्ताव, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमें अंत की ओर ले जाएगा। प्रत्येक राय एक कानून बन जाती है। मुझे लगता है कि चौदहवें संशोधन में स्वतंत्रता शब्द को विकृत कर दिया गया है जब इसे प्राकृतिक स्वतंत्रता को रोकने के लिए माना जाता है।

हमारे लोगों की परंपराओं और हमारे कानून द्वारा समझा गया। यह दिखाने के लिए शोध की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सामने कानून पर ऐसी कोई व्यापक निंदा नहीं की जा सकती है। एक समझदार व्यक्ति इसे स्वास्थ्य के आधार पर एक उचित उपाय मान सकता है। जिन लोगों को मैं निश्चित रूप से अनुचित उच्चारण नहीं कर सके तो यह काम के घंटों के सामान्य विनियमन की पहली किस्त के रूप में बरकरार रहेगा। क्या बाद के पहलू में यह असमानता के आरोप के लिए खुला होगा, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना अनावश्यक है।

इसी तरह, न्यू स्टेट आइस कंपनी *v.* लिबमैन, *285* यू. एस. *262 (1932)*, सीई ब्रैंडेस ने जस्टिस होम्स को इस प्रकार प्रतिध्वनित कियाः

"भौतिक विज्ञान में खोज, आविष्कार में विजय,

परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया के मूल्य को प्रमाणित करें। बड़े पैमाने पर, ये प्रगति प्रयोगों के कारण हुई है। उन क्षेत्रों में दो शताब्दियों से प्रयोग न केवल स्वतंत्र रहे हैं बल्कि प्रोत्साहित भी किए गए हैं। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी वर्तमान दुर्दशा, कुछ हद तक, सामाजिक और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोगों पर अदालतों द्वारा निर्धारित सीमाओं के कारण है; और इस हतोत्साहित करने के कारण कि सुधार के लिए प्रस्तावों को किस हद तक प्रभावित किया गया है। अन्यथा। राज्यों और राष्ट्र में बदलती सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोगों के माध्यम से हमारी आर्थिक प्रथाओं और संस्थानों को फिर से बनाने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चौदहवें संशोधन के निर्माताओं, या जिन

राज्यों ने इसकी पुष्टि की, उनका इरादा हमें तकनीकी बेरोजगारी और अधिकता की बुराइयों को ठीक करने की शक्ति से वंचित करना था

उत्पादक क्षमता जो उपयोगी में प्रगति में भाग लिया है

कलाएँ।

नेर वी। न्यूयॉर्क, *198* यू. एस. *45,75-76 (1905)*।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सामाजिक और आर्थिक चीजों में प्रयोग करते रहना एक गंभीर जिम्मेदारी है। प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा हो सकता है। यह संघीय व्यवस्था की सुखद घटनाओं में से एक है कि एक साहसी राज्य

यदि इसके नागरिक चाहें, तो एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर सकते हैं और देश के बाकी हिस्सों के लिए जोखिम के बिना नए सामाजिक और आर्थिक प्रयोगों का प्रयास कर सकते हैं। इस न्यायालय के पास प्रयोग को रोकने की शक्ति है। हम उस क़ानून को रद्द कर सकते हैं जो इसे इस आधार पर मूर्त रूप देता है कि, हमारी राय में, उपाय मनमाना, मज़बूत या अनुचित है। हमारे पास ऐसा करने की शक्ति है, क्योंकि न्यायालय द्वारा नियत प्रक्रिया खंड मूल कानून के मामलों के साथ-साथ प्रक्रिया के मामलों पर भी लागू किया गया है। लेकिन इस उच्च के अभ्यास में

लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा न हो कि हम अपने पूर्वाग्रहों को कानूनी सिद्धांतों में खड़ा कर दें। अगर हम तर्क के प्रकाश से मार्गदर्शन करेंगे, तो हम हमारे दिमाग को साहसी होने देना चाहिए। *2*

लोच्नर सिद्धांत को अंततः फर्ग्यूसन बनाम में दफनाया गया था। स्क्रूपा,

जे. एस. *726 (1962)*, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"वर्तमान मामले में जिला न्यायालय और स्टोन में पेंसिल्वेनिया न्यायालय दोनों ने एडम्स बनाम के दर्शन को अपनाया। टैनर, और इस तरह के मामले, कि यह अदालतों का प्रांत है जो किसी विशेष व्यवसाय की नैतिकता, वैधता और उपयोगिता के बारे में अपने स्वयं के विचारों को आकर्षित करता है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कोई क़ानून बहुत अधिक है। उस व्यवसाय पर और ऐसा करने से, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। हमारे संविधान द्वारा बनाई गई सरकार की प्रणाली के तहत, यह विधायिकाओं पर निर्भर करता है, न कि अदालतों पर, कि वे विवेक और उपयोगिता पर निर्णय लें।

कानून। एक समय था जब नियत प्रक्रिया खंड था

इस न्यायालय द्वारा उन कानूनों को निरस्त करने के लिए उपयोग किया गया जिनके बारे में सोचा गया था अनुचित, अर्थात, किसी विशेष आर्थिक या सामाजिक दर्शन के साथ मूर्खतापूर्ण या असंगत। इस तरह, नियत प्रक्रिया खंड का उपयोग किया गया था, उदाहरण के लिए, बेकरी में काम के लिए अधिकतम घंटे निर्धारित करने वाले कानूनों को रद्द करने के लिए, लोच्नर बनाम। न्यूयॉर्क, *198* यू. एस. *45 (1905)*, "येलो डॉग" अनुबंधों को गैरकानूनी घोषित करते हुए, कॉपपेज बनाम। कान्सास, *236* यू. एस. *1 (1915)*, महिलाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, एडकिन्स बनाम। बाल अस्पताल, *261* यू. एस. *525 (1923)*, और रोटी का

वजन तय करना, जे बर्न्स बेकिंग कंपनी बनाम। ब्रायन *264* यू. एस. *504 (1924)*। न्यायपालिका द्वारा विधायी मूल्य निर्णयों के क्षेत्र में इस घुसपैठ का कड़ा विरोध किया गया था

स्टेट आइस कं. वी. लिबमैन, *285* यू. एस. *262,310-311 (1932)*।

उस समय, विशेष रूप से श्री जस्टिस होम्स और श्री जस्टिस ब्रैंडेस द्वारा। थिएटर और अन्य टिकटों के पुनर्विक्रय मूल्य को विनियमित करने वाले राज्य के क़ानून को अदालत द्वारा अमान्य करने से असहमति जताते हुए, न्यायमूर्ति होम्स ने कहा,

"मुझे लगता है कि उचित मार्ग यह स्वीकार करना है कि एक राज्य विधानमंडल जो कुछ भी करना उचित समझता है वह कर सकता है जब तक कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुछ स्पष्ट निषेध द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या राज्य की ओर से, और यह कि न्यायालयों को सावधान रहना चाहिए कि वे सार्वजनिक नीति की अवधारणाओं को पढ़कर ऐसे प्रतिबंधों को उनके स्पष्ट अर्थ से परे न बढ़ाएं, जिन पर विशेष न्यायालय विचार कर सकता है।

और, पहले के एक मामले में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि, 'संवैधानिकता का मानदंड यह नहीं है कि हम कानून को जनता की भलाई के लिए मानते हैं या नहीं' *[*एडकिन्स बनाम। बाल अस्पताल, *261* यू. एस. *525,567,570 (1923) (*असहमतिपूर्ण राय*)]*।

लोच्नर, कॉपपेज, एडकिन्स में प्रचलित सिद्धांत,

निकाय, जिन्हें कानून पारित करने के लिए चुना जाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *1941* में एक सर्वसम्मत राय में कहा था, "हम कानून के विवेक, आवश्यकता या उपयुक्तता से चिंतित नहीं हैं। *[* ओल्सन वी। नेब्रास्का पूर्व रिले। पश्चिमी संदर्भ और बॉन्ड एसोसिएशन। *, 313* यू. एस. *236,246 (1941) "* विधायी निकायों के पास आर्थिक समस्याओं के साथ प्रयोग करने की व्यापक गुंजाइश है, और यह न्यायालय राज्य को हमारे बुनियादी सिद्धांतों के प्रतिकूल असहनीय पर्यवेक्षण के अधीन करने के लिए नहीं बैठता है।

सरकार और पूरी तरह से उस संरक्षण से परे जिसे चौदहवें संशोधन के सामान्य खंड का उद्देश्य सुरक्षित करना था। बिनफोर्ड, *286* यू. एस. *374,388 (1932)*। अब यह तय हो गया है कि राज्यों के पास "अपने आंतरिक वाणिज्यिक और व्यावसायिक मामलों में हानिकारक प्रथाओं के खिलाफ कानून बनाने की शक्ति है, जब तक कि उनके कानून किसी विशिष्ट संघीय संवैधानिक निषेध या किसी वैध संघीय कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं" *[*लिंकन फेडरल लेबर यूनियन, आदि। नॉर्थवेस्टर्न आयरन एंड मेटल कंपनी, *335* यू. एस. *525,536 (1949)*।

"अस्पष्ट आकृति" के उपयोग के हमारे परित्याग के सामने *[*एडकिन्स बनाम। बाल अस्पताल, *261* यू. एस. *525,535 (1923)]* उन कानूनों को निरस्त करने के लिए जिन्हें न्यायालय का बहुमत आर्थिक रूप से मूर्खतापूर्ण मानता है, एडम्स बनाम पर निर्भर है। टैनर उतना ही गलत है जितना कि एडकिन्स बनाम का पालन। बच्चों का अस्पताल, वेस्ट कोस्ट होटल कं. वी. द्वारा खारिज किया गया। पैरिश, *300* यू. एस. *379 (1937)*। न केवल एडम्स के दर्शन को छोड़ दिया गया है, बल्कि लगभग *15* साल पहले इस न्यायालय को भी छोड़ दिया गया है।

स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की एक अन्य राय की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने एडम्स को "स्पष्ट रूप से कमजोर" किया है। _ *[* लिंकन फेडरल लेबर यूनियन, आदि। नॉर्थवेस्टर्न आयरन एंड मेटल कंपनी, *335* यू. एस. *525 (1949)*। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कान्सास विधानमंडल अपने लिए यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था कि ऋण समायोजन के व्यवसाय से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता थी। निर्विवाद रूप से, ऐसे तर्क हैं जो दर्शाते हैं कि ऋण समायोजन के व्यवसाय की सामाजिक उपयोगिता है, लेकिन इस तरह के तर्क उचित रूप से विधायिका को संबोधित किए जाते हैं, हमारे लिए नहीं। हम "कानून के विवेक को तौलने के लिए अति विधायी" के रूप में बैठने से इनकार करते हैं, *[*डे ब्रिट लाइटिंग, इंक., *v.* मिसौरी, *342* यू. एस. *421,423 (1923)]* और हम उस समय में वापस जाने से इनकार करते हैं जब अदालतों ने राज्य के कानूनों को निरस्त करने के लिए नियत प्रक्रिया खंड का उपयोग किया था।

स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉर्ड कीन्स या किसी अन्य को लेकर हमारी कोई चिंता नहीं है। कान्सास ऋण समायोजन क़ानून बुद्धिमानी या मूर्खतापूर्ण हो सकता है। लेकिन राहत, यदि किसी की आवश्यकता है, तो हमारे पास नहीं है, बल्कि कान्सास राज्य के लिए कानून पारित करने के लिए गठित निकाय के पास है। न ही वकीलों का क़ानून का अपवाद गैर-वकीलों को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार है। कानून कई वर्गीकरण बनाते हैं जो समान संरक्षण से इनकार नहीं करते हैं; यह केवल "दुर्भावनापूर्ण भेदभाव" है जो संविधान का उल्लंघन करता है। का व्यवसाय

ऋण समायोजन विश्वास के संबंध को जन्म देता है जिसमें ऋण

समायोजनकर्ता, दिवालियापन की स्थिति में, दिवालियापन में कार्यवाही के तरीके से परिसंपत्तियों का संचालन करेगा। ऋण समायोजनकर्ता के मुवक्किल को ऋणदाता लेनदार संबंधों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों या दिवालियापन अधिनियम के प्रावधानों-सलाह *[2019] 3* एस. सी. आर. के तहत उसके खिलाफ मौजूद विभिन्न दावों की वैधता के बारे में सलाह की आवश्यकता हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो एक गैर-वकील उसे कानूनी रूप से नहीं दे सकता है। यदि कान्सास राज्य

वकीलों के लिए ऋण समायोजन को सीमित करना चाहता है, समान सुरक्षा खंड

इसे मना नहीं करता है। हम इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि

कैनसस की विफलता से चौदहवें संशोधन का उल्लंघन हुआ है

कानून का शीर्षक उतना ही विशिष्ट होना चाहिए जितना अपीलार्थी सोचता है

कैनसस संविधान के तहत "। *3*

(जोर दिया गया*)*

8. इस देश में, यह न्यायालय आर. के. गर्ग बनाम. भारत संघ,

) 4 एस. सी. सी. *675* ने कहा हैः

"*8.* समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि संबंधित कानून

आर्थिक गतिविधियों को अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए भाषण, धर्म आदि की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूते कानून।

होम्स, जे. से कम किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि

विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं

किसी भी सिद्धांत या जलडमरूमध्य सूत्र के माध्यम से और यह है

विशेष रूप से आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में यह सच है। जहाँ, समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

इससे निपटने की आवश्यकता है, जोड़ों में अधिक खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए

विधायिका के लिए। अदालत को न्याय देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय का सम्मान

मोरे वी की तुलना में डाउड *[351* यू. एस. *457: 1* एल एड *2* डी *1485 (1957)]* जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहाः

"उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, हैं

न्यायिक आत्म-संयम के लिए अच्छे कारण, यदि न्यायिक सम्मान नहीं

विधायी निर्णय के लिए। आखिरकार विधायिका के पास है

नष्ट करें, पुनर्निर्माण के लिए नहीं। जब इन्हें जोड़ा जाता है
आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता, दायित्व

त्रुटि के लिए, विशेषज्ञों का विस्मयकारी संघर्ष, और संख्या
कई बार न्यायाधीशों को घटनाओं द्वारा खारिज कर दिया गया है-स्वयं

सीमा को न्यायिक ज्ञान का मार्ग माना जा सकता है और
संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता "।

गुसन वी। स्क्रूपा, *372* यू. एस. *726,728-733 (1962)*।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और इन्हें अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना चाहिए"; "कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है" और "निर्णय काफी हद तक अल्प और अस्पष्ट अनुभव पर आधारित एक भविष्यवाणी है"। प्रत्येक विधान, विशेष रूप से आर्थिक मामलों में, अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और यह प्रयोग पर आधारित है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का अनुमान नहीं लगा सकता है। जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक विधान में कठोरता और असमानताएँ हो सकती हैं, लेकिन केवल इसी कारण से इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। अदालतें, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि सचिव बनाम में बताया है, नहीं कर सकती हैं। सेंट्रल रॉयग रिफाइनिंग कंपनी *[94* एल एड *381 338* यू. एस. *604 (1950)]* को ऐसी खामियों और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाए। दुरुपयोग की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी विधायिका के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है जैसे कि किसी दैवीय विवेक, विकृतियों और इसके दुरुपयोग से।

कानून जो इसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा बनाया जा सकता है और इस तरह के विकृतियों और दुरुपयोग के खिलाफ प्रावधान कर सकता है। वास्तव में, इसके निर्माण पर कितना भी ध्यान दिया जाए, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो लागू करने में सक्षम नहीं है।

विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किया गया। इसलिए न्यायालय को ऐसे विधान की संवैधानिकता का निर्णय अपने प्रावधानों की व्यापकता के आधार पर करना चाहिए, न कि इसकी खामियों या असमानताओं या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के आधार पर। यदि कोई लापरवाही, असमानता या दुरुपयोग की संभावनाएं सामने आती हैं, तो विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी कानून बना सकती है। यही व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जिसे जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन और प्रेरणा करनी चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

XXX XXX XXX

19. यह सच है कि कुछ छूट और छूट दी जाती हैं।

विशेष वाहक बॉन्ड की खरीद में अपना बेनामी पैसा निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए, लेकिन यह एक प्रलोभन है जो *[2019] 3* एस. सी. आर. होना चाहिए।

काले धन का पता लगाने की पेशकश की। जिन लोगों ने कड़े कर कानूनों और कर विभाग के प्रयासों के बावजूद सफलतापूर्वक कर चोरी की है और अपनी आय या धन को छिपाया है, वे नहीं हैं।

उन्मुक्ति और छूट के माध्यम से कुछ प्रलोभन के बिना अपने बेनामी धन का खुलासा करने की संभावना है और यह अनिवार्य रूप से विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए कौन सी उन्मुक्ति और छूट पर्याप्त होगी। यह विचार करना न्यायालय के प्रांत के बाहर होगा कि क्या काले धन का खुलासा करने के उद्देश्य से कोई विशेष छूट या छूट आवश्यक है या नहीं। यह व्यावहारिक आधार पर विविध राजकोषीय और आर्थिक विचारों पर निर्भर करेगा। आवश्यकता और प्रशासनिक समीचीनता और इसमें एक निश्चित मात्रा में प्रयोग भी शामिल होंगे जिन पर न्यायालय निर्णय देने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। न्यायालय के पास इस तरह के आर्थिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक क्षमता और विशेषज्ञता नहीं होगी। न्यायालय संभवतः यह आकलन या मूल्यांकन नहीं कर सकता है कि किसी विशेष प्रतिरक्षा या छूट का क्या प्रभाव होगा और क्या यह उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। इतने सारे अभेद्य हैं जो इस निर्धारण में प्रवेश करेंगे कि न्यायालय के लिए यह बुद्धिमानी होगी कि वह किसी राय को खतरे में न डाले जहां

अर्थशास्त्री अलग हो सकते हैं। न्यायालय को जाँच करते समय

इस तरह के कानून की संवैधानिक वैधता, "लचीला, कठोर नहीं, दूरदर्शी, स्थिर, उदार, मौखिक नहीं" और न्यायालय को हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुन बनाम में प्रतिपादित संवैधानिक प्रस्ताव को ध्यान में रखना चाहिए। इलिनोइस *[94* यू. एस. *13]*, अर्थात्, "कि अदालतें विधायी निकायों के निर्णय के लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं"। न्यायालय को सामाजिक और आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों में विधायी निर्णय को स्थगित करना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि विधायी निर्णय का प्रयोग स्पष्ट रूप से मनमाना प्रतीत न हो। अदालत ने

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी बनाम में जो कहा, उसे लगातार याद दिलाना चाहिए। शहर का शिकागो *[57* एल एड *730: 228* यूएस *61 (1912)]:*

"सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो खराब आवास, अतार्किक और अवैज्ञानिक हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की आलोचना भी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। जो सबसे अच्छा है वह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, किसी भी विकल्प के ज्ञान पर विवाद या निंदा की जा सकती है। केवल सरकार की गलती हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। स्विस रिबन्स पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[आर. एफ. नरीमन, जे.]*

यह सच है कि एक या दूसरी छूट या छूट

अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए गए अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है।

कुशल तरीकों को अपनाकर संसाधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा और कर से बचने या बचत करने की दृष्टि से उपकरण। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।

मदद की क्योंकि जब कर की बात आती है तो मानव सरलता बहुत बड़ी होती है इस बात से बचना कि कर कानून बनाना लगभग असंभव होगा

जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, परीक्षण और त्रुटि विधि प्रत्येक विधायी प्रयास में निहित है

एक जिद्दी सामाजिक या आर्थिक मुद्दे से निपटना और यदि यह पाया जाता है

कि अधिनियम के तहत दी गई कोई प्रतिरक्षा या छूट दी जा रही है

कर चोरी या परिहार के लिए उपयोग किया जाता है जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं है,

अधिनियम में हमेशा संशोधन किया जा सकता है और दुरुपयोग को समाप्त किया जा सकता है। हम.

तदनुसार यह विचार है कि अधिनियम के प्रावधानों में से कोई भी नहीं यह अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है और इसकी संवैधानिक वैधता होनी चाहिए

बरक़रार रखा "।

(जोर दिया गया*)*

इसी तरह, भावेश डी. पैरिश बनाम। भारत संघ, *(2000) 5*

471 , इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 26. कुछ अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था को कमतर नहीं आंका जा सकता था। लेकिन रास्ते में

आर्थिक प्रगति, यदि अनौपचारिक प्रणाली की मांग की गई थी

एक अधिक संगठित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित, बेहतर विनियमन में सक्षम और अनुशासन, तो यह एक आर्थिक दर्शन था जो प्रतिबिंबित करता था

विचाराधीन कानून। इस तरह के दर्शन की अपनी खूबियां हो सकती हैं।

और कमियाँ। लेकिन ये आर्थिक नीति के मामले थे। वे.

स्वीकृत सिद्धांत यह है कि अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बदले हुए आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में

विषय से संबंधित लोगों की विशेषज्ञता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हस्तक्षेप किया। इस तरह के प्रतिबंध के परिणाम हो सकते हैं

बड़े पैमाने पर प्रभाव और एक संख्या के लिए घड़ी को पीछे रख सकते हैं वर्षों से। में दुर्बलताओं को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया

अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे में डाला जा सकता है और इसलिए, यह है यह आवश्यक है कि आर्थिक विधानों पर विचार करते समय, यह न्यायालय,

मनमानी कार्रवाई पर अंकुश लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करते हुए या असंवैधानिक कानून, केवल उन कुछ मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए

जहाँ विधान में परिलक्षित दृष्टिकोण होना संभव नहीं है

बिलकुल ले लिया "।

"30. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले एक और बात है जो हमें करनी चाहिए। विज्ञापन दें। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि धारा *45*-एस

अधिनियम को विभिन्न उच्च न्यायालयों और कुछ में चुनौती दी गई है

उन्होंने धारा *45*-एस के प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कब

एक टुकड़े के संचालन को बनाए रखने के लिए एक आवेदन पर विचार करना

कानून, और वह भी आर्थिक सुधार या परिवर्तन से संबंधित,

तब अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कि प्रावधान नहीं है

स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक, अदालतों को दिखाना चाहिए

उसी की प्रयोज्यता को बनाए रखने में न्यायिक प्रतिबंध। बस।

क्योंकि एक क़ानून जाँच के लिए आता है और कुछ तर्क योग्य होता है

मुद्दा उठाया जाता है, जो अदालतों को विचार करने के लिए राजी करता है

विवाद, विधायी इच्छा को आम तौर पर इसके तहत नहीं रखा जाना चाहिए इस तरह के विचार के लंबित रहने तक निलंबन। यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि

संवैधानिक वैधता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है।

किसी भी विधान का, जब तक कि उसे अंतिम सुनवाई के बाद अलग नहीं कर दिया जाता है और, इसलिए, संबंधित कानून पर रोक लगाने की प्रवृत्ति

अंतरिम चरण में आर्थिक सुधार को समझा नहीं जा सकता है। द.

इसके संवैधानिक पर संदेह करके इसके विकास को निलंबित करने के बजाय सीमा पर ही प्रभावकारिता "।

(जोर दिया गया*)*

विदेश व्यापार के महानिदेशक बनाम। कनक निर्यात, *(2016) 2* एस. सी. सी. *226,*

अदालत ने कहा हैः

अच्छी तरह से तय किया गया है कि जटिल आर्थिक मामलों में हर निर्णय है अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य और यह प्रयोग या क्या पर आधारित है

इसे परीक्षण और त्रुटि विधि कहा जा सकता है और इसलिए इसकी वैधता नहीं हो सकती है।

किसी भी कठोर पूर्व विचार या आवेदन पर परीक्षण किया जाएगा कोई भी स्ट्रेटजैकेट सूत्र। बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। संघ

एस. सी. सी. *333],* उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यपालिका सहित कानून आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्रवाई को व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए।

भाषण की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अक्षांश,

धर्म, आदि कि विधायिका को कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए

जोड़ों को जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो स्विस रिबन्स पी. वी. टी. करते हैं।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

किसी भी सिद्धांत या स्ट्रैटजैकेट सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करता है और यह विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है, जहां आर्थिक मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

अधिक अक्षांश की समस्याओं को अनुमति देने की आवश्यकता है

विधायिका "।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016* की संवैधानिक प्रक्रिया को इसी तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि के साथ देखा जाना चाहिए।

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के लिए कारण

9. संहिता के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को अभिनव उद्योगों *(*ऊपर*)* में संदर्भित किया गया है जिसमें कहा गया हैः

" 12. ..... संहिता के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

यह नीचे लिखा हैः

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण। भारत में दिवाला और दिवालियापन से संबंधित कोई एक भी कानून नहीं है। कंपनियों के लिए दिवाला और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* अधिनियम, *1985*, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, *1993*, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, *2002* और कंपनी अधिनियम, *2013* में पाए जा सकते हैं। इन कानूनों में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड *(*बी. आई. एफ. आर.*)*, ऋण वसूली न्यायाधिकरण *(*डी. आर. टी.*)* और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण *(*एन. सी. एल. टी.*)* और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे कई मंचों के निर्माण का प्रावधान है।

कंपनियों का परिसमापन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से प्रेसीडेंसी के तहत निपटा जाता है नगर दिवाला अधिनियम, *1909* और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, *1920* और न्यायालयों द्वारा निपटा जाता है। मौजूदा ढांचा

दिवाला और दिवालियापन अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में अनुचित देरी होती है, इसलिए, प्रस्तावित

कानून।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2015* का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान, साझेदारी से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

अधिकतमकरण के लिए समयबद्ध तरीके से फर्म और व्यक्ति

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता और संतुलन

[2019] 3 एस. सी. आर. में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हित।

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता और एक

दिवाला और दिवालियापन कोष और इससे जुड़े मामले इसके साथ या उससे आनुषंगिक। एक प्रभावी कानूनी ढांचा

दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान से ऋण बाजारों के विकास में सहायता मिलेगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह व्यवसाय करने की सुगमता में भी सुधार करेगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।

उपयोगिताएँ। बोर्ड की स्थापना होने तक, केंद्र सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी या बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक को नामित करेगी। दिवाला पेशेवर संहिता में परिकल्पित दिवाला समाधान, परिसमापन और दिवालियापन कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करेंगे। सूचना उपयोगिताएँ इस तरह की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र करेंगी, एकत्रित करेंगी, प्रमाणित करेंगी और प्रसारित करेंगी। संहिता में एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसे कहा जाएगा संहिता में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत की दिवाला और दिवालियापन निधि।

4. संहिता में भारतीय साझेदारी अधिनियम, *1932*, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944*, सीमा शुल्क अधिनियम, *1962*, आयकर अधिनियम, *1961*, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, *1993*, वित्त अधिनियम, *1994*, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, *2002*, बीमार औद्योगिक कंपनी *(*विशेष प्रावधान*)* निरसन अधिनियम, *2003*, भुगतान और

निपटान प्रणाली अधिनियम, *2007*, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, *2008* और कंपनी अधिनियम, *2013* में संशोधन का प्रावधान है।

5. संहिता उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

(मूल में जोर*)*

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

10. संहिता की प्रस्तावना में इस प्रकार कहा गया हैः

"संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और संबंधित मामलों सहित सभी हितधारकों के लिए
इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

11. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। कोड सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, ए निगमित ऋणदाताओं के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए संहिता।

जब तक ऐसा पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण ताकि वे कुशलता से चल सकें

चिंता करना संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जब, इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार लाया जाता है

आर्थिक मुख्यधारा में वापस, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। संस्थाएं। सबसे बढ़कर, अंततः सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है- श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो लाल रंग में है, एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा, समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा

ऋण बाजारों का विकास। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार में आसानी होती है

जो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है यदि कोई समाधान योजना या समाधान योजना नहीं है।

प्रस्तुत किए गए अंक तक नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है। *[*देखें।

आर्सेलर मित्तल *(ऊपर)* पैराग्राफ *83* पर, फुटनोट *3]*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।

निगमित देनदार अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा निगमित मृत्यु से। इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। इसलिए, निगमित देनदार के हितों को विभाजित कर दिया गया है और इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनके हितों से अलग कर दिया गया है। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि वास्तव में, उसके हितों की रक्षा करती है। अधिस्थगन

धारा *14* द्वारा अधिरोपित निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है। जिस समय सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से हो ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित कर सके।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्यों की नियुक्ति इस न्यायालय के न्यायाधीशों के विपरीत नहीं है। *13.* श्री रोहतगी ने तर्क दिया है कि मद्रास बार एसोसिएशन *(आई) (*उपरोक्त*)* और मद्रास बार एसोसिएशन के फैसलों के विपरीत

*(III) (*ऊपर*)*, कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *412 (2)* कानून की पुस्तक में जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप, चयन समिति के दो न्यायिक सदस्यों पर तीन नौकरशाहों का भार अधिक हो जाता है। *14.* आई. डी. *1* पर कंपनी संशोधन अधिनियम, *2017* लागू किया गया था जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *412* लागू की गई थी।

निम्नलिखित रूप में संशोधन किया गया थाः

" 412. न्यायाधिकरण और अपीलीय के सदस्यों का चयन

न्यायाधिकरण। —

XXX XXX XXX

(2) न्यायाधिकरण के सदस्यों और अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति इस सिफारिश पर की जाएगी।

एक चयन समिति जिसमें

(क*)* भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष*;*

(ख) उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश-सदस्य*;*
स्विस रिबन्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(ग) निगमित कार्य मंत्रालय में सचिव सदस्य*;*

और

(घ) विधि मंत्रालय में सचिव और न्याय सदस्य।

(2 - (क) जहां चयन समिति की बैठक में किसी भी मामले में मतों की समानता होती है, वहां अध्यक्ष के पास मतदान करने का अधिकार होगा।
वोट करें "।

यह एक अधिसूचना दिनांक *09.02.2018* द्वारा लागू किया गया था। हालाँकि, भारत संघ द्वारा इन कार्यवाही के दौरान एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है। यह हलफनामा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक *(*उत्तरी क्षेत्र*)* डॉ. राज सिंह द्वारा दायर किया गया है। यह शपथ पत्र यह स्पष्ट करता है कि, के अनुपालन में कार्य करना

उपर्युक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था।

समिति। इस चयन समिति को आगे की नियुक्तियां करने के लिए *22.02.2017* पर पुनर्गठित किया गया था। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक *10.08.2015* के विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप, सभी वर्तमान एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यह मामला होने के कारण, हमें श्री रोहतगी की पहली प्रस्तुति के संबंध में खुद को और हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

एन. सी. एल. ए. टी. बेंच केवल दिल्ली में है।

15. श्री रोहतगी ने तर्क दिया है कि मद्रास बार एसोसिएशन *(II) (*ऊपर*)* में हमारे फैसले के अनुसार, पैराग्राफ *123* इस प्रकार हैः

" 123. हम पहले एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5* की वैधता की जांच करेंगे। चौथे विवाद के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे की गई दलीलों पर विचार करते समय उपरोक्त प्रावधान को चुनौती देने का आधार हमारे द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* में कहा गया है कि एन. टी. टी. के पास आम तौर पर अपने अधिकार होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैठकें। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उपरोक्त जनादेश मुकदमेबाजी करने वाले निर्धारिती को अधिकार क्षेत्र उच्च *[2019] 3* एस. सी. आर. से संपर्क करने की सुविधा से वंचित कर देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस राज्य का न्यायालय जिसमें वह संबंधित है। एक निर्धारिती हो सकता है

किसी दूर के/सुदूर राज्य में, जिस स्थिति में वह केवल लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे

यात्रा में अनावश्यक वित्तीय खर्च भी होगा। इसी तरह,

किसी सुदूर राज्य के वादी निर्धारिती को यह अत्यधिक लग सकता है एक ऐसे अधिवक्ता की पहचान करना कठिन और असुविधाजनक है जो

हालाँकि हमने यह विचार व्यक्त किया है कि यह संसद के लिए खुला है क्षेत्राधिकार में निहित अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करने के लिए

उच्च न्यायालय और उक्त का प्रयोग करने के लिए न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का गठन

अधिकारिता, हमारा विचार है, कि अधिकारिता निहित करते हुए

एक वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण, विधायिका के लिए यह अनिवार्य है कि

यह सुनिश्चित करें कि निवारण उसी सुविधा के साथ उपलब्ध होना चाहिए

न्यायालय/न्यायाधिकरण का निर्माण किया। इस प्रकार देखा गया कि जनादेश में शामिल किया गया है एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* इस प्रभाव के लिए कि एन. टी. टी. की बैठकें

कानून में अस्वीकार्य। मामले का तात्कालिक पहलू था प्रशासनिक के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया

एस. पी. संपत कुमार मामले में न्यायाधिकरण अधिनियम, *1985 [*एस. पी. संपत

कुमार बनाम। भारत संघ, *(1987) 1* एस. सी. सी. *124: (1987) 2* एटीसी *82]*

और एल. चंद्र कुमार मामला *[*एल. चंद्र कुमार बनाम। संघ का

अभिनिर्धारित किया कि सीट पर स्थायी पीठों की स्थापना की आवश्यकता है प्रत्येक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय से। और अगर यह संभव नहीं था, तो

कम से कम हर स्थान पर एक सर्किट बेंच स्थापित करने की आवश्यकता है

जहाँ एक व्यथित पक्ष अपने उपचार का लाभ उठा सकता है। पद की स्थिति

उपरोक्त मुद्दे पर वर्तमान विवाद में कोई अंतर नहीं है। के लिए

उपरोक्त कारण से, एन. टी. टी. अधिनियम की धारा *5 (2)* स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून। ”

(जोर दिया गया)

16. विद्वान महान्यायवादी ने हमें आश्वासन दिया है कि यह

नेन्ट का पालन किया जाएगा और सर्किट बेंच की स्थापना की जाएगी

जैसा कि यह व्यवहार्य है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इसे दर्ज करते हैं

जारी करना और भारत संघ को सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्देश देना

आज से *6* महीने की अवधि के भीतर।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायाधिकरण गलत मंत्रालय के तहत काम कर रहे हैं

17. श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि मद्रास बार एसोसिएशन *(*आई*) (*उपरोक्त*)* में, अनुच्छेद *120 (xii)* विशेष रूप से इस प्रकार है:

" 120 हम ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं
अधिनियम के भाग *I-B* और *I-C* में दोष -

XXX XXX XXX

(xii) सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता विधि और न्याय मंत्रालय से होनी चाहिए। न तो न्यायाधिकरण और न ही

उनके सदस्य संबंधित प्रायोजक या मूल मंत्रालयों या विभाग से सुविधाओं की तलाश करेंगे या उन्हें प्रदान किया जाएगा।

चिंतित हैं।

XXX XXX "

भले ही इस फैसले की तारीख को आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन इन न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक समर्थन जारी है

निगमित कार्य मंत्रालय। इसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है। *18.* हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद *77 (3)* और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर इशारा किया

मामले प्रकृति में अनिवार्य हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। *19.* यह स्पष्ट है कि व्यवसाय के नियम, प्रकृति में अनिवार्य होने के कारण और उनका पालन करने के कारण, कार्यपालिका को उनका पालन करना होगा।

सरकार की शाखा। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम मद्रास बार एसोसिएशन *(आई) (उपरोक्त)* में संविधान पीठ के फैसले से बंधे हैं। कानून का यह बयान आठ साल पहले दिया गया है। यह सही समय है कि भारत संघ इस न्यायालय के फैसले का अक्षर और भाव दोनों में पालन करे।

वित्तीय क्रेडिट और ऑपरेशनल के बीच वर्गीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के अनुसार, ऋणदाता के पास कोई अधिकार नहीं है।

20. भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* के उल्लंघन के लिए परीक्षण, जब कानून को *[2019] 3* एस. सी. आर. के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समानता, इस न्यायालय द्वारा बार-बार तय की गई है। चूँकि समानता केवल बराबर लोगों के बीच होती है, इसलिए न्यायालय को दिखाए जाने पर कोई भेदभाव नहीं होता है। कि एक बोधगम्य अंतर है जो दो प्रकार को अलग करता है

लेनदार तब तक जब तक लेनदारों के बीच कुछ तर्कसंगत संबंध हैं, कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इतना अंतर है। अनुच्छेद *14* के इस पहलू को शुरू से ही ऐसे निर्णयों में रखा गया है जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

21. कानून का एक और विकास यह है कि कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के रूप में रद्द किया जा सकता है। शायरा बानो *(ऊपर)* में हाल ही में संविधान पीठ के फैसले से यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" 95. प्राकृतिक संसाधनों में इस फैसले को पढ़ने पर

आबंटन मामला *[*प्राकृतिक संसाधन आबंटन, पुनः, *2012* का विशेष संदर्भ संख्या *1, (2012) 10* एस. सी. सी. *1],* यह स्पष्ट है कि

अदालत ने मैकडॉवेल *[*स्टेट ऑफ ए. पी. बनाम.*]* को नहीं पढ़ा। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709]* इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में कि कानून को कभी भी मनमाना होने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में न्यायालय, पहले के सभी निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, और अजय हासिया *[*अजय हासिया बनाम। खालिद मुजीब सेहरावर्दी, *(1981) 1* एस. सी. सी. *722 1981* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 258]* विशेष रूप से, जिसमें कहा गया था कि कानून को इस आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद *14* के तहत "मनमाना" है, ने निष्कर्ष निकाला कि जब कानून पर लागू किया जाता है तो "मनमानेपन" का शिथिल रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, यह परीक्षण को व्यापक रूप से आधारित करता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संवैधानिक दुर्बलता पाई जाती है, तो अनुच्छेद *14* ऐसी दुर्बलता को रोक देगा। और एक संवैधानिक दुर्बलता अनुच्छेद *14* में ही पाई जाती है जब भी कानून "स्पष्ट रूप से मनमाना" होता है।

यानी जब यह उचित नहीं है, उचित नहीं है, भेदभावपूर्ण है, नहीं

पारदर्शी, मनमौजी, पक्षपाती, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के साथ और
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार को बढ़ावा देने की खोज में नहीं। सकारात्मक रूप से, इसे ऐसे मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो तर्कसंगत हों, तर्क के साथ सूचित हों और जनहित द्वारा निर्देशित हों।

आदि।

96. सुब्रमण्यम स्वामी मामले में एक और संविधान पीठ का फैसला
वी. सी. बी. आई. *[*सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. *(2014) 8* एस. सी. सी. *682: (2014) 6* एससीसी *(*सीआरआई*) 42: (2014) 3* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 36]* ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, *1946* की धारा *6*-ए को चुनौती दी। इस धारा को अंततः भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया।

और इसलिए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है। स्विस रिबन्स पी. वी. टी. में संदर्भ आदेश द्वारा संविधान पीठ को एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया था।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. *[*सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई., *(2005) 2* एस. सी. सी. *317: 2005* एस. सी. सी. *(*एल एंड एस*) 241]* और अजय हासिया *[*अजय हासिया बनाम सहित कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद। खालिद

मुजीब सहरावर्दी, *(1981) 1* एस. सी. सी. *722: 1981* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 258]*, मार्डिया केमिकल्स *[*मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड। भारत संघ,

(2004) 4 एस. सी. सी. *311]*, माल्पे विश्वनाथ आचार्य *[*माल्पे विश्वनाथ आचार्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य, *(1998) 2* एस. सी. सी. *1]* और मैकडॉवेल *[*ए. पी. राज्य बनाम। मैकडॉवेल एंड कंपनी, *(1996) 3* एस. सी. सी. *709]*, संदर्भ, अन्य बातों के साथ, इस बारे में था कि क्या मनमानेपन और अनुचितता, अनुच्छेद *14* के पहलू होने के कारण, किसी कानून को अमान्य करने के आधार के रूप में उपलब्ध हैं या नहीं।

97. अधिवक्ता की दलीलों और अनुच्छेद *14* के भेदभाव पहलू पर कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः *(* सुब्रमण्यम स्वामी मामला *[*सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सीबीआई,

(2014) 8 एससीसी *682: (2014) 6* एससीसी *(*सीआरआई*) 42: (2014) 3* एससीसी *(*एल एंड एस*) 36]*, एससीसी पीपी। *721-22* , पैरा *48-49)*

" 48. ई. पी. रोयप्पा में *[*ई. पी. रोयप्पा बनाम। टी. एन. राज्य, *(1974) 4* एस. सी. सी. *3: 1974* एस. सी. सी. *(*एल एंड एस*) 165]*, यह इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

कि मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद *14* और *16* दोनों को सूचित करता है

समानता और भेदभाव के खिलाफ अवरोध हैं। यह न्यायालय

पैरा *85* में निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः *(* एस. सी. सी पी. *38)*

'85 . ..... सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानी की शपथ ली जाती है।

दुश्मन; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद *16* का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद *14*

और *16* राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं।

अदालत का रुख

49. जहाँ विधायिका द्वारा अधिनियमित किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है, वहाँ न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता का हमेशा अनुमान होता है, और संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए। विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है और विधायी प्रक्रिया को उचित सम्मान और सम्मान दिया जाना चाहिए। जहां कानून को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद *14* के उल्लंघन के रूप में चुनौती देने की मांग की जाती है, वहां न्यायालय को कानून के अमान्य होने के संबंध में अनुच्छेद *14* की प्रयोज्यता से संबंधित सिद्धांतों को याद दिलाना चाहिए। विधान पर इसके अनुप्रयोग और विधान को अमान्य बनाने में अनुच्छेद *14* के दो आयाम हैं: अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और ये हैं: *(i)* अस्वीकार्य या अमान्य वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव, और *(ii)* शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यर्पण; कार्यपालिका को अप्रमाणित और निर्देशित शक्तियों का प्रदान करना, चाहे प्रत्यायोजित कानून के रूप में या प्रशासनिक आदेश पारित करने के लिए अधिकार प्रदान करने के माध्यम से-यदि ऐसा प्रदान किसी भी मार्गदर्शन, नियंत्रण या नियंत्रण के बिना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है। न्यायालय को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई विधान केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाता है क्योंकि कोई अन्य दृष्टिकोण है या इसलिए कि किसी अन्य विधि को सामाजिक या आर्थिक नीति के किसी भी मुद्दे की तरह अच्छा या उससे भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतें नीति पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।

XXX XXX XXX

100. इस तस्वीर को पूरा करने के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ विधान को इस आधार पर निरस्त किया जा सकता है कि यह मनमाना है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन में। भारत का वी. ट्राई *[*सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन।

भारत का वी. टी. आर. ए. आई., *(2016) 7* एस. सी. सी. *703],* इस न्यायालय ने पहले के उदाहरणों का उल्लेख किया और अभिनिर्धारित कियाः *(* एससीसी पीपी। *736-37* , पैरा *42-44)*

पूर्ण विधान के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध आधार। *[* इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम देखें। संघ का इंडिया *[*इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम। भारत संघ, *(1985) 1* एस. सी. सी. *641: 1985* एस. सी. सी. *(*कर*) 121]*, पी.

689 , पैरा *75।]* स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]# 3* . "स्पष्ट मनमानेपन" की कसौटी को इस न्यायालय के दो निर्णयों में अच्छी तरह से समझाया गया है। खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य *[*खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य, *1996) 10* एस. सी. सी. *304]*, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः *(* एस. सी. सी पी. *314*, पैरा *13)*

अनुच्छेद *19 (1) (*छ*)* अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, नियमों को, निस्संदेह, अनुच्छेद *14* के परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए, जो मनमाना कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद *14* के तहत यहां जिस चीज को चुनौती दी जा रही है, वह कार्यकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रत्यायोजित कानून है। मनमानी कार्रवाई के परीक्षण जो कार्यकारी कार्यों पर लागू होते हैं, नहीं होते हैं। अनिवार्य रूप से प्रत्यायोजित विधान पर लागू होता है। इसके लिए

प्रत्यायोजित कानून को निरस्त किया जा सकता है, ऐसा कानून

किसी प्राधिकारी से उचित रूप से उत्पन्न होने की अपेक्षा कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई। इंडियन एक्सप्रेस में

समाचार पत्र *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया *[*इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड *v.* भारत संघ,

(1985) 1 एससीसी *641: 1985* एस. सी. सी. *(*कर*) 121]*, इस न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ विधान के एक टुकड़े में उतनी प्रतिरक्षा नहीं होती है जितनी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा पारित क़ानून द्वारा प्राप्त की जाती है।

विधायिका। एक अधीनस्थ कानून पर सवाल उठाया जा सकता है। अनुच्छेद *14* के तहत इस आधार पर कि यह अनुचित है*;*

"उचित न होने के अर्थ में अनुचित नहीं,

लेकिन इस अर्थ में कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है "। इंग्लैंड और भारत में कानून के बीच तुलना करते हुए, न्यायालय ने

आगे कहा कि इंग्लैंड में न्यायाधीश कहेंगे,

"संसद ने कभी भी इस तरह के नियम बनाने के लिए प्राधिकरण का इरादा नहीं किया; वे अनुचित और अधिकार से परे हैं। भारत में, मनमानी

यह एक अलग आधार नहीं है क्योंकि यह इसके भीतर आएगा संविधान के अनुच्छेद *14* पर प्रतिबंध। लेकिन अधीनस्थ

कानून इतना मनमाना होना चाहिए कि ऐसा नहीं कहा जा सकता

कानून के अनुरूप होना या यह कि यह अनुच्छेद का उल्लंघन करता है

14 संविधान "।

1. इसके अलावा, शर्मा ट्रांसपोर्ट बनाम। एपी का राज्य *[*शर्मा रैनस्पोर्ट बनाम। ए. पी. राज्य *(2002) 2* एस. सी. सी. *188],* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः -सीसी पीपी। *203-04* , पैरा *25)*

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'25 ..... कार्यकारी कार्रवाई पर लागू मनमाना कार्रवाई के परीक्षण

अनिवार्य रूप से प्रत्यायोजित विधान पर लागू नहीं होते हैं। हड़ताल करने के लिए

एक प्रत्यायोजित कानून को मनमाना के रूप में स्थापित किया जाना है

कि स्पष्ट मनमानेपन है। के रूप में वर्णित करने के लिए

मनमाना, यह दिखाया जाना चाहिए कि यह उचित नहीं था और
स्पष्ट रूप से मनमाना। "मनमाने ढंग से" अभिव्यक्ति का अर्थ हैः एक में

अनुचित तरीके से, जैसा कि तय किया गया है या मनमौजी या खुशी से किया गया है,
पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना, प्रकृति में स्थापित नहीं

चीजों का, गैर-तर्कसंगत, नहीं किया गया या कारण के अनुसार कार्य करना या

निर्णय, केवल इच्छा पर निर्भर करता है। " "

(मूल में जोर*)*

101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम संघ का

इंडिया *[*इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*) (*पी*)* लिमिटेड बनाम। संघ

भारत सरकार, *(1985) 1* एस. सी. सी. *641: 1985* एस. सी. सी. *(*कर*) 121]* ने कहा कि यह

ऐसा कानून स्थापित किया गया था जिस पर अधीनस्थ कानून को चुनौती दी जा सकती है

पूर्ण अधिवेशन के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध आधारों में से कोई भी
कानून। इस मामले में, कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है

जब इस आधार पर बात आती है तो दो प्रकार के कानूनों के बीच

अनुच्छेद *14* के तहत चुनौती। स्पष्ट मनमानेपन की परीक्षा,

इसलिए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, इसके लिए लागू होगा

अनुच्छेद के तहत विधान के साथ-साथ अधीनस्थ विधान को अमान्य करना।

14. इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन द्वारा कुछ किया जाना चाहिए

विधायिका मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त के बिना

सिद्धान्त निर्धारित करना। इसके अलावा, जब कुछ किया जाता है जो है
अत्यधिक और असमान, इस तरह के कानून स्पष्ट रूप से होगा

मनमाना। इसलिए, हमारा विचार है कि मनमानेपन में

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा बताया गया है, स्पष्ट मनमानेपन की भावना

अनुच्छेद *14* के तहत अस्वीकार करने वाले कानून पर भी लागू होता है। ”

इस निर्णय का पालन गोपाल झा बनाम में किया गया है। द.

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *745/2018 [25.10.2018* पर निर्णय लिया गया*] (*पैराग्राफ *27* पर*);* भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। , लेखन याचिका

(सिविल*)* नं. *373/2006 [28.09.2018* पर तय किया गया*];* जोसेफ शाइन वी। भारत संघ, रिट याचिका *(*आपराधिक*)* सं. *194/2017 [27.09.2018* पर निर्णय लिया गया*] (*पैराग्राफ *110,195,197* पर*);* के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, रिट याचिका *(*सिविल*)* सं. *494/2012 [26.09.2018* पर निर्णय लिया गया*] (*पैराग्राफ *77,78,416,724,725,1160* पर*);* नवतेज सिंह जौहर और अन्य। वी.

स्विस रिबन्स पीवीटी का संघ। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(2018) 10 एस. सी. सी. *1 (*पैराग्राफ *253,353,411,637.9* पर*);* लोक

आर वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। , *(2018) 6* एस. सी. सी. *1 (*एट

ए. एफ. *35)* और निकेश ताराचंद शाह बनाम। भारत संघ और

2018) 11 एस. सी. सी. *1 (*पैराग्राफ *23* पर*)*।

22. संहिता की धारा *5 (7)* और *5 (8)* "वित्तीय लेनदार" को परिभाषित करती हैं।

वित्तीय ऋण "निम्नानुसार हैः

5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, *XXX XXX XXX*

(7) " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण दिया गया है। कानूनी रूप से सौंपा या स्थानांतरित किया गया;

(8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि; *(ख)* किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या उसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या किसी अन्य राशि के जारी होने के बाद जुटाई गई कोई भी राशि।

समान उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे वित्त या पूंजी माना जाता है।

लेखांकन मानक जो निर्धारित किए जा सकते हैं; *(ई)* किसी भी प्राप्य के अलावा बेची गई या छूट प्राप्तियाँ

गैर-सहारा आधार पर बेचा जाता है;

(च) किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसमें वाणिज्यिक

ऋण का प्रभाव;

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, *(i)* किसी अचल संपत्ति के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई कोई भी राशि।

परियोजना को ऐसी राशि माना जाएगा जिसमें

उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव; और *[2019] 3* एस. सी. आर.

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" शब्दों के अर्थ खंडों में क्रमशः दिए गए होंगे।

(डी) और *(जेडएन)* अचल संपत्ति *(*विनियमन और विकास*)* अधिनियम, *2016 (2016* का *16)* की धारा *2;*

*(*ज*)* किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व*;* *(i)* इस खंड के उपखंड *(*ए*)* से *(*एच*)* में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि*;*

XXX XXX "

धारा *5 (20)* "परिचालन लेनदार" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः *" 5.* परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXX XXX XXX *(20) "* प्रचालन लेनदार "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे

परिचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे

ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा या हस्तांतरित किया गया है*;*

XXX XXX "

संहिता की धारा *7* में कहा गया हैः

" 7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार। — *(1)* एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से

वित्तीय लेनदार का, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, जब कोई चूक हो।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

) वित्तीय लेनदार उप के तहत आवेदन करेगा।*ction (1)* ऐसे रूप और तरीके से और ऐसे ई के साथ जो निर्धारित किया जाए।

) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

*(*ए*)* सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो निर्दिष्ट किया जा सकता है*;*

*(*बी*)* एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम*;* और

*(*ग*)* बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, चौदह दिनों के भीतरउप-धारा *(2)* के तहत आवेदन का विवरण,

किसी सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से चूक की स्थिति या

वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का आधार

उप-धारा *(3)*।

) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

(ए*)* एक डिफ़ॉल्ट हुआ है और आवेदन के तहत

उप-धारा *(2)* पूरी हो चुकी है और कोई अनुशासनात्मक नहीं है।

प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ लंबित कार्यवाही पेशेवर, यह, आदेश द्वारा, इस तरह के आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या

(बी*)* डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है या आवेदन के तहत

उप-धारा *(2)* अधूरी है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, वह,

आदेश द्वारा इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दें:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा *(5)* के खंड *(*बी*)* के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

न्यायनिर्णायक से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिन

प्राधिकरण।

) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होगी।

उप-धारा *(5)* के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख।*)* न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क*)* उप-धारा *(5)* के खंड *(*क*)* के अधीन वित्तीय

लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार; *[2019] 3* एस. सी. आर.

(ख*)* वित्तीय लेनदार को उप-धारा *(5)* के खंड *(*ख*)* के तहत आदेश, ऐसे ऋण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर
आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

23. "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" की परिभाषा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है। यह आगे वह धन हो सकता है जो किसी में भी उधार लिया गया हो या जुटाया गया हो।

धारा *5 (8)* में या अन्यथा, धारा *5 (8)* के रूप में निर्धारित शिष्टाचार एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक "परिचालन ऋण" में वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावा शामिल होगा, जिसमें शामिल हैं -

रोजगार, या किसी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय।

24. एक वित्तीय लेनदार या तो अपने दम पर या अपने दम पर संहिता लागू कर सकता है।

अन्य वित्तीय लेनदारों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिन्हें "चूक" होने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। धारा *7 (1)* के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता ऐसे व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को किए गए चूक के संबंध में शुरू की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार शुरू होने के बाद, संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया एक सामूहिक कार्यवाही है जो पहली बार में निगमित देनदार के पुनर्वास का प्रयास करती है। धारा *7 (4)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि

वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक का अस्तित्व; और धारा *7 (5)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि चूक हुई है, जब वह आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार कर सकता है, या आवेदन को खारिज कर सकता है यदि ऐसा चूक नहीं हुई है। दूसरी ओर, धारा *8* और *9* के तहत, एक परिचालन लेनदार, चूक होने पर, एक मांग सूचना दे सकता है जिसका जवाब निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर, यदि कोई आवेदन न्यायनिर्णायक के समक्ष दायर किया जाता है

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकरण, निगमित देनदार यह साबित कर सकता है कि ऋण विवादित है। जब ऋण इतना विवादित होता है, तो इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

25. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील का तर्क

वास्तव में, वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संबंध में कोई बोधगम्य अंतर नहीं है और वास्तव में, दुनिया में कहीं भी यह अंतर नहीं किया गया है। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि इसके अनुसार क्या है

वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच अंतर करने के कारण के लिए तर्क। रिपोर्ट में कहा गया हैः

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"जबकि दोनों प्रकार के लेनदार संहिता के तहत आई. आर. पी. को ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रिगर करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य भिन्न होते हैं। चूँकि वित्तीय लेनदारों के पास धारा *4.3* की सूचना उपयोगिताओं में दायर देनदारियों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय ऋण अनुबंध पर चूक की निर्विवाद घटना को

इस प्रणाली तक पहुँचकर आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। देनदार द्वारा परिचालन लेनदार को चूक का प्रस्तुत साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में हो सकता है, क्योंकि सभी परिचालन लेनदारों के पास देनदारों के दायित्व की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो भी सकती है और नहीं भी। जब तक सूचना उपयोगिताएँ सर्वव्यापी हैं, तब तक वित्तीय लेनदार इसमें चूक स्थापित कर सकते हैं।

परिचालन लेनदारों के समान एक तरीका।

इसी तरह, खंड पर टिप्पणियों में दिवाला और दिवालियापन विधेयक

इस प्रकारः

"खंड *8* एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह

प्रक्रिया वित्तीय मामलों में लागू प्रक्रिया से अलग होती है।

लेनदार परिचालन ऋण के रूप में *(*जैसे व्यापार ऋण, वेतन या मजदूरी*)*

दावे*)* छोटी राशि *(*वित्तीय ऋणों की तुलना में*)* होते हैं या प्रकृति में आवर्ती होते हैं और हर समय सूचना उपयोगिताओं के रिकॉर्ड पर सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं। परिचालन लेनदारों के संबंध में विवादित ऋणों की संभावना भी बैंकों और वित्तीय लेनदारों जैसे वित्तीय लेनदारों की तुलना में अधिक है। संस्थाएं। तदनुसार, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया एक परिचालन लेनदार के लिए अलग होती है। यह

यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन लेनदार, जिनके ऋण दावे आमतौर पर छोटे होते हैं, कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने या बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह ऐसे लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार के बीच अनौपचारिक बातचीत की सुविधा भी प्रदान कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक कार्यवाही के बाहर ऋण का पुनर्गठन हो सकता है।

हालाँकि, दिवाला विधि समिति *["*आई. एल. सी*".]*, डिबेंचर धारकों और सावधि जमा धारकों से संबंधित अपनी रिपोर्ट आर्क *2018* में, वित्तीय लेनदार भी हैं, और कई हैं। रिपोर्ट तब

कहने के लिएः

" *10.6* कुछ प्रतिभूतियों के लिए, एक ट्रस्टी या एक एजेंट पहले से ही हो सकता है सुरक्षा साधन की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति की जाएगी यदि डिबेंचर *[2019] 3* एस. सी. आर. से अधिक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" *10.8* उपरोक्त विचार-विमर्श के आलोक में, समिति ने महसूस किया कि आदेश देने के लिए संहिता में एक तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है प्रतिभूति धारकों, जमा धारकों और वित्तीय लेनदारों के अन्य

सभी वर्गों की बैठकों में प्रतिनिधित्व जो एक निश्चित संख्या से अधिक है, एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। यह संहिता की धारा *21* में एक नया प्रावधान जोड़कर किया जा सकता है। इस तरह का

प्रतिनिधि या तो न्यासी हो सकता है या ऐसे लेनदारों के ऋण समझौते की शर्तों के तहत नियुक्त एजेंट हो सकता है, अन्यथा वित्तीय लेनदारों के ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा एक दिवाला पेशेवर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि वित्तीय लेनदारों के संबंधित वर्ग की ओर से कार्य करेगा और बैठकों में भाग लेगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से ऐसे प्रत्येक लेनदार के मतदान हिस्से की सीमा तक और उनके निर्देशों के अनुसार मतदान करेगा। वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे अधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिनिधि द्वारा कुशल मतदान को सक्षम करने के लिए आई. बी. बी. आई. द्वारा नियमों के माध्यम से लेनदारों की संख्या और मतदान के तरीके के लिए आवश्यक सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है। इसके अलावा, विनियमन *25* मई

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान को सक्षम बनाने के लिए भी संशोधन किया जाएगा ई-मेल के रूप में, किसी भी तकनीकी मुद्दे को संबोधित करने के लिए जो एक ही समय में बड़ी संख्या में लेनदारों के मतदान करने के कारण उत्पन्न हो सकता है। स्विस रिबन्स पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस रिपोर्ट को देखते हुए संहिता में संशोधन किया गया और धारा *21 (6* ए*)*

1 (6 बी*)* जोड़े गए थे, जो नीचे दिए गए हैं:

*XXX XXX XXX (6 - (*क*)* जहाँ वित्तीय ऋण हो।

(क*)* प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और इसकी शर्तें

न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए वित्तीय ऋण का प्रावधान
सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना,

ऐसे न्यासी या अभिकर्ता ऐसे वित्तीय निकाय की ओर से कार्य करेंगे।

ऋणदाता; *(* बी*)* लेनदारों के एक वर्ग के लिए बकाया है जो संख्या से अधिक है

खंड के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा निर्दिष्ट किया जा सकता है
(क*)* या उप-धारा *(6),* अंतरिम समाधान पेशेवर

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ आवेदन करें

सभी वित्तीय लेनदारों की सूची, जिसमें एक का नाम शामिल है

दिवालिया पेशेवर, अंतरिम संकल्प के अलावा

ऋणदाताओं की समिति की बैठक; *(ग)* एक अभिभावक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है,

ऐसा व्यक्ति की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा

ऐसे वित्तीय ऋणदाता,

और खंड *(ए)* या खंड *(*बी*)* के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि

या खंड *(*ग*)* समिति की बैठकों में भाग लेगा

उनके मतदान का हिस्सा। *(6 -* ख*)* अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक

(i) उप-धारा *(6-*ए*)* के खंड *(*ए*)* और *(*सी*)* के तहत, यदि कोई हो,

वित्तीय ऋण या संबंधित ऋण की शर्तों के अनुसार हो।

दस्तावेजीकरण; और

((ii) उप-धारा *(6-*ए*)* के खंड *(*बी*)* के तहत जैसा निर्दिष्ट किया गया है वैसा ही होगा।

जो दिवाला समाधान प्रक्रिया का हिस्सा होगा

लागत "।

इसके अलावा, दिवाला और दिवालियापन के विनियम *16* ए और *16* बी

भारत सरकार *(*निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया*)*

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेशन्स, *2016 ["*सी. आई. आर. पी. विनियम*"]* को जोड़ा गया, जिसके प्रभाव से

. 2018 , इस प्रकार हैः

" 16 ए. अधिकृत प्रतिनिधि। *(1)* अंतरिम समाधान पेशेवर दिवाला पेशेवर का चयन करेगा, जो विनियमन *12* के उप-विनियमन *(1)* के तहत प्राप्त फॉर्म सीए में वर्ग में वित्तीय लेनदारों की सबसे अधिक संख्या की पसंद है।

के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें

संबंधित वर्गः

बशर्ते कि एक दिवालिया पेशेवर के रूप में कार्य करने का विकल्प

उप के तहत प्राप्त फॉर्म सी. ए. में अधिकृत प्रतिनिधि

विनियम *12* के विनियम *(2)* पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर पर लागू होगा

प्राधिकृत की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-विनियम *(1)* के तहत प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिनों के भीतर उप-विनियम *(1)* के तहत चुने गए प्रतिनिधि

विनियम *12.*

(3) लेनदारों के किसी भी वर्ग के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति में कोई भी देरी किसी भी निर्णय की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। समिति द्वारा लिया गया।

(4) अंतरिम समाधान पेशेवर संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की सूची प्रदान करेगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त।

(5) अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, संबंधित अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की एक अद्यतन सूची प्रदान करेंगे।

जैसे-जैसे सूची को अद्यतन किया जाता है।

स्पष्टीकरणः जिस वर्ग के लेनदारों के दावों की प्राप्ति या सत्यापन में अधिकृत प्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी।

प्रतिनिधित्व करता है। *(6)* अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

वर्ग में लेनदार। *(7)* एक वर्ग में लेनदार का मतदान हिस्सा वित्तीय ऋण के अनुपात में होगा जिसमें आठ स्विस रिबन्स पी. वी. टी. की दर से ब्याज शामिल है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

प्रति वर्ष प्रतिशत जब तक कि पक्षों के बीच एक अलग दर पर सहमति न हो।

(8) एक वर्ग में लेनदारों का अधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित तरीके से समिति की प्रत्येक बैठक के लिए शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्ः

प्रति बैठक शुल्क में लेनदारों की संख्या

समिति *(रु.)*

वर्ग का

10-100

15,000

101-1000

20,000

1000 से अधिक

25,000

(9) अधिकृत प्रतिनिधि एक वर्ग में लेनदारों को कार्यसूची प्रसारित करेगा और मतदान निर्देश के लिए खिड़की खुलने से कम से कम चौबीस घंटे पहले मतदान खिड़की की घोषणा करेगा और मतदान खिड़की को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखेगा।
16 बी. एक वर्ग में केवल लेनदारों के साथ समिति। जहाँ निगमित देनदार के पास एक वर्ग में केवल लेनदार होते हैं और कोई अन्य वित्तीय नहीं होता है

समिति में शामिल होने के योग्य लेनदार, समिति में केवल अधिकृत प्रतिनिधि *(*प्रतिनिधि*)* शामिल होंगे।

26. यह स्पष्ट है कि डिबेंचर धारक और गृह ऋण वाले व्यक्ति कई हो सकते हैं और इसलिए, संहिता के साथ-साथ विनियमों में किए गए उपरोक्त परिवर्तन द्वारा वैधानिक रूप से निपटा गया है। हालांकि, एक सामान्य नियम के रूप में, यह कहना सही है कि वित्तीय लेनदार, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, निश्चित रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के परिचालन लेनदारों की तुलना में कम संख्या में होंगे।

27. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं, वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान।
सेवाओं के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान जो गिरवी रखे गए दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं और इसी तरह। सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच अंतर एक अंतर है जो यूनाइटेड किंगडम और इस देश दोनों में कंपनी अधिनियमों के शुरुआती समय से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति *[2019] 3* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल हैं। वे ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ निगमित देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में शामिल हो सकते हैं और इसलिए कर सकते हैं। वित्तीय तनाव, जो ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार, निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है, वित्तीय लेनदार स्पष्ट रूप से परिचालन लेनदारों से अलग हैं और इसलिए, दोनों के बीच स्पष्ट रूप से एक समझ में आने वाला अंतर है जिसका संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से सीधा संबंध है।

सूचना देना, सुनना और सेट करना-बंद करना या दावा करना-वित्तीय

ऋण।

29. इस न्यायालय ने अभिनव उद्योगों *(ऊपर)* में कहा है कि

निम्नलिखित हैः

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"27. कोड की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब एक डिफ़ॉल्ट यह इस अर्थ में होता है कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। डिफ़ॉल्ट में परिभाषित किया गया है

धारा *3 (12)* बहुत व्यापक शब्दों में जिसका अर्थ है एक बार देय और देय होने के बाद ऋण का भुगतान न करना, जिसमें ऋण का भुगतान न करना भी शामिल है।

इसके सम भाग या किश्त राशि का भुगतान। "ऋण" के अर्थ के लिए, हमें धारा *3 (11)* पर जाना होगा, जो बदले में हमें बताती है कि ऋण का अर्थ किसी ऋण के संबंध में दायित्व का दायित्व है।

7 (1) , एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है- यह बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है आवेदक वित्तीय लेनदार। धारा *7 (2)* के तहत, उप-धारा *(1)* के तहत एक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से किया जाना है जो निर्धारित किया गया है, जो हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है।

(न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन*)* नियम, *2016*। नियम *4* के तहत, आवेदन फॉर्म *1* में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है। उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ। प्रपत्र *1 5* भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग *I* में आवेदक का विवरण, भाग *II* में निगमित देनदार का विवरण, भाग *III* में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग *IV* में वित्तीय ऋण का विवरण और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

नियम *4 (3)* के तहत, आवेदक को *[2019] 3* एस. सी. आर. के साथ दायर आवेदन की एक प्रति भेजनी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्राधिकरण को निर्णय देना

निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय। गति, जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाने के लिए है

सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, महत्वपूर्ण है। यह करना ही होगा।

आवेदन प्राप्त होने के *14* दिनों के भीतर। यह धारा *7 (5)* के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना है कि एक चूक हुई है, कि कॉर्पोरेट देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि कोई चूक हुई है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह न्यायनिर्णायक से नोटिस प्राप्त होने के *7* दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस दे सकता है।

प्राधिकरण। उप-धारा *(7)* के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तब वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के *7* दिनों के भीतर पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो।

29. धारा *7* की योजना धारा *8* के तहत योजना के विपरीत है जहां एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, संहिता की धारा *8 (1)* में प्रदान किए गए तरीके से परिचालन देनदार को अवैतनिक ऋण की मांग सूचना देने के लिए है। धारा *8 (2)* के तहत, निगमित देनदार, मांग सूचना या उप-धारा *(1)* में उल्लिखित चालान की प्रति की प्राप्ति के *10* दिनों की अवधि के भीतर, परिचालन लेनदार के ध्यान में एक विवाद का अस्तित्व या किसी मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड ला सकता है, जो पूर्व-निर्धारित है।

विद्यमान - अर्थात। इस तरह की सूचना या चालान प्राप्त होने से पहले

निगमित देनदार। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है, परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर हो जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक कॉर्पोरेट देनदार के मामले में जो वित्तीय ऋण का चूक करता है, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को केवल सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को देखना होता है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि चूक हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण तब तक विवादित है जब तक कि ऋण "देय" है अर्थात देय है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया गया है या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह स्विस रिबन्स पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

भविष्य की किसी तारीख को देय। यह केवल तभी साबित होता है जब यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि
प्राधिकरण किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और अन्यथा नहीं।

30. संहिता की धारा *214 (ई)* के साथ पठित धारा *3 (9) (सी)* महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

"3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

(9) "मुख्य सेवाओं का अर्थ है किसी सूचना उपयोगिता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
XXX XXX XXX

*(*ग*)* वित्तीय जानकारी को प्रमाणित और सत्यापित करना।

किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया; और

XXX XXX "

" 214. सूचना उपयोगिता के दायित्व। किसी भी व्यक्ति को मुख्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक सूचना उपयोगिता

करेंगे।

XXX XXX XXX

*(*ई*)* ऐसी जानकारी को संग्रहीत करने से पहले सभी संबंधित पक्षों द्वारा प्रमाणित विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी प्राप्त करें;

XXX XXX "

31. इन धाराओं से यह स्पष्ट है कि

वित्तीय देनदारियों द्वारा किए गए ऋण सूचना उपयोगिताओं के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं, जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड *(*सूचना उपयोगिता*)* विनियम, *2017 [*"सूचना उपयोगिता विनियम*"]* के तहत, खुद को संतुष्ट करने के लिए हैं कि ऋण के बारे में प्रदान की गई जानकारी सही है। यह निगम को नोटिस देकर किया जाता है।

ऋणी जिसके पास तब ऐसी जानकारी को सही करने का अवसर होता है।

32. इस तरह की उपयोगिता द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अलावा, दिवाला और दिवालियापन *(*न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन*)* नियम, *2016* में संलग्न प्रपत्र *I* यह स्पष्ट करता है कि निम्नलिखित अन्य स्रोत हैं जो वित्तीय ऋण का प्रमाण देते हैं:

*(*क*)* प्रतिभूति का विवरण, यदि कोई हो, इसके निर्माण की तारीख,

लेनदार के अनुसार अनुमानित मूल्य;

*(*ख*)* के पंजीयक द्वारा जारी प्रभार पंजीकरण का प्रमाण पत्र

कंपनियाँ *(*यदि निगमित देनदार एक कंपनी है*);*

*(*ग*)* न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ पैनल का आदेश जो इस पर निर्णय देता है -

डिफ़ॉल्ट;

(घ*)* सूचना उपयोगिता के साथ डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड*;*

(ङ*)* उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, या वसीयत की प्रोबेट, या प्रशासन पत्र, या अदालती डिक्री *(*जो लागू हो सकता है*)* का विवरण।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, *1925;*

(च*)* वित्तीय अनुबंध की नवीनतम और पूर्ण प्रति

अब तक के सभी संशोधन और छूट*;*

(छ*)* किसी भी क्रेडिट जानकारी के साथ उपलब्ध चूक का रिकॉर्ड

कंपनी*;*

(ज*)* बैंकर की पुस्तक में प्रविष्टियों की प्रतियां

बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, *1891*।

33. उपरोक्त नियमों के नियम *4 (3)* में इस प्रकार कहा गया है: " *4.* वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन। —

XXX XXX XXX

(3) आवेदक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ दायर आवेदन की एक प्रति पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा निगम के पंजीकृत कार्यालय को तुरंत भेजेगा।

ऋणी।

XXX XXX "

कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *420* इस प्रकार बताती है:

" 420. न्यायाधिकरण के आदेश। *(1)* न्यायाधिकरण, अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(2) न्यायाधिकरण, आदेश की तारीख से दो साल के भीतर किसी भी समय, रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधारने की दृष्टि से, अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है, और ऐसा संशोधन करेगा, यदि गलती पक्षों द्वारा उसके ध्यान में लाई जाती है:

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बशर्ते कि किसी के संबंध में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

आदेश जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपील की गई है।

(3) न्यायाधिकरण इसके तहत पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति भेजेगा।

यह धारा सभी संबंधित पक्षों के लिए है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, *["*एन. सी. एल. टी. नियम*"]* के नियम *11,34* और *37* में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 11. अंतर्निहित शक्तियाँ। इन नियमों में कुछ भी न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

XXX XXX XXX 34. सामान्य प्रक्रिया। — *(1)* इन नियमों में प्रावधान नहीं की गई स्थिति में, न्यायाधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी विशेष मामले में प्रक्रिया का निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार कर सकता हैः

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

(2) न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों में, सभी विज्ञापनों और नोटिसों में प्रमुख जनरल फॉर्म नं. एन. सी. एल. टी *4. (3)* प्रत्येक याचिका या आवेदन या संदर्भ प्रपत्र संख्या में दिए गए प्रपत्र में दाखिल किया जाएगा। एन. सी. एल. टी. *1* संलग्नकों के साथ

फॉर्म सं। एन. सी. एल. टी. *2* और एक वार्ताकार के मामले में

आवेदन, वही प्रपत्र संख्या में दाखिल किया जाएगा। एनसीएलटी *1*

फॉर्म सं. के साथ इस तरह के संलग्नक। एन. सी. एल. टी *3.*

(4) अंतर्वर्ती आवेदन सहित प्रत्येक याचिका या आवेदन को प्रपत्र संख्या में एक शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा। एन. सी. एल. टी *6.* न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत पक्ष को जारी की जाने वाली सूचना फॉर्म में होगी।

एन. सी. एल. टी *5 "*। *XXX XXX XXX*

" 37. विरोधी पार्टी को नोटिस। *- (1)* न्यायाधिकरण नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली सुनवाई की तारीख पर आवेदन या याचिका के खिलाफ कारण बताने के लिए प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा। प्रपत्र सं. में ऐसी सूचना। एन. सी. एल. टी. *5* के साथ एक प्रति होगी

सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन।

(2) यदि प्रतिवादी प्रपत्र सं. में सूचना में निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित नहीं होता है। एन. सी. एल. टी. *5,* न्यायाधिकरण, *[2019] 3* एस. सी. आर. के अनुसार

आवेदन का निपटान करने के लिए पूर्व-पक्ष।

(3) यदि प्रत्यर्थी उपनियम *(1)* के तहत प्राप्त नोटिस का विरोध करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से

प्रतिनिधि, एक शपथ पत्र के साथ और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, जिन पर वह निर्भर करता है, याचिकाकर्ता या आवेदक को अग्रिम सेवा के साथ, सुनवाई की तारीख से पहले रजिस्ट्री को जवाब दाखिल करें और ऐसा जवाब और दस्तावेजों की प्रतियां
रिकॉर्ड का हिस्सा बनें "।

इन सभी नियमों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा *7 (5)* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की संतुष्टि के स्तर पर

संहिता, निगमित देनदार को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ दायर आवेदन की एक प्रति प्रदान की जाती है और उसे उक्त प्राधिकरण के समक्ष जवाब दाखिल करने और उक्त आवेदन को स्वीकार करने का आदेश देने से पहले उक्त प्राधिकरण द्वारा सुने जाने का अवसर मिलता है। प्रासंगिकता यह भी है कि निगमित देनदार को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण तरीके से घसीटे जाने से बचाने के लिए, संहिता दंड निर्धारित करती है। इस प्रकार, संहिता की धारा *65* इस प्रकार हैः

" 65. कार्यवाही की धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण शुरुआत। *(1)*

यदि कोई व्यक्ति दिवालियापन के समाधान के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धोखाधड़ी से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिवालियापन समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही शुरू करता है, या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति पर एक जुर्माना लगा सकता है जो इससे कम नहीं होगा

एक लाख रुपये, लेकिन एक करोड़ रुपये तक बढ़ सकते हैं।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू करता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति पर एक जुर्माना लगा सकता है जो उससे कम नहीं होगा।

एक लाख रुपये लेकिन एक करोड़ रुपये तक बढ़ सकते हैं।

34. इसके अलावा, एक वित्तीय लेनदार द्वारा किए गए आवेदन में गलत जानकारी देने के लिए धारा *75* के तहत सजा निर्धारित की गई है।

वित्तीय लेनदार को प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने से रोकता है धारा *7*। धारा *75* निम्नानुसार हैः

" 75. गलत जानकारी के लिए सजा

आवेदन। जहाँ कोई भी व्यक्ति धारा *7* के तहत किए गए आवेदन में जानकारी देता है, जो सामग्री स्विस रिबन्स पी. वी. टी. में गलत है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विवरण, यह जानते हुए कि यह गलत है या किसी भौतिक तथ्य को छोड़ देता है,

यह जानते हुए कि यह भौतिक है, ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा -
जुर्माना जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन बढ़ाया जा सकता है

एक करोड़ रुपये तक। "

35. जहाँ तक सेट-ऑफ और काउंटरक्लेम का संबंध है, एक सेट-ऑफ

वित्तीय लेनदारों से देय राशि दुर्लभ है। आम तौर पर, वित्तीय ऋण केवल एक ही तरह से इंगित करते हैं- उधार दी गई राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि एक वैध सेट-ऑफ पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के समझौते के दौरान दावों के प्रमाण दाखिल करने के चरण में विचार किया जा सकता है समाधान पेशेवर द्वारा समाधान प्रक्रिया, उसका निर्णय धारा *60* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती के अधीन है। धारा *60 (5) (*सी*)* इस प्रकार हैः

" 60. निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

(5) किसी अन्य में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद
उस समय लागू कानून, राष्ट्रीय कंपनी कानून

न्यायाधिकरण के पास विचार करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा

XXX XXX XXX

(ग*)* प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न,

दिवाला संकल्प से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला या

निगमित देनदार या निगमित की परिसमापन कार्यवाही

इस संहिता के तहत व्यक्ति "।

36. समान रूप से, प्रतिवाद, उनकी परिभाषा के अनुसार, स्वतंत्र हैं।

ऐसे अधिकार जो संहिता द्वारा नहीं लिए गए हैं, लेकिन समाधान योजना के दौरान दावों को स्वीकार करने के चरण के लिए संरक्षित हैं। इसके अलावा, संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निगमित देनदार को अन्य न्यायिक मंचों पर इस तरह के प्रतिदावे को आगे बढ़ाने से रोकता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने से संबंधित प्रपत्र सी इस प्रकार बताता हैः

" फॉर्म सी

वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दावा प्रस्तुत करना

[दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन *8* के तहत

भारत *(*निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया*)*

विनियम, *2016]*

[तिथि*] [2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

से

[वित्तीय लेनदार का नाम और पता, जिसमें उसके पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता शामिल है*]*

[दिवाला समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर का नाम*]* *[* सार्वजनिक घोषणा में दिए गए पते के अनुसार*]*

विषयः दावा और दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

[वित्तीय लेनदार का नाम*],* इसके द्वारा *[*कॉर्पोरेट देनदार के नाम*]* की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में यह दावा प्रस्तुत करता है। उसी के लिए विवरण नीचे दिए गए हैं:

प्रासंगिक विवरण

वित्तीय लेनदार की पहचान संख्या *(*यदि कोई निगमित निकाय है, तो पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण प्रदान करें। यदि कोई साझेदारी या व्यक्ति सभी भागीदारों या व्यक्ति के पहचान रिकॉर्ड * प्रदान करता है*)*
पत्राचार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ईमेल पता

दावे की कुल राशि
(दिवाला प्रारंभ तिथि पर किसी भी ब्याज सहित*)*

उन दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण की पुष्टि की जा सकती है

ऋण कैसे और कब लिया गया, इसका विवरण

किसी भी पारस्परिक ऋण, पारस्परिक ऋण, या कॉर्पोरेट देनदार और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक लेन-देन का विवरण जो दावे स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के खिलाफ निर्धारित किया जा सकता है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसके किसी भी हिस्से को समाधान योजना के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।
वित्तीय लेनदार को देय दावे के अस्तित्व और गैर-भुगतान को साबित करने के लिए इस दावे के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची

ब्लॉक पत्रों में नाम लेनदार के साथ या उसके संबंध में स्थिति

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

* पैन संख्या, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

घोषणा

मैं, *[*दावेदार का नाम*]*, जो वर्तमान में *[*सम्मिलित पते*]* पर रह रहा हूँ, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और निम्नानुसार कहता हूँः

1. [निगमित देनदार का नाम*]*, निगमित देनदार था

दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि।

20 का दिन, वास्तव में रुपये की राशि के लिए मेरा ऋणी था। *[* दावे की राशि डालें*]*।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में,

मैंने नीचे दिए गए दस्तावेजों पर भरोसा किया हैः

[कृपया दावे के प्रमाण के रूप में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है उन्हें सूचीबद्ध करें*]*।

3. उक्त दस्तावेज मेरी जानकारी, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, वैध और वास्तविक हैं और कोई सामग्री नहीं है।

इनसे तथ्यों को छुपाया गया है।

4. उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में, न तो मैं और न ही

कोई भी व्यक्ति, मेरे आदेश से, मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार, मेरे लिए

किसी भी तरह की संतुष्टि या सुरक्षा का उपयोग किया था या प्राप्त किया था जो भी हो, बचाएँ और निम्नलिखित को छोड़करः

[कृपया किसी भी पारस्परिक ऋण, पारस्परिक ऋण, या

निगमित देनदार के बीच अन्य पारस्परिक लेन-देन और

लेनदार जिसे दावे के विरुद्ध बंद किया जा सकता है*]*।

5. मैं/मैं निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं हूँ, क्योंकि

संहिता की धारा *5 (24)* के तहत परिभाषित।

6. मैं ऋणदाताओं की समिति में शामिल होने के लिए पात्र हूँ

संहिता की धारा *21 (2)* का प्रावधान भले ही मैं एक
निगमित ऋणी का संबंधित पक्ष।

तारीखः

स्थानः

(दावेदार का हस्ताक्षर*)*

वेरिफिकेशन

दावे के इस प्रमाण की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही है।
और विश्वास और उससे कोई भौतिक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

इस दिन सत्यापित किया गया।

20 .....

(दावेदार का हस्ताक्षर*)*

[ध्यान देंः कंपनी या सीमित देयता साझेदारी के मामले में,

घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/द्वारा किया जाएगा।

सचिव/नामित भागीदार और अन्य संस्थाओं के मामले में,

इकाई द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी।*]* "

37. वित्तीय लेनदार के आवेदन का कारण भुगतान न करना है।

बकाया राशि जब वे ऋण समझौतों के तहत उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *433 (ई)* को संहिता द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दृष्टिकोण में बदलाव लाया गया है। विधायी नीति अब "ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" की अवधारणा से "चूक के निर्धारण" की ओर बढ़ना है। उक्त बदलाव वित्तीय लेनदार को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सक्षम बनाता है कि एक

ऋण का भुगतान करने का दायित्व और यह कि ऋणी इस तरह के दायित्व में विफल रहा है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल स्विस रिबन्स पी. वी. टी. द्वारा चार नीतिगत कारण बताए गए हैं।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

विधायी नीति में इस बदलाव के लिए। सबसे पहले पूर्वानुमान और निश्चितता है। दूसरा, कॉरपोरेट देनदार का ब्याज और दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।

इस तरह के हित को पूर्वाग्रहित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में, इसकी रक्षा करता है। तीसरा, वित्तीय तनाव की स्थिति में, चूक का कारण प्रासंगिक नहीं है; कॉर्पोरेट देनदार के आर्थिक हित की रक्षा करना अधिक

प्रासंगिक है। चौथा, परिसमापन की ओर ले जाने वाला ट्रिगर केवल समाधान प्रक्रिया की विफलता पर ही हो सकता है।

38. इस संदर्भ में, "दावा", "ऋण" और "चूक" के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक शब्द को अलग से निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"*3.* परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, *XXX XXX XXX*

(6) " दावा "का अर्थ है

(क*)* भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार घटाया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित

या असुरक्षित*;*

(ख*)* तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार, यदि ऐसा उल्लंघन भुगतान के अधिकार को जन्म देता है, चाहे वह निर्णय, निश्चित, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित हो।

XXX XXX XXX

(11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें एक वित्तीय ऋण शामिल है और

परिचालन ऋण*;*

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसे -

मामला हो सकता है*;*

XXX XXX "

जबकि एक "दावा" केवल "देय" होने पर "ऋण" को जन्म देता है, एक "चूक" केवल तभी होती है जब एक "ऋण" "देय और देय" हो जाता है और ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। यही कारण है कि एक वित्तीय लेनदार *[2019] 3* एस. सी. आर.

एक परिचालन लेनदार के विपरीत "चूक" साबित करना पड़ता है जो केवल देय ऋण के संबंध में देयता या दायित्व के भुगतान के अधिकार का "दावा" करता है। जब इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है, तो संहिता की

धारा *7* के तहत वित्तीय लेनदारों और धारा *8* और *9* के तहत परिचालन लेनदारों द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया को शुरू करने में अंतर स्पष्ट हो जाता है।

धारा *21* और *24* और अनुच्छेद *14:* ऑपरेशनल क्रेडिटर्स

क्रेडिटर्स की समिति में कोई मतदान नहीं है।

39. संहिता की धारा *21* इस प्रकार हैः
"21. ऋणदाताओं की समिति। — *(1)* अंतरिम संकल्प

पेशेवर निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और कंपनी की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद

निगमित देनदार, लेनदारों की एक समिति का गठन करता है।
(2) ऋणदाताओं की समिति में सभी वित्तीय ऋणदाता शामिल होंगे।

निगमित देनदार काः

बशर्ते कि कोई वित्तीय लेनदार या अधिकृत प्रतिनिधि

धारा *24* की उप-धारा *(6)* या उप-धारा *(6-ए)* या उप-धारा *(5)* में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार का, यदि वह धारा *24* की संबंधित पार्टी है।

निगमित देनदार को प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं होगा,

ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भागीदारी या मतदानः

बशर्ते कि पहला परंतुक वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह संबंधित है।

निगमित देनदार का पक्ष केवल रूपांतरण के कारण या

ऋण को इक्विटी शेयरों या परिवर्तनीय उपकरणों में प्रतिस्थापित करना

दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले इक्विटी शेयरों में।
(3) उप-धारा *(6)* और *(6-ए)* के अधीन रहते हुए, जहां निगमित देनदार पर दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों का वित्तीय ऋण बकाया है -

किसी संघ या समझौते का हिस्सा, प्रत्येक ऐसा वित्तीय लेनदार

लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनके मतदान हिस्से का निर्धारण बकाया वित्तीय ऋणों के आधार पर किया जाएगा।

उन्हें। *(4)* जहाँ कोई भी व्यक्ति वित्तीय लेनदार होने के साथ-साथ

परिचालन लेनदार,

(क) ऐसा व्यक्ति निगमित देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण की सीमा तक एक वित्तीय लेनदार होगा, और स्विस रिबन्स पी. वी. टी. होगा।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

लेनदारों की समिति में शामिल, मतदान के हिस्से के साथ ऐसे वित्तीय ऋणों की सीमा के अनुपात में

लेनदार;

(ख) ऐसे व्यक्ति को निगम द्वारा देय परिचालन ऋण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा।

ऐसे लेनदार का ऋणी।

(5) जहां एक परिचालन लेनदार ने किसी वित्तीय लेनदार को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है,

समनुदेशन या हस्तांतरणकर्ता को इस तरह के समनुदेशन या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक एक परिचालन लेनदार माना जाएगा।

(6) जहां एक संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के हिस्से के रूप में विस्तारित वित्तीय ऋण की शर्तें सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए एक एकल ट्रस्टी या एजेंट प्रदान करती हैं, प्रत्येक वित्तीय लेनदार कर सकता है

(क) न्यासी या अभिकर्ता को अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करें;

(ख) ऋणदाताओं की समिति में इस हद तक अपना प्रतिनिधित्व करें कि

उनके मतदान के हिस्से में से;

(ग) एक दिवाला पेशेवर *(*संकल्प के अलावा*)* नियुक्त करें।
पेशेवर*)* अपनी कीमत पर खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए

ऋणदाताओं की समिति उनके मतदान हिस्से की सीमा तक; या

(घ) अपने मतदान के हिस्से की सीमा तक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें।

एक या अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग।

*(6 - (*क*)* जहाँ वित्तीय ऋण हो।

(क) प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तें न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रदान करती हैं -

सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें, ऐसे न्यासी या अभिकर्ता ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेंगे।

ऋणदाता;

(ख) खंड के तहत कवर किए गए लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के एक वर्ग के लिए बकाया है।

(क) या उप-धारा *(6)*, अंतरिम समाधान पेशेवर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा सभी वित्तीय लेनदारों की सूची, जिसमें एक *[2019] 3* एस. सी. आर. का नाम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवालिया पेशेवर, अंतरिम संकल्प के अलावा

पेशेवर, उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए जो पहले से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाए

(ग) एक अभिभावक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, ऐसा व्यक्ति की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा

ऐसे वित्तीय ऋणदाता,

और खंड *(ए)* या खंड *(बी)* या खंड *(सी)* के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि समिति की बैठकों में भाग लेगा।

लेनदार, और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से उसके मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करें।
(6 - ख) अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक

(i) उप-धारा *(6-ए)* के खंड *(ए)* और *(सी)* के तहत, यदि कोई हो,

वित्तीय ऋण या संबंधित ऋण की शर्तों के अनुसार हो।

दस्तावेजीकरण; और *((ii)* उप-धारा *(6-ए)* के खंड *(बी)* के तहत जैसा निर्दिष्ट किया गया है वैसा ही होगा।

जो दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का हिस्सा होगा।

(7) बोर्ड उप-धारा *(6)* और *(6-ए)* के तहत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान का तरीका और मतदान के हिस्से का निर्धारण निर्दिष्ट कर सकता है। *(8)* इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय कम से कम पचास-एक प्रतिशत के मत से लिए जाएंगे। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का:

बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और इसमें ऐसे कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे।

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(9) लेनदारों की समिति को निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निगम ऋणदाता के संबंध में कोई भी वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समाधान पेशेवर से अनुरोध करने का अधिकार होगा। *(10)* समाधान पेशेवर ऐसी मांग के सात दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा *(9)* के तहत लेनदारों की समिति द्वारा आवश्यक कोई भी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। स्विस रिबन्स पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

40. धारा *24 (3), 24 (4)* और धारा *28,* जो सामग्री भी हैं, निम्नानुसार हैं:

XXX XXX XXX *(3)* समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना देगा

(क*)* उप-धारा *(6)* और *(6-*क*)* में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधियों सहित ऋणदाताओं की समिति के सदस्य।

धारा *21* और उप-धारा *(5)];*

(ख*)* निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य या

निगमित व्यक्तियों के भागीदार, जैसा भी मामला हो; *(* ग*)* प्रचालन ऋणदाता या उनके प्रतिनिधि यदि उनके कुल देय राशि का दस प्रतिशत से कम नहीं है।

ऋण।

(4) निदेशकों, भागीदारों और संचालन के एक प्रतिनिधि

उप-धारा *(3)* में निर्दिष्ट लेनदार लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इसमें मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ऐसी बैठकें:

बशर्ते कि ऐसे किसी निदेशक, भागीदार या

परिचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो,

ऐसी बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करता है।

XXX XXX " *XXX XXX XXX*

" 28. निश्चित रूप से ऋणदाताओं की समिति की मंजूरी क्रियाएँ। *(1)* किसी अन्य में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

उस समय लागू कानून, समाधान पेशेवर, के दौरान

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, इनमें से कोई भी नहीं लेगी

समिति की पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्रवाई

ऋणदाताओं का नाम -

(क*)* ऋणदाताओं की समिति द्वारा उनकी बैठक में तय की जाने वाली राशि से अधिक कोई भी अंतरिम वित्त जुटाना*;* *(* ख*)* निगम की परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिभूति हित बनाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग*)* निगमित देनदार की पूंजी संरचना में परिवर्तन करना, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूतियां जारी करना, प्रतिभूतियों का एक नया वर्ग बनाना या जारी की गई प्रतिभूतियों को वापस खरीदना या उनका मोचन करना शामिल है।

प्रतिभूतियाँ यदि निगमित देनदार एक कंपनी है*;*

(घ*)* निगमित देनदार के स्वामित्व हित में किसी भी परिवर्तन को दर्ज करें*;*

(ई*)* वित्तीय संस्थानों को निर्देश देना

किसी भी ऐसे खाते से डेबिट लेनदेन के लिए निगमित देनदार के खाते, जो तय की जाने वाली राशि से अधिक हों। अपनी बैठक में लेनदारों की समिति द्वारा*;*

(च*)* कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन करना*;*

(ज*)* अपना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपें*;* *(i)* निगमित देनदार या उनके नामितों के किसी भी शेयरधारक के शेयरों का तीसरे पक्ष को निपटान या निपटान करने की अनुमति देना*;*

(जे*)* निगमित देनदार या उसकी सहायक कंपनी के प्रबंधन में कोई बदलाव करना*;*

(के*)* हस्तांतरण अधिकार या वित्तीय ऋण या भौतिक अनुबंधों के तहत परिचालन ऋण सामान्य प्रक्रिया के अलावा व्यवसाय*;*

(1) लेनदारों की समिति द्वारा निर्दिष्ट ऐसे कर्मियों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना*;* या

(एम*)* सांविधिक लेखा परीक्षकों या निगमित देनदार के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना।

(2) प्रस्ताव पेशेवर लेनदारों की समिति की एक बैठक बुलाएगा और उप-धारा *(1)* के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले लेनदारों का वोट लेगा।

(3) उप-धारा *(1)* के तहत किसी भी कार्रवाई को लेनदारों की समिति द्वारा तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रति धारा छियासठ के मत से अनुमोदित न किया जाए। मतदान का प्रतिशत।

(4) जहां उप-धारा *(1)* के तहत कोई कार्रवाई समाधान पेशेवर द्वारा समिति की मंजूरी के बिना की जाती है इस धारा में अपेक्षित तरीके से लेनदारों के लिए ऐसी कार्रवाई अमान्य होगी।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(5) ऋणदाताओं की समिति के कार्यों की रिपोर्ट कर सकती है बोर्ड को उप-धारा *(4)* के तहत समाधान पेशेवर लेने के लिए

इस संहिता के तहत उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। की स्वीकृति

कुछ कार्यों के लिए लेनदारों की समिति। *41.* इस संबंध में, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया हैः

"लेनदार समिति के पास बातचीत में बहुमत से अंतिम समाधान तय करने की शक्ति होगी। कुल वित्तीय देनदारियों के भार के हिसाब से ऋणदाता समिति के *75* प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर बहुमत की आवश्यकता होती है। समिति ने

इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि लेनदारों की समिति में किसे होना चाहिए, जिसे लेनदारों की समिति की शक्ति दी गई है कि वह अंततः इकाई को एक चालू संस्था के रूप में रखे या इसे समाप्त कर दे। समिति ने तर्क दिया कि

लेनदार समिति के सदस्यों को व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता के साथ-साथ बातचीत में मौजूदा देनदारियों की शर्तों को संशोधित करने के लिए तैयार होना चाहिए। आम तौर पर, परिचालन लेनदार न तो इकाई की दिवालियापन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, न ही इकाई के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए भुगतान को स्थगित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने के लिए संहिता में यह प्रावधान किया जाएगा कि ऋणदाता समिति को इन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए -

केवल वित्तीय ऋणदाता। "

"दूसरा यह है कि किसी भी प्रस्तावित समाधान में आई. आर. पी. लागत और परिचालन लेनदारों की देनदारियों का स्पष्ट रूप से हिसाब होना चाहिए। समाधान के अनुमोदन से एक उचित अवधि के भीतर यदि यह है

स्वीकृत किया गया। समिति का तर्क है कि एक होना चाहिए

लेनदार समिति पर मतदान नहीं करने वाले परिचालन लेनदारों के लिए प्रतिसंतुलन। इस प्रकार, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित समाधान के एक स्पष्ट हिस्से के रूप में भुगतान किए जाने में परिचालन लेनदारों के बकाया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर. पी. द्वारा किसी प्रस्ताव को ऋणदाता समिति के समक्ष लाने से पहले उसका मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि समाधान प्राप्त करने के लिए आर. पी. द्वारा प्रस्तुत सूचना ज्ञापन में देयता के कवरेज के बारे में अस्पष्टता है,

तब आर. पी. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है और इसका हिसाब रखा गया है।

प्रस्तावित समाधान के लिए "।

दिवाला और दिवालियापन पर अप्रैल, *2016* की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट *["*संयुक्त पूरक समिति की रिपोर्ट*"]* भी इन टिप्पणियों से सहमत थी, लेकिन धारा *24* को संशोधित किया गया ताकि *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. एम. टी. परिचालन लेनदारों की बैठकों में उपस्थित रहना

लेनदारों की कमी, भले ही मतदान के अधिकार के बिना हो, यदि परिचालन लेनदार निगम द्वारा देय कुल ऋण का *10* प्रतिशत या उससे अधिक देते हैं।

आर.

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी निम्नलिखित राय दी गई हैः

"21. परिचालन लेनदारों की भूमिका-खंड *24* समिति के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन/विचारों में कुछ हितधारकों की राय थी कि जहां परिचालन ऋणदाता को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है, वहीं कामगारों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं जैसे परिचालन ऋणदाताओं को ऋणदाताओं की समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जो पूरी समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इस संबंध में एक हितधारक ने सुझाव दिया है

लेनदारों की उस समिति में परिचालन लेनदार शामिल हो सकते हैं

खैर, कुछ सीमा के साथ। इस संदर्भ में, इस बात की सराहना करते हुए कि परिचालन ऋणदाता एक कंपनी में महत्वपूर्ण हितधारक हैं, समिति ने ध्यान दिया

परिचालन ऋणदाताओं को शामिल नहीं करने के तर्क का खंड *21* पर टिप्पणियों में बताए अनुसार लेनदारों की समिति

विधेयक के साथ जो निम्नानुसार हैः

"समिति ऐसे सदस्यों से बनी होनी चाहिए जो निगमित देनदार की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता रखते हैं और जो लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच बातचीत में ऋण अनुबंधों की शर्तों को संशोधित करने के इच्छुक हैं।

निगमित देनदार। परिचालन लेनदार आम तौर पर कॉर्पोरेट देनदार की वाणिज्यिक व्यवहार्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, और न ही वे आम तौर पर कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता बनाने के लिए अपने ऋणों के पुनर्गठन का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह, वित्तीय ऋणदाता जो परिचालन ऋणदाता भी हैं, उन्हें इस पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा

लेनदारों की समिति केवल उनके वित्तीय ऋणों की सीमा तक। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय लेनदार परिचालन लेनदारों के साथ अनुचित व्यवहार न करें, किसी भी समाधान योजना को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि परिचालन लेनदारों को उनके ऋण के परिसमापन मूल्य से कम राशि प्राप्त न हो *(*यह मानते हुए कि कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन किया जाना था*)*।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

समिति के सभी निर्णय कम से कम मतों से लिए जाएंगे।

मतदान हिस्सेदारी का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक। वहाँ की घटना में

दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट। द. समिति के पास जानकारी मांगने की भी शक्ति होगी।

समाधान पेशेवर "।

मतदान के अधिकार, परिचालन ऋणदाताओं की कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए ऋणदाताओं की समिति में अपने विचार/चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए

बैठकों में विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे ताकि उनके विचार /

ऋणदाताओं की समिति द्वारा चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय "।

(जोर दिया गया*)*

मूल दिवाला और दिवालियापन विधेयक इसकी अनुमति नहीं देता था

राष्ट्रीय ऋणदाताओं को ऋणदाताओं की समिति में बिल्कुल भी भाग लेना चाहिए। यह बिल

एक विधेयक के रूप में संशोधित, संयुक्त संसदीय

समिति निम्नानुसार निर्णय लेती है:

"अतः समिति ने खंड *24 (3)* में संशोधन करने का निर्णय लिया और *(4)* जैसा कि नीचे दिया गया है:

संशोधित खंड *24 (3)*

"समाधान पेशेवर प्रत्येक बैठक की सूचना देगा

लेनदारों की समिति को

((क) ऋणदाताओं की समिति के सदस्य; *(ख)* निलंबित निदेशक मंडल के सदस्य या

निगमित व्यक्तियों के भागीदार, जैसा भी मामला हो;

(ग) प्रचालन ऋणदाता या उनके प्रतिनिधि यदि राशि

उनके कुल बकाया का दस प्रतिशत से कम नहीं है। ऋण
"।

संशोधित खंड *24 (4)*

" निदेशकों, भागीदारों और संचालन के एक प्रतिनिधि

उप-धारा *(3)* में निर्दिष्ट लेनदार बैठकों में भाग ले सकते हैं।

लेनदारों की समिति, लेकिन मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा

ऐसी बैठकें:

बशर्ते कि ऐसे किसी निदेशक, भागीदार या

परिचालन ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो,

ऐसी बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करता है।

42. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार द्वारा विशेषज्ञों की समितियों का गठन किया गया है ताकि इन समितियों के कामकाज की निगरानी की जा सके। कोड। इस प्रकार, मार्च, *2018* की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में संहिता के कामकाज की जांच करने के बाद, संहिता में संशोधन नहीं करना उचित समझा गया ताकि परिचालन ऋणदाताओं को मतदान का अधिकार दिया जा सके। यह निम्नलिखित रूप में कहा गया था:

" यह तर्क अभी भी सही है, और इस प्रकार सी. ओ. सी. के संविधान में संशोधन नहीं करना उचित समझा गया। इसके अलावा, परिचालन लेनदारों जिनका कुल बकाया ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है, उन्हें सी. ओ. सी. की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा, समाधान योजना के तहत, उन्हें कम से कम परिसमापन मूल्य की गारंटी दी जाती है।

"..... समिति इस बात पर सहमत हुई कि वर्तमान में, अधिकांश समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं और इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है कि परिचालन लेनदारों को संहिता की वर्तमान योजना के तहत समाधान प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए समिति ने बिना कोई संशोधन किए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया।

कोड के लिए "।

43. संहिता के तहत, ऋणदाताओं की समिति को वित्तीय पुनर्गठन की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी आवश्यकता है कि

सभी को ध्यान में रखते हुए एक निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करें

उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ उपलब्ध सभी वैकल्पिक निवेश अवसरों का मूल्यांकन करना। लेनदारों की समिति को व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के आधार पर समाधान योजना का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, धारा *30 (4)* में कहा गया हैः

XXX XXX XXX *(4)* लेनदारों की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी जा सकती है

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जो ऋण की शुरुआत से पहले प्रस्तुत की गई हो।
दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017*, स्विस रिबन्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जहाँ समाधान आवेदक धारा *29* ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नया प्रस्ताव आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसी योजना जहाँ इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध न होः बशर्ते कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा *29* ए के खंड *(*सी*)* के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक न हो, धारा के खंड *(*सी*)* के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी धारा *12* की उप धारा *(3)* के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा, और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2018 (*अध्यादेश*)* द्वारा संशोधित धारा *29* ए में पात्रता मानदंड। *2018* का *6)* उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2018* के प्रारंभ की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

XXX XXX "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना को रद्द कर दिए जाने के बाद और उसके बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त योजना सभी हितधारकों पर निम्नानुसार बाध्यकारी हैः

" 31. समाधान योजना की स्वीकृति। — *(1)* यदि न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि धारा *30* की उप-धारा *(4)* के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा *30* की उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो बाध्यकारी होगी।

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने से पहले, संतुष्ट करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी होने के लिए प्रावधान हैं

कार्यान्वयन।

XXX XXX "

44. चूँकि वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में होते हैं, इसलिए बैंक और वित्तीय संस्थान निगमित देनदार के व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं। ऋण देने के समय भी, ये बैंक और वित्तीय संस्थान एक विस्तृत बाजार अध्ययन करते हैं जिसमें एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, व्यवसाय का मूल्यांकन, वित्तीय अनुमान आदि शामिल होते हैं। चूंकि यह विस्तृत अध्ययन ऋण स्वीकृत करने से पहले ही किया जा चुका है, और चूंकि वित्तीय लेनदारों ने कर्मचारियों को व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित किया है, इसलिए वे समाधान योजना की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। दूसरी ओर, माल और सेवाएं प्रदान करने वाले परिचालन लेनदार केवल उन राशियों की वसूली में शामिल होते हैं जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की जाती हैं, और आम तौर पर व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थ होते हैं। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, जो पहले ही ऊपर उद्धृत की जा चुकी है, इस बात को बहुत स्पष्ट करती है।

45. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दिवाला कानून पर अपनी विधायी मार्गदर्शिका में

[" UNCITRAL दिशानिर्देश *"]* सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हैं समान रूप से रखे गए लेनदारों और राज्यों के साथ निम्नानुसार न्यायसंगत व्यवहार:

" समान रूप से स्थित लोगों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना लेनदार

7. न्यायसंगत व्यवहार का उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि, सामूहिक कार्यवाही में, समान कानूनी अधिकारों वाले लेनदारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके सापेक्ष श्रेणी और हितों के अनुसार उनके दावे पर वितरण प्राप्त किया जाना चाहिए। यह मुख्य उद्देश्य
यह स्वीकार करता है कि सभी लेनदारों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह से कि वे देनदार के साथ किए गए विभिन्न सौदों को दर्शाते हैं। यह एक परिभाषित कारक के रूप में कम प्रासंगिक है जहां देनदार के साथ कोई विशिष्ट ऋण अनुबंध नहीं है, जैसे कि क्षति दावेदारों *(*जैसे पर्यावरणीय क्षति के लिए*)* और कर अधिकारियों के मामले में। भले ही न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को सामाजिक नीति द्वारा प्राथमिकताओं पर संशोधित किया जा सकता है और दावों या हितों के धारकों से संबंधित विशेषाधिकारों को रास्ता दिया जा सकता है जो उत्पन्न होते हैं,

उदाहरण के लिए, कानून के संचालन द्वारा, यह दिवाला कानून पर *12 UNCITRAL* विधायी गाइड द्वारा अपने महत्व को बनाए रखता है जो यह सुनिश्चित करता है कि

समान वर्ग के दावों को दी गई प्राथमिकता वर्ग के सभी सदस्यों को समान रूप से प्रभावित करती है। न्यायसंगत व्यवहार की नीति एक दिवाला कानून के कई पहलुओं में व्याप्त है, जिसमें रोक या निलंबन का आवेदन, स्विस रिबन्स पी. वी. टी. को अलग करने के प्रावधान शामिल हैं।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

दिवाला संपत्ति के लिए अधिनियम और लेनदेन और पुनः प्राप्त मूल्य, दावों का वर्गीकरण, पुनर्गठन और वितरण तंत्र में मतदान प्रक्रियाएं। एक दिवाला कानून को धोखाधड़ी और पक्षपात की समस्याओं का समाधान करना चाहिए जो वित्तीय संकट के मामलों में उत्पन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जो लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार के लिए हानिकारक कार्य और लेनदेन कर सकते हैं।

बचने के लिए "। *46.*
एन. सी. एल. ए. टी. ने व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करते हुए

समाधान योजनाएँ जो लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, हमेशा इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या परिचालन लेनदारों को वित्तीय लेनदारों के समान ही व्यवहार दिया जाता है, और यदि वे नहीं करते हैं, तो ऐसी योजनाओं को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या संशोधित किया जाता है ताकि परिचालन लेनदारों के अधिकार समाप्त हो जाएं।

सुरक्षित किया गया। यह देखा जा सकता है कि एक समाधान योजना धारा *31* के साथ पठित धारा *30 (2) (*बी*)* के तहत तब तक पारित नहीं हो सकती जब तक कि परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान नहीं किया जाता है, जो परिसमापन मूल्य से कम नहीं है। इसके अलावा, *05.10.2018* पर, विनियमन *38* में संशोधन किया गया है। संशोधन से पहले, विनियम *38* इस प्रकार थाः

"*38.* समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री। — *(1)* ए.
समाधान योजना धन के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करेगी जो

भुगतान करते थे

किसी अन्य लेनदार को प्राथमिकता में भुगतान किया जाएगा;
(ख) प्रचालन लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य और किसी भी वित्तीय लेनदार को प्राथमिकता में इस तरह के भुगतान का प्रावधान करता है जो

न्यायनिर्णायक द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के तीस दिनों की समाप्ति से पहले किसी भी स्थिति में किया जाएगा।

(ग) असहमत वित्तीय लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य और यह प्रावधान है कि इस तरह का भुगतान वित्तीय लेनदारों द्वारा किसी भी वसूली से पहले किया जाता है जिन्होंने वित्तीय लेनदारों के पक्ष में मतदान किया था।
समाधान योजना "।

संशोधन के बाद, विनियमन *38* इस प्रकार हैः

"*38.* समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री। — *(1)* समाधान योजना के तहत परिचालन ऋणदाताओं को देय राशि को वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी।

(1 - ए) एक समाधान योजना में एक विवरण शामिल होगा कि उसने वित्तीय सहित सभी हितधारकों के हितों से कैसे निपटा है।

निगमित देनदार के लेनदार और परिचालन लेनदार।
XXX XXX "

47. उपरोक्त विनियमन वित्तीय लेनदारों पर भुगतान में प्राथमिकता के साथ-साथ परिचालन लेनदारों के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के सिद्धांत को वैधानिक रूप से शामिल करके परिचालन लेनदारों के अधिकारों को और मजबूत करता है।

48. उपरोक्त सभी कारणों से, हम यह नहीं पाते हैं कि परिचालन ऋणदाताओं के साथ भेदभाव किया जाता है या अनुच्छेद *14* का उल्लंघन किया गया है

या तो समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किए जाने के आधार पर या स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर।

धारा *12* ए अनुच्छेद *14* का उल्लंघन नहीं है।

49. धारा *12* ए को दिवाला और दिवालियापन *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम, *2018* द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से जोड़ा गया था।

06.06.2018 . वह इस प्रकार हैः

" 12 - ए. धारा *7,9* या *10* के तहत स्वीकार किए गए आवेदन की वापसी। — न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्से के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा *7* या धारा *9* या धारा *10* के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को इस तरह से वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है "।

50. मार्च *2018* की आई. एल. सी. रिपोर्ट, जिसके कारण धारा *12* ए को शामिल किया गया, में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 29.1 सी. आई. आर. पी. नियमों के नियम *8* के तहत, एन. सी. एल. टी. अनुमति दे सकता है

आवेदन के प्रवेश से पहले आवेदक के अनुरोध पर आवेदन वापस लेना। हालांकि, संहिता या में कोई प्रावधान नहीं है

निकासी पद की अनुमति के संबंध में सी. आई. आर. पी. नियम

सी. आई. आर. पी. आवेदन का प्रवेश। यह देखा गया कि

समिति ने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां आवेदक लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार के बीच निपटान के कारण,

सी. आई. आर. पी. को वापस लेने की न्यायिक अनुमति दी गई थी।

[लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. निनस

वित्त और निवेश प्रबंधक एलएलपी, *2017* की सिविल अपील संख्या *9279;* मदर्स प्राइड डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोर्ट्रेट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिविल अपील सं. *9286/2017;* उत्तरा फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम

मोना स्विस रिबन्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

फार्मेसी, सिविल अपील सं. *18520/2017]*। यह प्रथा थी

संहिता के उद्देश्य के आलोक में विचार-विमर्श किया गया जैसा कि इसमें निहित है

बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट, कि संहिता का प्रारूप यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि

कि "सभी प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए भाग लेंगे

वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। सभी की देनदारियाँ लेनदार जो बातचीत प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें करना चाहिए

किसी भी बातचीत के समाधान में भी पूरा किया जाए। इस प्रकार यह सहमति बनी

कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू हो जाने के बाद, यह अब केवल एक कार्यवाही नहीं है आवेदक लेनदार और निगमित देनदार के बीच लेकिन है

सामान्य लाभ के बहिष्करण के लिए प्रवर्तन और निपटान सभी ऋणदाताओं से।

(मूल में जोर*)*

29.2 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के कई फैसलों की समीक्षा पर

इस संबंध में, जो सुसंगत पैटर्न उभरा वह यह था कि ए सभी लेनदारों और देनदार के बीच समझौता किया जा सकता है,

वापस लेने के उद्देश्य के लिए, और न केवल

आवेदक लेनदार और देनदार। इस आधार पर इरादे के साथ पढ़ें

संहिता के अनुसार समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि

प्रवेश के बाद निकासी के प्रावधान के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है

यदि सी. ओ. सी. प्रति नब्बे के मतदान हिस्से से ऐसी कार्रवाई को मंजूरी देता है।

प्रतिशत। यह विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि राष्ट्रीय अधिनियम के नियम *11*

इसके लिए कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, *2016* को अपनाया नहीं जा सकता है। इस स्तर पर सी. आई. आर. पी. का पहलू *(*जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है*)*

उत्तरा फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामले में न्यायालय।

मोना फार्मेसीम, सिविल अपील सं. *18520/2017)* और यहाँ तक कि

अन्यथा, क्योंकि इस मुद्दे को विशेष रूप से संशोधन द्वारा संबोधित किया जा सकता है

सी. आई. आर. पी. नियमों का नियम *8* "।

51. इस धारा को डालने से पहले, यह न्यायालय, अनुच्छेद के तहत

आवेदनों को वापस लेने की अनुमति देने के आदेश पारित कर रहा था

टॉर्स के आवेदन एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा स्वीकार किए गए थे।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम *30* ए में कहा गया हैः

" *30* ए. आवेदन वापस लेना। *(1)* के लिए आवेदन

धारा *12*-ए के तहत निकासी अंतरिम *[2019] 3* एस. सी. आर. को प्रस्तुत की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्ताव पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, के लिए निमंत्रण जारी करने से पहले अनुसूची के फॉर्म एफ. ए. में

विनियमन *36* ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति।

(2) उप-विनियम *(1)* में आवेदन के साथ उद्देश्यों के लिए अनुमानित लागत के लिए एक बैंक गारंटी होगी। विनियम *31* के खंड *(ग)* और *(घ)* के आवेदन की तारीख तक।

(3) समिति अपने गठन के सात दिनों के भीतर या आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, उप-विनियम *(1)* के तहत किए गए आवेदन पर विचार करेगी।
(4) जहां नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ समिति द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जाती है, समाधान पेशेवर प्रस्तुत करेगा

उप-विनियम *(1)* के तहत आवेदक की ओर से ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन। *(5)*
न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा अनुमोदन कर सकता है -

उप-विनियम *(4)* के तहत प्रस्तुत आवेदन। "

यह न्यायालय, ब्रिलियंट अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में अपने दिनांकित *14.12.2018* आदेश द्वारा। लिमिटेड वी. श्री एस. राजगोपाल और अन्य। , एसएलपी *(*सिविल*)* सं. *31557/2018* है।

कहा गया है कि विनियमन *30* ए *(1)* अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सरल कारण से निर्देशिका है कि किसी मामले के तथ्यों पर, विनियमन *36* ए के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद भी असाधारण मामलों में निकासी के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। *52.* यह स्पष्ट है कि एक बार धारा *7* से *9* के तहत लेनदार की याचिका को स्वीकार करने के बाद संहिता लागू हो जाती है।

एन. सी. एल. टी. सीधे, जो न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियम, *2016* के नियम *11* के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है। निकासी या निपटान के लिए। सभी संबंधित पक्षों को सुनने और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा।

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

53. धारा *12* ए के प्रावधान के खिलाफ मुख्य जोर यह तथ्य है कि ऋणदाताओं की नब्बे प्रतिशत समिति को अनुमति देनी होती है

निकासी। इस उच्च सीमा को आई. एल. सी. रिपोर्ट में इस प्रकार समझाया गया है

सभी वित्तीय लेनदारों को इस तरह की निकासी की अनुमति देने के लिए अपने सिर को एक साथ रखना होगा, जैसा कि, आम तौर पर, सभी लेनदारों को शामिल करने वाला एक सर्वव्यापी समझौता, आदर्श रूप से, किया जाना चाहिए। यह बताता है कि नब्बे प्रतिशत, जो कि काफी हद तक सभी वित्तीय ऋणदाता हैं, को व्यक्तिगत निकासी या निपटान के लिए अपनी मंजूरी क्यों देनी पड़ती है। किसी भी मामले में, का आंकड़ा

नब्बे प्रतिशत, यह दिखाने के लिए आगे कुछ भी नहीं है कि यह है

मनमाना, विधायी नीति के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, जिसे रिपोर्ट *(*ऊपर*)* द्वारा समझाया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि धारा *60* के तहत

संहिता, लेनदारों की समिति के पास इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं है। यदि लेनदारों की समिति मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत निपटान और/या निकासी के दावे को अस्वीकार करती है, तो एन. सी. एल. टी. और उसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. हमेशा संहिता की धारा *60* के तहत इस तरह के निर्णय को दरकिनार कर सकता है। इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि धारा *12* ए भी संवैधानिक रूप से पारित होती है।

निजी सूचना उपयोगिताओं द्वारा प्रदत्त प्रमाणः केवल प्राथमिक

चेहरे पर चूक का प्रमाण

54. श्री मुकुल रोहतगी ने जमीन पर हमला किया।

कि जो निजी सूचना उपयोगिताएँ स्थापित की गई हैं, वे उचित मानदंडों द्वारा शासित नहीं हैं। इसके अलावा, ऋण चूक के रूप में साक्ष्य में निहित है

ऐसी उपयोगिता के अभिलेख उसमें जो कहा गया है उसका निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकते हैं। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया थाः

"वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत, सभी पक्षों को यह जानकारी प्राप्त करने से पहले काफी समय बर्बाद किया जा सकता है। इन तथ्यों के बारे में विवादों को अदालत में हल करने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए, समिति "सूचना उपयोगिताओं" के एक प्रतिस्पर्धी उद्योग की कल्पना करती है जो हर समय सभी फर्मों के बारे में जानकारी रखते हैं। जब आई. आर. पी. शुरू होता है, एक दिन से भी कम समय के भीतर, निर्विवाद और

आई. आर. पी. में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इस प्रकार देरी के इस स्रोत को संबोधित किया जाएगा।

55. सूचना उपयोगिताओं की स्थापना से पहले सूचना कंपनियों की एक व्यवस्था थी जिसे ऋण सूचना के रूप में संदर्भित किया जाता था। *1999* में सिद्दीकी कार्य समूह द्वारा अनुशंसित कंपनियाँ *["*सी. आई. सी. एस*".]*। महान्यायवादी ने अपने लिखित निवेदन में कहा किः

"वर्ष *2013* में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अन्य समिति का गठन किया।

एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी की अध्यक्षता में होगी जांच

सी. आई. सी. और अन्य संबंधित मुद्दों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिपोर्टिंग प्रारूप। द. समिति की रिपोर्ट ने सभी क्रेडिट द्वारा कॉर्पोरेट, उपभोक्ता और एम. एफ. आई. डेटा की रिपोर्टिंग के लिए डेटा प्रारूपों के मानकीकरण का नेतृत्व किया।

संस्थानों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और

सी. आई. सी. को ऋण संस्थान। *2015* में, सभी ऋण संस्थान थे

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी सी. आई. सी. के सदस्य बनने और उन्हें निर्दिष्ट उधारकर्ता के बारे में वर्तमान और ऐतिहासिक डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और

इसे नियमित रूप से अपडेट करें।

सूचना उपयोगिताओं की उपरोक्त व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य

बेहतर ऋण जोखिम के लिए सूचना विषमता को कम करना था

आई. यू. की स्थापना उपरोक्त स्थिति में बदलाव को दर्शाती है क्योंकि आई. यू. के साथ जानकारी का उपयोग न केवल जानकारी को कम करने के लिए किया जाता है विषमता, लेकिन इसे प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में भी माना जाना चाहिए

आई. बी. सी. कार्यवाही के उद्देश्य के लिए लेन-देन। इससे मदद मिलती है।

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा में सुधार करना। *56.* सूचना उपयोगिता विनियम, विशेष रूप से विनियम

डी *21,* यह स्पष्ट करें कि चूक की जानकारी प्राप्त होने पर, एक मैशन उपयोगिता तेजी से प्रक्रिया शुरू करेगी

सूचना की पहचान और सत्यापन। विनियम *20* और *21* इस प्रकार हैः

"20. सूचना की स्वीकृति और प्राप्ति। — *(1)* अ.

सूचना उपयोगिता अनुसूची के प्रपत्र सी में उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी को स्वीकार करेगी।
(2) उप-विनियम के तहत प्रस्तुत की गई जानकारी प्राप्त होने पर

(1) , सूचना उपयोगिता

(क*)* ऋण के अभिलेख सहित जानकारी के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्धारित करें*;*
(बी*)* इसकी रसीद को स्वीकार करें, और उपयोगकर्ता को सूचित करें

((i) सूचना की विशिष्ट पहचानकर्ता*;* *((ii)* प्रमाणीकरण और सत्यापन के नियम और शर्तें

सूचना का*;* और स्विस रिबन्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(ग*)* जिस तरीके से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अन्य दलों द्वारा।

(2) प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के पूरा होने पर और
उप-विनियम *(1)* के तहत सत्यापन, सूचना उपयोगिता डिफ़ॉल्ट की जानकारी और स्थिति का संचार करेगी

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमाणीकरण जो हैं

(क*)* ऋणदाता के लेनदार जिन्होंने चूक की है*;*

(ख*)* उस ऋण के पक्षकार और प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसके संबंध में चूक की जानकारी प्राप्त की गई है।

57. उपरोक्त विनियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसी उपयोगिता के पंजीकरण के लिए कठोर आवश्यकताओं के अलावा, जिस क्षण चूक की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी जानकारी होनी चाहिए

सभी पक्षों और ऋण के प्रतिभूतियों को सूचित किया गया। इसके अलावा, उपयोगिता सूचना के प्रमाणीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करना है, जिसमें चूक करने वाले देनदार से प्रमाणीकरण और सत्यापन शामिल होगा। इस मामले में,

इस तथ्य के साथ कि इस तरह के साक्ष्य, जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा स्वीकार किया गया है, केवल डिफ़ॉल्ट का प्रथम दृष्टया सबूत है, जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा खंडन योग्य है, यह स्पष्ट करता है कि इस आधार पर आधारित चुनौती भी विफल होनी चाहिए।

समाधान पेशेवर के पास कोई न्यायिक शक्तियाँ नहीं होती हैं।

58. संहिता के साथ-साथ विनियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि समाधान पेशेवर के पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। धारा *18*

संहिता एक अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्यों को निम्नानुसार निर्धारित करती है:

"18. अंतरिम समाधान पेशेवर के कर्तव्य। — *(1)* द.

अंतरिम समाधान पेशेवर निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात्

(क*)* निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए निगमित देनदार की परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करें, जिसमें संबंधित जानकारी भी शामिल है।

(i) पिछले दो वर्षों के लिए व्यावसायिक संचालन;

*((*ग*)* प्रारंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची; और
*((*घ*)* ऐसे अन्य मामले जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख*)* धारा *13* और *15* के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, लेनदारों द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्राप्त करें और उनका मिलान करें;

(ग*)* लेनदारों की एक समिति का गठन करना;

(घ*)* निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निगरानी करना और उनका प्रबंधन करना।

लेनदारों की समिति द्वारा एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति होने तक संचालन;

(ई) यदि आवश्यक हो तो सूचना उपयोगिता के साथ एकत्र की गई फाइल जानकारी; और

(च*)* किसी भी परिसंपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना, जिस पर निगमित देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं, जैसा कि निगमित देनदार की तुलनपत्र में दर्ज है, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिपॉजिटरी या किसी अन्य रजिस्ट्री के साथ जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को दर्ज करती है, जिसमें शामिल हैं -

(i) ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन पर निगमित ऋणी का स्वामित्व है।

ऐसे अधिकार जो किसी विदेश में स्थित हो सकते हैं;

*((*ख*)* ऐसी परिसंपत्तियाँ जो निगमित देनदार के कब्जे में हों या न हों; *((*ग*)* मूर्त परिसंपत्तियाँ, चाहे वह चल हो या अचल;

((iv) बौद्धिक संपदा सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ*;*

(v) निगमित देनदार की किसी भी सहायक कंपनी में रखे गए शेयरों, वित्तीय साधनों, बीमा पॉलिसियों सहित प्रतिभूतियाँ*;*

((vi) अदालत या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ*;*

(छ) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद

"परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात् स्विस रिबन्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(क) न्यास के तहत या संविदात्मक के तहत निगमित ऋणी के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली संपत्ति

जमानत सहित व्यवस्थाएँ*;*

((ख) निगम की किसी भारतीय या विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ।

ऋणी*;* और

(ग) ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से

नियामक "।

59. सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत, समाधान पेशेवर के पास किए गए दावों का सत्यापन करना होता है, और अंततः, दावे की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः

"*10.* दावों का सार। अंतरिम संकल्प

पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, अपने दावे के पूरे या हिस्से को साबित करने के लिए किसी लेनदार से ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है जो वह उचित समझता है।

XXX XXX XXX

"*12.* दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना। — *(1)* उप के अधीन

विनियम *(2),* एक लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उससे पहले सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) एक लेनदार, जो सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय के भीतर सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, दावा प्रस्तुत कर सकता है

अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प के लिए प्रमाण

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, के नब्बेवें दिन या उससे पहले

दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि। *(3)* जहां उप-विनियम *(2)* में लेनदार विनियम *8* के तहत एक वित्तीय लेनदार है, उसे समिति में शामिल किया जाएगा।

इस तरह के दावे को स्वीकार करने की तिथिः

बशर्ते कि इस तरह का समावेश किसी की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

इस तरह के समावेश से पहले समिति द्वारा लिया गया निर्णय।

13. दावों का सत्यापन। — *(1)* अंतरिम संकल्प

पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से सात दिनों के भीतर, दिवाला शुरू होने की तारीख के अनुसार, प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा।

और इसके बाद लेनदारों की एक सूची बनाए रखें जिसमें *[2019] 3* एस. सी. आर. के नाम हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेनदारों के साथ उनके द्वारा दावा की गई राशि, स्वीकार किए गए उनके दावों की राशि और प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो,

इस तरह के दावे, और इसे अद्यतन करें। *(2)* लेनदारों की सूची इस प्रकार होगी -

(क) प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध

दावा करना; *(ख)* सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध

और निगमित देनदार के गारंटर;

(घ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास दायर किया गया; और
((ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत किया गया।

14. दावे की राशि का निर्धारण। — *(1)* जहां किसी लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता के कारण सटीक नहीं है या

अन्य कारण, अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, सबसे अच्छा अनुमान लगाएगा

उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दावे की राशि।

(2) अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, दावों की राशि को संशोधित करेंगे।

उप के तहत किए गए दावों के अनुमानों सहित स्वीकार किया गया

विनियम *(1),* जितनी जल्दी संभव हो, जब वह आता है

इस तरह के संशोधन की गारंटी देने वाली अतिरिक्त जानकारी। ”

इन विनियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव को अर्ध-न्यायिक शक्तियों के विपरीत प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।टी, भले ही समाधान पेशेवर को एक "निर्धारण" विनियमन *35* ए बनाना हो, उसे केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना है

निम्नलिखित रूप में किए गए निर्धारण के आधार पर उचित राहत दें:

" *35* ए. तरजीही और अन्य लेनदेन। *(1)* दिवाला शुरू होने की तारीख के पचहत्तरवें दिन या उससे पहले, समाधान पेशेवर एक राय बनाएगा कि क्या निगम

देनदार को किसी भी लेन-देन के अधीन किया गया है

धारा *43,45,50* या *66*। *(2)* जहां समाधान पेशेवर की राय है कि कॉर्पोरेट देनदार को स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के दायरे में आने वाले किसी भी लेनदेन के अधीन किया गया है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

धारा *43,45,50* या *66* के तहत, वह दिवालिया होने के एक सौ पंद्रहवें दिन या उससे पहले निर्धारण करेगा।

प्रारंभ तिथि, बोर्ड को सूचित किए जाने के तहत।

(3) जहां समाधान पेशेवर उप-विनियम *(2)* के तहत कोई निर्धारण करता है, वह एक सौ पैंतीसवें दिन या उससे पहले उचित राहत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि का दिन।

60. इसके विपरीत, परिसमापक को संहिता के तहत परिसमापन कार्यवाही में दावों को समेकित और सत्यापित करना होता है, और या तो

संहिता की धारा *38* से *40* के तहत ऐसे दावों को स्वीकार या अस्वीकार करें। धारा *41* और *42*, परिसमापक और समाधान पेशेवर की शक्तियों के बीच विरोधाभास के रूप में, नीचे दिए गए हैं:

" *41.* दावों के मूल्यांकन का निर्धारण। परिसमापक

धारा *40* के तहत स्वीकार किए गए दावों का मूल्य बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

42. परिसमापक के निर्णय के खिलाफ अपील करें। — एक लेनदार चौदह दिनों के भीतर दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के परिसमापक के फैसले के खिलाफ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

इस तरह के निर्णय की प्राप्ति "।
इन धाराओं से यह स्पष्ट है कि जब परिसमापक

" धारा *40* के तहत स्वीकार किए गए दावों का मूल्य निर्धारित करता है, जैसे कि

निर्धारण एक "निर्णय" है, जो प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है, और जिसके खिलाफ धारा *42* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। कोड से।

61. परिसमापक के विपरीत, समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति की मंजूरी के बिना कई मामलों में कार्य नहीं कर सकता है।

संहिता की धारा *28* के तहत, जो दो-तिहाई बहुमत से, एक प्रस्ताव पेशेवर को दूसरे के साथ बदल सकता है, अगर वे इससे नाखुश हैं

उसका प्रदर्शन। इस प्रकार, समाधान पेशेवर वास्तव में समाधान प्रक्रिया का एक सहायक होता है, जिसके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख लेनदारों की समिति और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

धारा *29* ए की संवैधानिक वैधता।

62. धारा *29* ए इस प्रकार है:

"29 ए. समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं व्यक्ति। — एक व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एरसन, या कोई अन्य व्यक्ति जो संयुक्त रूप से या इस तरह के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एरसन

*(*क*)* एक अविमुक्त दिवालिया है*;*

*(*ख*)* बैंकिंग विनियमन के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है।

*(*ग*)* समाधान योजना प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में किसी निगमित देनदार का खाता है या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949 (1949* का *10)* के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या किसी अन्य कानून के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समय पर लागू, और कम से कम एक वर्ष की अवधि ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक समाप्त हो गई है:

बशर्ते कि व्यक्ति एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति सभी अतिदेय राशियों का भुगतान उस पर ब्याज और गैर-निष्पादन से संबंधित शुल्कों के साथ करता है।

समाधान योजना जमा करने से पहले परिसंपत्ति खातेः

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय संस्था है।

और निगमित देनदार से संबंधित पक्षकार नहीं है।

स्पष्टीकरण *I*-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय लेनदार है और केवल रूपांतरण या प्रतिस्थापन के कारण कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष है।

ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी में परिवर्तनीय साधनों में बदलना

दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले के शेयर।

स्पष्टीकरण *II*। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां ए समाधान आवेदक के पास एक खाता है, या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है या

जिसे ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा खाता पूर्व स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के अनुसार अर्जित किया गया था।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना, तो, इस खंड के प्रावधान ऐसे समाधान आवेदक पर अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना; *(* घ*)* कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

(i) बारहवीं अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए; या

((ii) किसी अन्य कानून के तहत सात साल या उससे अधिक समय के लिए।

बल में होनाः

बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति पर उसकी रिहाई की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा।

कारावास सेः

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;

(ङ*)* कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैः बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;

(च*)* भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने से प्रतिबंधित है*;* *(* छ*)* एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक अधिमान्य लेनदेन,

कम मूल्य का लेन-देन, जबरन ऋण लेन-देन या धोखाधड़ी का लेन-देन हुआ है और जिसके संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस संहिता के तहत एक आदेश दिया गया हैः

लेन-देन या धोखाधड़ी का लेन-देन पहले हो चुका है इस संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार समाधान आवेदक द्वारा निगमित देनदार का अधिग्रहण

या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित किसी योजना या योजना के अनुसार, और ऐसे समाधान आवेदक के पास *[2019] 3* एस. सी. आर. नहीं है।

अन्यथा तरजीही लेन-देन में योगदान दिया,

अवमूल्यन लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी लेनदेन*;*

(ज*)* एक निगमित देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में एक गारंटी निष्पादित की है जिसके खिलाफ ऐसे लेनदार द्वारा किए गए दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन इस संहिता के तहत स्वीकार किया गया है और ऐसी गारंटी लेनदार द्वारा लागू की गई है और पूर्ण या आंशिक रूप से अवैतनिक बनी हुई है*;*

(जे*)* एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड *(*ए*)* से *(*आई*)* के तहत पात्र नहीं है। स्पष्टीकरण *I.* इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संबद्ध व्यक्ति" पद का अर्थ है

((i) कोई भी व्यक्ति जो प्रवर्तक या प्रबंधन में है या

समाधान आवेदक का नियंत्रण*;* या

((ii) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में होगा।

समाधान योजना का कार्यान्वयन*;* या

((ग) खंडों में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष

((i) और *(ii):* बशर्ते कि स्पष्टीकरण *I* के खंड *(iii)* में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्षकार नहीं हैः

बशर्ते कि "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय लेनदार है और केवल इक्विटी शेयरों में ऋण के रूपांतरण या प्रतिस्थापन के कारण कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष है या

इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरण, इससे पहले कि दिवाला शुरू होने की तारीख;

स्पष्टीकरण *II*। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय इकाई" का अर्थ निम्नलिखित संस्थाएं होंगी जो ऐसे मानदंडों या शर्तों को पूरा करती हैं जो केंद्र सरकार स्विस रिबन्स पी. वी. टी. में कर सकती है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

वित्तीय क्षेत्र के नियामक के साथ परामर्श, इसमें सूचित करें

ओर से, अर्थात्

(क*)* एक अनुसूचित बैंक;

(ग*)* कोई भी निवेश वाहन, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, जहां शर्तों में होगा - इसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, *1999 (1999* का *42)* के तहत बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन *(*भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति हस्तांतरण या जारी करना*)* विनियम, *2017* के विनियम *2* में उन्हें सौंपा गया है;

(घ*)* वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रवर्तन की धारा *3* के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी।

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, *2002 (2002* का *54);*

(ई*)* के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;

(च*)* व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियां जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

53. यह धारा पहली बार दिवाला और पी. टी. सी. संहिता *(*संशोधन*)* अध्यादेश, *2017* द्वारा पेश की गई थी, जिसने *23.11.2017* पर एन. सी. आई. और दिवालियापन संहिता में संशोधन किया था। वित्त मंत्री

संशोधन विधेयक को नए सिरे से प्रस्तुत करते हुए कहा गया है:

इस नए अध्यादेश का मूल और आत्मा वास्तव में खंड *5* है, जो मूल विधेयक की धारा *29* ए है। मैं बस था समझा सकता हूँ

एक बार जब कोई कंपनी समाधान प्रक्रिया में जाती है, तो संभावित समाधान प्रस्तावों के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।जहाँ तक कंपनी या उद्यम का संबंध है। अब मूल अधिनियम में कई अयोग्यता खंड नहीं थे, और इसलिए, खंड *29* ए उन लोगों का परिचय देता है जो आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक *[2019] 3* एस. सी. आर. के संबंध में एक खंड है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अविमुक्त दिवालिया जो आवेदन करने के योग्य नहीं है; एक व्यक्ति जो निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया है

आवेदन नहीं कर सकता; और एक व्यक्ति जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

आवेदन नहीं कर सकते। अतः ये वैधानिक अयोग्यताएँ हैं। और, वहाँ खंड *(ग)* में उन लोगों के संबंध में भी अयोग्यता है जो हैं

एक बोली, ब्याज का भुगतान करके खाते को चालू न करें आप यह नहीं कह सकते कि मेरा एन. पी. ए. है। मैं नहीं कर रहा हूँ

चालू खाता। ये खाते एन. पी. ए. बने रहेंगे।

और फिर भी मैं इसके लिए आवेदन करने जा रहा हूँ। प्रभावी रूप से, यह खंड होगा इसका मतलब है कि वे, जो प्रबंधन में हैं और जिनके कारण हैं

यह दिवालिया या गैर-निष्पादित संपत्ति उत्पन्न हुई है, अब कोशिश करेंगे

स्वयं इस विशेष अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। अतः खंड *5* है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। "

(जोर दिया गया*)*

उपरोक्त के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

डिमेंट कहता हैः

"2. दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए प्रावधान

संहिता में निगमित व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया था

समाधान योजना प्रस्तुत करने या अधिग्रहण में भाग लेने से परिसमापन के समय कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रक्रिया।

कंपनियों के चूक में योगदान दिया या अन्यथा अवांछनीय हैं, निषेध या प्रतिबंधों की कमी के कारण इस स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है

संहिता में निर्धारित प्रक्रियाएँ क्योंकि बेईमान व्यक्ति लेनदारों की कीमत पर पुरस्कृत होते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा,

यह जाँचने के लिए कि अवांछनीय व्यक्ति जिनके पास हो सकता है

इस तरह के प्रावधान के अभाव में अपनी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत किया,

ऋणदाताओं की समिति को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है

बकाया राशियों को चुकाने के लिए एक उचित अवधि देना और

योग्य "।

(जोर दिया गया*)*

स्विस रिबन्स पीवीटी। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस न्यायालय ने आर्सेलर मित्तल *(*ऊपर*)* में निर्णय दिया है:

"*27.* धारा *29* ए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, पाठ और उस संदर्भ दोनों के आधार पर जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था, इसलिए, उसी के बारे में हमारी व्याख्या को सूचित करना चाहिए। हम हैं।

वर्तमान मामले में उपखंड *(*सी*), (*एफ*), (*आई*)* और *(*जे*)* के साथ संबंधित है। *28.* यह ध्यान दिया जाएगा कि *2017* के अध्यादेश में निहित धारा *29* ए की प्रारंभिक रेखाएं *2017* के संशोधन अधिनियम में निहित धारा *29* ए की प्रारंभिक रेखाओं से अलग हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक्यांश "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति" *2017* के अध्यादेश में इसकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है। द.

"प्रवर्तक", "प्रबंधन" और "नियंत्रण" की अवधारणाएँ जो

अध्यादेश के तहत धारा *29* ए की प्रारंभिक पंक्तियों में निहित थे जिन्हें अब *2017* के संशोधन अधिनियम में उपखंड *(*सी*)* में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *2017* का संशोधन अधिनियम *2017* के अध्यादेश में निहित भाषा की तुलना में व्यापक महत्व की भाषा के साथ खुलता है, जो उन सभी व्यक्तियों को शामिल करने का इरादा दर्शाता है जो समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

29. संशोधन अधिनियम की धारा *29* ए की प्रारंभिक पंक्तियाँ उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की न्यायिक स्थिति के विपरीत एक वास्तविक स्थिति का उल्लेख करती हैं। यह एक "सी थ्रू" का एक विशिष्ट उदाहरण है।

प्रावधान ", ताकि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों तक पहुँच सके जो वास्तव में" नियंत्रण "में हैं, चाहे संयुक्त रूप से, या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। ए.

कंपनी जिसमें वह शेयर रखता है। यह आम तौर पर सच हो सकता है, लेकिन जब एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से स्थापित एक कॉर्पोरेट वाहन की बात आती है, तो यह न केवल अनुमेय है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि ऐसी कंपनी बनाने वाले घटक कौन हैं। ऐसे मामलों में, सालोमोन *v* में निर्धारित सिद्धांत। ए. सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड *[1897]* एसी *22* लागू नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मामलों में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक व्यक्ति कौन हैं *[2019] 3* एस. सी. आर.

या ऐसी संस्थाएं जो संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य कर रही हैं, और जिन्होंने एक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस तरह के कॉर्पोरेट वाहन की स्थापना की है

समाधान योजना "।

इसी तरह चित्रा शर्मा बनाम। भारत संघ, *2017* की रिट याचिका *(*सिविल*)* संख्या *744 [09.08.2018* पर निर्णय लिया गया*]*, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 31. संसद ने एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आई. बी. सी. में धारा *29* ए को शामिल किया है। धारा *29* ए के प्रावधानों का उद्देश्य है -

यह सुनिश्चित करना कि दूसरों के बीच, दिवाला के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

निगमित ऋणी संकल्प में भाग नहीं लेता है

" 32. ..... न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा *29* ए को व्यापक लोक हित में और प्रभावी निगमित शासन की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया है। संसद ने अधिनियम में एक खामी को ठीक किया जिसमें पूर्ववर्ती प्रबंधनों को पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
सी. आई. आर. पी. आई. बी. सी. की धारा *30,* जैसा कि संशोधित किया गया है, यह भी स्पष्ट करती है कि धारा *29* ए के तहत अयोग्य व्यक्ति की समाधान योजना पर सी. ओ. सी. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

प्रत्याशित आवेदन

64. यह तय किया गया कानून है कि एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है और न ही यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा पूर्ववर्ती समय से लिया गया है। इसका पारित होना *[*स्टेट बैंक का कर्मचारी संघ *(*मद्रास सर्कल*) v* देखें। भारत संघ और ओआरएस। *, (2005) 7* एस. सी. सी. *584 (*पैराग्राफ *21* पर*)]*। आर्सेलर मित्तल *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने कहा है कि एक समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना पर विचार करने या अनुमोदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं हैः

" 79. धारा *30* के तहत अगला चरण लें। एक संकल्प
पेशेवर ने अपनी मंजूरी के लिए लेनदारों की समिति को एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, लेकिन लेनदारों की समिति इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद ऐसी योजना को मंजूरी नहीं देती है, क्योंकि इस योजना के मतदान हिस्से के *66* प्रतिशत से कम का आवश्यक वोट नहीं है।

वित्तीय ऋणदाता प्राप्त नहीं किए जाते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है।
इसके ऊपर, धारा *30 (4)* का पहला परंतुक जवाब देता है, जो यह है कि इस स्तर पर जो कुछ भी हो सकता है वह यह है कि

समाधान पेशेवर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए जहां उसके पास कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर फिर से स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के समक्ष कोई आवेदन नहीं है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर विचार किया जा सकता है क्योंकि समाधान आवेदक में अपनी समाधान योजना को अनुमोदित करने का कोई निहित अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, और क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
हुआ "।

65. यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा *29* ए के लागू होने से कोई निहित अधिकार नहीं खोया जाता है। हालांकि, श्री विश्वनाथन ने बताया कि

रितेश अग्रवाल और अन्र में निर्णयों को बाहर निकालें। वी. एस. ई. बी. आई और अन्य। , *(2008) 8* एस. सी. सी. *205 (*पैराग्राफ *25* पर*)*, के. एस. परिपूर्णन बनाम। केरल राज्य और अन्य। , *(1994) 5* एस. सी. सी. *593 (*अनुच्छेद *60-66* पर*)*, दर्शन सिंह बनाम। राम पाल सिंह और अन्र। , *1992* उदाहरण के लिए *(1)* एस. सी. सी. *191 (*पैरा *35* पर*)*, प्यारे लाल शर्मा बनाम। प्रबंध निदेशक और अन्य। , *(1989) 3*

एस. सी. सी. *448 (*पैराग्राफ *21* पर*)*, पी. डी. अग्रवाल और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। , *(1987) 3* एस. सी. सी. *622 (*पैराग्राफ *18* पर*)*, और गोविंद दास और अन्य। वी. आयकर अधिकारी और ए. एन. आर. , *(1976) 1* एस. सी. सी. *906 (*पैराग्राफ में*)*

6 और *11)*, यह तर्क देने के लिए कि यदि कोई धारा तथ्यों के एक पूर्ववर्ती समूह पर काम करती है, लेकिन एक निहित अधिकार को प्रभावित करती है, तो इसे पूर्वव्यापी माना जा सकता है, और जब तक कि विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसी पूर्वव्यापीता का इरादा नहीं रखती है, तब तक धारा का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक निर्णय अलग-अलग स्थितियों से संबंधित है जिसमें दंडात्मक और अन्य अधिनियम निहित अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें प्रकृति में संभावित माना गया था। हालांकि, आर्सेलर मित्तल *(*ऊपर*)* में हमारे फैसले में, हम पहले ही यह मान चुके हैं कि समाधान आवेदकों को समाधान प्रक्रिया में इस तरह से विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। हालाँकि, श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह निर्णय अलग करने योग्य है क्योंकि इस मामले में संवैधानिक वैधता का कोई सवाल ही नहीं उठा और प्रवर्तक के निहित अधिकार के बारे में कोई मुद्दा विचार के लिए नहीं आया। हमारा विचार है कि आर्सेलर मित्तल *(*उपरोक्त*)* में की गई टिप्पणियाँ सीधे मामले के तथ्यों पर उत्पन्न हुईं ताकि रुइया को उनके विचार के दायरे से प्रवर्तकों के रूप में बाहर किया जा सके। समाधान योजना, जिस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन्हें समाधान आवेदक के रूप में माने जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। तदनुसार, हम उपरोक्त निर्णय का पालन करते हैं। चूंकि एक समाधान आवेदक जो धारा *29* ए *(*सी*)* के तहत आवेदन करता है, उसे समाधान आवेदक के रूप में माने जाने के लिए आवेदन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसलिए इस बिंदु का कोई लाभ नहीं है।

धारा *29* ए *(*सी*)* गलत काम करने के लिए प्रतिबंधित नहीं

66. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, धारा *29* ए *(*सी*)* असमान लोगों को समान मानती है। एक अच्छे पूर्ववर्ती प्रबंधक को एक साथ नहीं रखा जा सकता। एक बुरे पूर्व प्रबंधक के साथ। जहां एक पूर्व प्रबंधक कदाचार या निगम के हितों के विपरीत कार्य करने का दोषी नहीं है *[2019] 3* एस. सी. आर.

ऋणी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आखिरकार, याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण एक महत्वपूर्ण कार्य है।

संहिता द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य। पहले अच्छे को बाहर रखना समाधान प्रक्रिया के प्रबंधक इस उद्देश्य के विपरीत होंगे।

67. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आपत्ति का विद्वानों द्वारा विरोध किया गया था

महान्यायवादी और महान्यायवादी ने कहा कि धारा *29* ए के विभिन्न खंडों से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को समाधान प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए अपराधी होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, धारा *29* ए *(ए)* के तहत, यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति बिना किसी गलती के दिवालिया हो सकता है। समान रूप से, धारा *29* ए *(ई)* के तहत, किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, *2013* के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कहें, जहां उन्होंने समय पर आवश्यक वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं *[*कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *164 (2) (ए) ** देखें*]*।

68. कुछ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भी

तर्क दिया कि धारा *35 (1) (च)* का प्रावधान जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता *(*संशोधन*)* अधिनियम, *2017 [*दिनांक *23.11.2017* से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था, स्पष्ट रूप से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन है। धारा *35 (1) (च)* का परंतुक इस प्रकार हैः

" 35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य। — *(1)* विषय के अधीन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देश, परिसमापक के पास होगा

निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य, अर्थात्ः

XXX XXX XXX

4 " 164. निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता।

XXX XXX XXX *(2)* कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का निदेशक है या रहा है जो

(क*)* किसी भी निरंतर कार्य के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है।

तीन वित्तीय वर्षों की अवधि; या
(ख*)* उसके द्वारा स्वीकार की गई जमाओं का पुनर्भुगतान करने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या नियत तिथि पर किसी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित किसी लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या भुनाने में ऐसी विफलता जारी है।

एक वर्ष या उससे अधिक,

खंड *(ए)* या खंड *(*बी*)* की चूक में, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अयोग्यता का सामना नहीं करेगा।

*XXX XXX "*स्विस रिबन्स *PVT*। लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

*(*च*)* धारा *52* के अधीन रहते हुए, अचल और चल संपत्ति और निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को बेचना।

सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा परिसमापन, ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति या निगम निकाय को हस्तांतरित करने की शक्ति के साथ, या

समान को पार्सल में इस तरह से बेचें जो निर्दिष्ट किया जाए:

बशर्ते कि परिसमापक परिसमापन में अचल और चल संपत्ति या निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेगा जो समाधान आवेदक होने का पात्र नहीं है।
XXX XXX "

69. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, जब अचल और चल संपत्ति को परिसमापन में बेचा जाता है, तो इसे किसी भी व्यक्ति को बेचा जाना चाहिए, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो समाधान के पात्र नहीं हैं। आवेदक, अक्सर, यह पूर्व प्रवर्तक होता है जो अकेले सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा ऐसी संपत्तियों को खरीद सकता है। वही तर्क जो इस निर्णय में पहले प्रदान किया गया है, इस परंतुक पर भी लागू होगा-परिसमापन में निगमित देनदार की अचल और चल संपत्ति के लिए बोली लगाने के लिए निगमित देनदार के पूर्व प्रवर्तक में कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, उन व्यक्तियों की श्रेणियों को देखते हुए जो धारा *29* ए के तहत अयोग्य हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भ्रष्ट हैं, या जो किसी तरह से कानून की अवहेलना करते हैं, और जो व्यक्ति अनुमत अनुग्रह अवधि में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस परंतुक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति खरीदने से रोक दिया गया है, जिनके ऋणों का उन्होंने या तो जानबूझकर भुगतान नहीं किया है या भुगतान करने में असमर्थ हैं। धारा *29* ए में व्याप्त विधायी उद्देश्य धारा में तब भी व्याप्त रहता है जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होता है, बल्कि परिसमापन पर भी लागू होता है। नतीजतन, यह याचिका भी खारिज कर दी जाती है।

धारा *29* ए *(*सी*)* और एन. पी. ए. एस. में एक-वर्षीय अवधि

70. यह स्पष्ट है कि धारा *29* ए समाधान योजना प्रस्तुत करने की पात्रता पर निर्भर करती है। आर. बी. आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूक करने वाला वह व्यक्ति होगा जो भुगतान करने में सक्षम होने के बावजूद भुगतान नहीं करता है। दूसरी ओर, एन. पी. ए. किसी व्यक्ति के खाते को संदर्भित करता है जो आर. बी. आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत घोषित किया जाता है। इस समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों का प्रचार करना महत्वपूर्ण है। आय मान्यता, परिसंपत्ति पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रमुख परिपत्र

दिनांकित अग्रिमों से संबंधित वर्गीकरण और प्रावधान *[2019] 3* एस. सी. आर.

. 2015 [" आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर*]* ने जारी किए गए निर्देशों को समेकित किया

30.06.2015 एनपीए पर। खंड *2* एन. पी. ए. को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" 2. परिभाषाएँ

2.1 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ

2.1. 1 पट्टे पर दी गई संपत्ति सहित कोई संपत्ति गैर-निष्पादित हो जाती है।

जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है।

2.1. 2 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति *(*एन. पी. ए.*)* ऋण या अग्रिम राशि होती है।

कहाँ*;*

आई. सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त *90* दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

ii. खाता 'क्रम से बाहर' रहता है जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया है

2.2 नीचे, ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट *(*ओडी/सीसी*)* के संबंध में,

iii. बिल *90* दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहता है।

खरीदे गए और छूट वाले बिलों के मामले में,

iv. मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त अतिदेय रहती है

कम अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसमों के लिए,

वी. मूलधन या उस पर ब्याज की किश्त अतिदेय रहती है

लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल के मौसम के लिए,

vi. प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि *90* दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

प्रतिभूतिकरण पर दिनांकित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया कार्य

1 फरवरी*, 2006*।

vii. व्युत्पन्न लेन-देन के संबंध में, किसी व्युत्पन्न के सकारात्मक बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्तियां

अनुबंध, यदि ये *90* दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक रहते हैं

भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से।

2.1. 3 ब्याज भुगतान के मामले में, बैंकों को किसी खाते को एन. पी. ए. के रूप में केवल तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी भी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से *90* दिनों के भीतर पूरी

तरह से सेवित नहीं किया जाता है। *2.1. 4* इसके अलावा, एक खाते को पैराग्राफ *4.2* के संदर्भ में एन. पी. ए. के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। *4* इस मास्टर सर्कुलर का "। स्विस रिबन्स पीवीटी।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर का खंड *4* परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित है।

डब्ल्यूएसः

" 4. एसेट वर्गीकरण

4.1 एन. पी. ए. की श्रेणियाँ

बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है जिसके लिए परिसंपत्ति गैर-निष्पादित रही है और परिसंपत्तियों की प्राप्ति की क्षमता

देय राशिः

- उप-मानक परिसंपत्तियाँ
- संदिग्ध संपत्तियाँ
- हानि परिसंपत्तियाँ

4.1. 1 उप-मानक परिसंपत्तियाँ

31 मार्च, *2005* से एक उप-मानक परिसंपत्ति ऐसी होगी जो *12* महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एन. पी. ए. बनी हुई है। ऐसी परिसंपत्ति में अच्छी तरह से परिभाषित ऋण होगा।

कमजोरियाँ जो ऋण के परिसमापन को खतरे में डालती हैं और इस विशिष्ट संभावना की विशेषता है कि यदि कमियों को ठीक नहीं किया जाता है तो बैंक कुछ नुकसान उठाएंगे। *4.1. 2* संदिग्ध संपत्तियाँ

31 मार्च, *2005* से किसी परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह *12* महीने की अवधि के लिए उप-मानक श्रेणी में बनी हुई है। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण में उन परिसंपत्तियों में निहित सभी कमजोरियां होती हैं जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था -

उप-मानक, इस अतिरिक्त विशेषता के साथ कि कमजोरियां वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शर्तों और मूल्यों के आधार पर संग्रह या परिसमापन को पूर्ण रूप से बनाती हैं-अत्यधिक संदिग्ध और

असंभव है।

4.1. 3 हानि परिसंपत्तियाँ

हानि परिसंपत्ति वह होती है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई हो, लेकिन राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो। दूसरे शब्दों में, ऐसी संपत्ति को संग्रहणीय नहीं माना जाता है और इसका मूल्य इतना कम होता है कि बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसका बने रहना आवश्यक नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

71. उपरोक्त परिपत्र से जो स्पष्ट है वह यह है कि खातों को केवल तभी एन. पी. ए. घोषित किया जाता है जब किसी निगमित देनदार द्वारा किए गए चूक का समाधान नहीं किया जाता है *(*उदाहरण के लिए, एक सावधि ऋण के संबंध में *90* दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया मूलधन पर ब्याज और/या किश्त*)*। इस तरह के एन. पी. ए. की घोषणा के बाद, यह स्पष्ट है कि एक घटिया परिसंपत्ति एन. पी. ए. होगी जो बारह महीने की अवधि के लिए बनी हुई है। संक्षेप में, एक व्यक्ति एक चूककर्ता होता है जब कोई किस्त और/या मूलधन पर ब्याज तीन महीने से अधिक समय तक बकाया रहता है, जिसके बाद, उसके खाते को एन. पी. ए. घोषित कर दिया जाता है। एक वर्ष की अवधि के दौरान

इसके बाद, चूंकि इसे अब एक घटिया परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यह छूट अवधि ऐसे व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिए दी जाती है। इस छूट अवधि के दौरान, यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन करने के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ बोली लगा सकता है। ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि इस एक साल-तीन महीने की अवधि से पहले बैंक और वित्तीय संस्थान कॉर्पोरेट देनदारों के खातों की घोषणा नहीं करते हैं। एन. पी. ए. होना। व्यवहार के रूप में, वे पहले कॉर्पोरेट देनदार के साथ विवादों को हल करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद, कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एन. पी. ए. घोषित किया जाता है। इसलिए विधायी नीति के मामले में, काफी अलग

यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष और तीन महीने की इस अवधि के भीतर पूरे या आंशिक रूप से लिए गए ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है *(*जो, किसी भी मामले में, एक पूर्व अवधि के बाद है जहां कॉर्पोरेट देनदार और उसके वित्तीय लेनदार एक साथ बैठते हैं जो जारी रहता है*)*, तो इसे समाधान आवेदक बनने के लिए अयोग्य कहा जाता है। कारण देखने के लिए दूर नहीं है। एक व्यक्ति जो उपरोक्त अवधि के लिए ऋण की अदायगी नहीं कर सकता है, वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं बीमार है। यीशु की कहावत दिमाग में आती है-"अगर

अंधे अंधे का नेतृत्व करते हैं, दोनों खाई में गिर जाते हैं। इसलिए, विधायी नीति यह है कि एक व्यक्ति जो ऊपर निर्दिष्ट अनुग्रह अवधि से अधिक अपने स्वयं के ऋण को चुकाने में असमर्थ है, वह समाधान आवेदक बनने के योग्य होने के लिए अयोग्य है। इस नीति में दोष नहीं पाया जा सकता है। न ही एक वर्ष की अवधि को दोषपूर्ण पाया जा सकता है, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किया जाता है और जो इसके मास्टर सर्कुलर से उभरता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान, एक एन. पी. ए. को घटिया परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद ही अयोग्यता जुड़ती है क्योंकि एन. पी. ए. अब एक संदिग्ध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो जाता है। *72.* संहिता के कामकाज की निगरानी के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने मार्च *2018* की अपनी रिपोर्ट में भी मामले के इस पहलू पर विचार किया है और निम्नलिखित राय दी है:

" 14.8 एन. पी. ए. खाता रखने के लिए खंड *(*सी*)* के तहत अयोग्यता के संबंध में, समिति को यह भी बताया गया था कि स्विस रिबन्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[आर. एफ. नरीमन, जे.]*

एन. पी. ए. खाते के अस्तित्व की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। एक साल से तीन साल तक। इसका कारण यह बताया गया कि ए

एक विशिष्ट व्यावसायिक चक्र में मंदी के बढ़ने की सबसे अधिक संभावना थी एक वर्ष से अधिक। हालांकि, किसी भी ठोस डेटा के अभाव में,

एन. पी. ए. के अस्तित्व के लिए आदर्श समय अवधि इसके लिए होनी चाहिए आवेदन करने के लिए अयोग्यता। समिति ने महसूस किया कि संहिता थी

एक अपेक्षाकृत नया कानून और इसलिए, यह विवेकपूर्ण होगा

प्रतीक्षा करें और कुछ समय के लिए उद्योग के अनुभव को उभरने दें

एन. पी. ए. होल्डिंग में कोई संशोधन किए जाने से कई साल पहले

धारा *29* ए *(सी)* के तहत अवधि। की प्रयोज्यता के संबंध में

धारा *29* ए *(सी)*, समिति ने यह भी चर्चा की कि यह होना चाहिए

स्पष्ट किया कि धारा *29* ए *(सी)* के अनुसार अयोग्यता

लागू होगा यदि ऐसे एन. पी. ए. खाते

समाधान आवेदक या उसके संबंधित व्यक्ति

आर. पी. को समाधान योजना प्रस्तुत करना।

(मूल में जोर)

संबंधित पार्टी

73. धारा के खिलाफ एक संवैधानिक चुनौती दी गई है

जे*)* "संबंधित पक्ष" की परिभाषा के साथ पढ़ें। संबंधित पक्ष को संहिता में इस प्रकार लिखा गया हैः

" 5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX (24) " निगमित ऋणी के संबंध में संबंधित पक्ष का अर्थ है

(क) निगमित ऋणी का निदेशक या भागीदार या कोई रिश्तेदार
निगमित देनदार के निदेशक या भागीदार का;

(ख) निगमित देनदार का एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या

निगमित देनदार के एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का रिश्तेदार; *(ग)* एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसमें

निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक या उसका

रिश्तेदार एक भागीदार है;

(घ) एक निजी कंपनी जिसमें निदेशक, भागीदार या प्रबंधक हो। निगमित ऋणी एक निदेशक है और अपने साथ रखता है

रिश्तेदार, इसकी शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक; *[2019] 3* एस. सी. आर.

रिश्तेदार, इसकी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक; *(च)* कोई भी निगमित जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, निगमित देनदार के निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है;

(छ) कोई सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करते हैं; *(ज)* कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर,

निगमित देनदार के निदेशक, भागीदार या प्रबंधक कार्य करने के आदी हैं;

(i) एक निगमित निकाय जो निगमित देनदार की एक होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी है, या एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है जिसमें निगमित देनदार एक सहायक है;

(जे) कोई भी व्यक्ति जो स्वामित्व के कारण निगमित देनदार में बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों को नियंत्रित करता है या

मतदान समझौता;

(के) कोई भी व्यक्ति जिसमें कॉर्पोरेट देनदार अधिक नियंत्रण करता है

स्वामित्व या मतदान समझौते के कारण मतदान के अधिकारों का बीस प्रतिशत से अधिक; *(1)* कोई भी व्यक्ति जो निदेशक मंडल या निगम के संबंधित शासी निकाय की संरचना को नियंत्रित कर सकता है।

कर्जदार;

(एम) कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ है

(i) निगम की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी

ऋणी; या

((ii) दोनों के बीच दो से अधिक निदेशक होने पर

निगमित देनदार और ऐसा व्यक्ति; या

(iii) निगमित देनदार और ऐसे व्यक्ति के बीच प्रबंधकीय कर्मियों का आदान-प्रदान; या स्विस रिबन्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

((iv) निगमित देनदार को या उससे आवश्यक तकनीकी जानकारी का प्रावधान;

*4(*क*)* किसी व्यक्ति के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है -

(बी*)* एक सीमित देयता साझेदारी, या एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म का भागीदार, जिसमें व्यक्ति एक है भागीदार;

(ग*)* एक व्यक्ति जो एक ऐसे न्यास का न्यासी है जिसमें न्यास के लाभार्थी में व्यक्ति शामिल है, या न्यास की शर्तें न्यासी को एक शक्ति प्रदान करती हैं जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

व्यक्ति का लाभ; *((*घ*)* एक निजी कंपनी जिसमें व्यक्ति निदेशक है और

दो प्रतिशत से अधिक अपने रिश्तेदारों के साथ रखता है। इसका

शेयर पूंजी;

(ई*)* एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें व्यक्ति निदेशक है और

रिश्तेदारों के साथ, दो प्रतिशत से अधिक। इसकी चुकता शेयर पूंजी का;

(च*)* एक निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, व्यक्ति की सलाह, निर्देश या निर्देश;

(छ*)* एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, व्यक्ति की सलाह, निर्देशों या निर्देशों पर कार्य करते हैं;

((i) एक कंपनी, जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संबंधित पार्टी के पास पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। कंपनी की शेयर पूंजी या कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

(क*)* किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में "रिश्तेदार" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है, अर्थात् *[2019] 3* एस. सी.

((v) माँ,

(vi) बेटा,

(ix) बेटी की बेटी और बेटा,

(x) पोते की बेटी और बेटा,

(xi) पोती की बेटी और बेटा,

(xii) भाई,

(xiii) बहन,

(xv) बहन का बेटा और बेटी,

(xvi) पिता के पिता और माता,

(xvii) माता के पिता और माता,

(xviii) पिता का भाई और बहन,

(xix) माता का भाई और बहन, और

((ख) जहाँ कहीं भी पुत्र, पुत्री का संबंध हो।

भाई, उनके जीवनसाथी भी शामिल होंगे।

74. याचिकाकर्ताओं द्वारा जो तर्क दिया गया है वह यह है कि केवल तथ्य

ऐसा होता है कि कोई अपात्र व्यक्ति का रिश्तेदार इतना अच्छा नहीं हो सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को प्रस्ताव लागू करने से हटा सके यदि वह अन्यथा योग्य है। विशेष रूप से श्री विश्वनाथ ने हमसे इस संबंध के सिद्धांत को लागू करने का आग्रह किया था जो सर्वविदित है और इस न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी संदर्भों में कई निर्णयों में लागू किया गया है, विशेष रूप से भारत के महान्यायवादी और अन्य मामलों में। वी. अमरा

प्रजिवंदास और ओआरएस। , *(1994) 5* एससीसी *54*। पैराग्राफ *44* अन स्विस रिबन्स पी. वी. टी. के रूप में पढ़ा जाता है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" 44. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि विस्तार

रिश्तेदारों, सहयोगियों और अन्य 'धारकों' के लिए सेफेमा के प्रावधान फिर से अतिव्यापी या अति विस्तार का मामला है, जैसा कि इसे कहा जा सकता है-अत्यधिक विनियमन का मामला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड के तहत आने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार या सहयोगी

(ए) या सेफेमा की धारा *2 (2)* के खंड *(*बी*)* ने अपनी संपत्तियों का अधिग्रहण किया हो सकता है, अवैध तरीकों से हो सकता है, लेकिन कोई कारण नहीं है कि उन संपत्तियों को सेफेमा के तहत केवल इसलिए जब्त किया जाए क्योंकि वे हिरासत में लिए गए व्यक्ति या दोषी से संबंधित हैं या उनके सहयोगी हैं, जैसा भी मामला हो। यह इंगित किया गया है कि स्पष्टीकरण *(2)* में 'सापेक्ष' और स्पष्टीकरण *(3)* में 'सहयोगी' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि किसी व्यक्ति को दूर से संबंधित या

SAFEMA के जाल के भीतर दोषी/बंदी से जुड़े,

अधीन आने वाले व्यक्ति की "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" को जब्त करना। धारा *2 (2)* का खंड *(ए)* या खंड *(*बी*)*। रिश्तेदारों और सहयोगियों को केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जाता है कि दोषी या बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जो उनके नाम पर अर्जित या रखी गई है, अधिनियम के जाल से न बचे। यह एक कुआँ है।

ज्ञात तथ्य यह है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति अपनी रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर ऐसी अवैध गतिविधि से अर्जित संपत्तियों की जांच करते हैं। कभी-कभी वे ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण करते हैं। उन्हें, स्वामित्व और स्वामित्व हस्तांतरित करने के इरादे से हो सकता है। वास्तव में, यह मायने नहीं रखता कि ऐसा रिश्तेदार या सहयोगी दोषी/बंदी की संपत्तियों को कैसे रखता है-चाहे वह बेनामी के रूप में हो या केवल एक नाम-ऋणदाता के रूप में या मूल्य के लिए या किसी अन्य तरीके से एक प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता के रूप में। वह उन संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकता है और उसे अधिनियम के तहत उन्हें राज्य को सौंप देना चाहिए। चूँकि वह एक रिश्तेदार या सहयोगी है, जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, वह यह साबित होने के बाद कोई बचाव नहीं कर सकता है कि उस संपत्ति को बंदी द्वारा अधिग्रहित किया गया था-चाहे वह उसके अपने नाम पर हो या उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर। यह उन कई उपकरणों का प्रतिकार करने के लिए है जिन्हें अपनाया गया है या अपनाया जा सकता है।

धारा *2 (2)* के खंड *(ए)* और *(*बी*)* में उल्लिखित व्यक्ति कि उनके उक्त उप-धारा के खंड *(*ग*)* और *(*घ*)* में उल्लिखित रिश्तेदारों और सहयोगियों को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाता है। दोषी/बंदी की संपत्तियों को रखने या रखने का तथ्य दोषी/बंदी और उसके *[2019] 3* एस. सी. आर. के बीच संबंध को प्रस्तुत करता है।

यह अधिनियम का उद्देश्य था जो प्रस्तावना के पैरा *4* से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है: और जबकि ऐसे व्यक्तियों के पास कई मामलों में अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों के नाम पर इस तरह के लाभ के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को धारण कर रहा है। हम.

हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रस्तावना का उपयोग अधिनियम के दायरे को सीमित करने के लिए किया जा सकता है, हम केवल अधिनियम के उद्देश्य का पता लगाने और खुद को आश्वस्त करने के लिए इसका उल्लेख कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया निर्माण उक्त उद्देश्य के अनुरूप है।*]* . हम आगे बढ़ सकते हैं हम जो कहते हैं उसे समझाएँ। खंड *(*ग*)* खंड *(*क*)* या खंड *(*ख*)* में निर्दिष्ट व्यक्ति के किसी रिश्तेदार की बात करता है *(*जो किसी दोषी या बंदी की बात करता है*)*। इसी तरह, खंड *(*घ*)* ऐसे दोषी या बंदी के सहयोगियों के बारे में

बात करता है। यदि हम स्पष्टीकरण *(3)* को देखें जो निर्दिष्ट करता है कि खंड *(घ)* में निर्दिष्ट सहयोगी कौन हैं, तो मामला

अधिक स्पष्ट हो जाता है। 'सहयोगी का अर्थ है-*(i)* कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर *(*आउटहाउस सहित*)* में रह रहा था या रह रहा है *['*ऐसा व्यक्ति' खंड *(ए)* या खंड *(बी)* में निर्दिष्ट दोषी या बंदी को संदर्भित करता है, जैसा भी मामला हो*]; (ii)* कोई भी व्यक्ति जो मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा है या ऐसे दोषी/बंदी के खातों को रख रहा है*; (iii)* कोई भी

व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी जिसमें से ऐसा दोषी/बंदी था या है सदस्य, भागीदार या निदेशक*; (iv)* कोई भी व्यक्ति जो खंड *(iii)* में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है, किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति व्यक्तियों के ऐसे संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है*; (v)* कोई भी व्यक्ति

जो खंड *(iii)* में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा था*; (vi)* किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी जहां *(ए)* ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है*;* या *(बी)* ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट की राशि में योगदान की गई संपत्ति का मूल्य, योगदान की तारीख को स्विस रिबन्स पी. वी. टी. से कम नहीं है।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कहा जाता है, दोषी/बंदी की संपत्ति या संपत्ति का कब्जा या ऐसे बंदी/दोषी के लिए पता लगाने योग्य है। इस संदर्भ में धारा *4* भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह घोषणा करता है कि "इस अधिनियम के प्रारंभ से, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखना विधिसम्मत नहीं होगा।" ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस धारा की भाषा अधिनियम के दायरे का संकेत है। धारा *2 (2)* के खंड *(ग)* और *(घ)* और उसमें आने वाले स्पष्टीकरण *(2)* और *(3)* का अर्थ लगाया जाना चाहिए और अधिनियमन की समग्र योजना और उद्देश्य के आलोक में समझा गया। विचार यह है कि दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, भले ही ऐसी संपत्तियां किसी रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर रखी गई हों या रखी गई हों, जैसा कि उक्त दो स्पष्टीकरणों में परिभाषित किया गया है। विचार यह है कि ऐसे रिश्तेदारों या सहयोगियों की स्वतंत्र संपत्तियों को जब्त नहीं किया जाए, जिन्हें उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया हो, लेकिन केवल दोषी/बंदी की संपत्तियों या उसके लिए पता लगाने योग्य संपत्तियों तक पहुंचने के लिए, जहां भी वे हैं, उन संपत्तियों के संबंध में सभी लेनदेन की अनदेखी करते हुए। दृष्टांत के रूप में, एक ऐसे मामले को लें जहां एक दोषी/बंदी अपने रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर संपत्ति खरीदता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ऐसा व्यक्ति चाहता है या नहीं।

केवल एक नाम-ऋणदाता होने के लिए या क्या वह वास्तव में चाहता है कि ऐसा व्यक्ति उसका वास्तविक मालिक और/या स्वामी होगा

धारा *3 (*ग*)* के अर्थ के भीतर गुण। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि ऐसे रिश्तेदारों और सहयोगियों की स्वतंत्र रूप से अर्जित संपत्तियां भी ज़ब्त किया जाता है, भले ही वे किसी भी तरह से दोषी/बंदी से जुड़े न हों। जहाँ तक धारकों का संबंध है *(*रिश्तेदार और सहयोगी नहीं*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अलग आधार पर। यदि ऐसा व्यक्ति साबित करता है कि वह अंतरिती है
विचार के लिए अच्छे विश्वास में, उसकी संपत्ति-भले ही

एक दोषी/बंदी से खरीदा गया-ज़ब्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह.

धारा *6* के तहत, और जो उस तारीख को किसी रिश्तेदार द्वारा आयोजित किए जाते हैं या
दोषी/बंदी का एक सहयोगी, अवैध रूप से अर्जित नहीं है

दोषी/बंदी की संपत्ति ऐसे रिश्तेदार/सहयोगी पर निर्भर करती है।

उसे यह स्थापित करना चाहिए कि उक्त संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

बंदी/दोषी द्वारा प्रदान किए गए धन या संपत्ति के साथ या

वे वास्तव में ऐसे बंदी/दोषी से संबंधित नहीं थे या नहीं थे। हम.

यह मत सोचिए कि संसद ने कभी यह कहने का इरादा किया कि संपत्तियाँ
सभी रिश्तेदारों और सहयोगियों में से, अवैध रूप से अर्जित किया जा सकता है,

केवल इसलिए जब्त किया जाए क्योंकि वे रिश्तेदार हैं या

दोषी/बंदी के सहयोगी। जुड़ाव होना चाहिए

उन संपत्तियों और दोषी/बंदी के बीच संबंध, बोझ

एक गलत आधार पर। रिश्तेदारों को लाना और
धारा के खंड *(ई)* में उल्लिखित व्यक्तियों के सहयोगी या

2 (2) इस प्रकार इसके अलावा न तो भेदभावपूर्ण है और न ही अक्षम है
अनुच्छेद *31*-बी का संरक्षण।

(जोर दिया गया*)*

75. हमारा विचार है कि जो व्यक्ति संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करते हैं

अन्य समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं। इसी तरह, अनुभाग में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियां

5 (24 ए*)* दिखाएँ कि ऐसे व्यक्तियों को धारा *29* ए *(*जे*)* के अर्थ के भीतर समाधान आवेदक के साथ "जुड़ा हुआ" होना चाहिए। यह मामला होने के कारण, व्यक्तियों की उक्त श्रेणियां जिनका सामूहिक रूप से उल्लेख किया गया है

शीर्षक "सापेक्ष" स्पष्ट रूप से समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ संबंध रखने की आवश्यकता है। यह दिखाने के अभाव में कि ऐसा व्यक्ति समाधान आवेदक की गतिविधि के व्यवसाय से "जुड़ा हुआ" है, ऐसे व्यक्ति को संभवतः धारा *29* ए *(*जे*)* के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। धारा *29* ए *(*जे*)* की सभी श्रेणियां प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित हैं, जो राज्य की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। समाधान आवेदक। इसलिए अभिव्यक्ति "संबंधित पक्ष", और स्विस रिबन्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

"परिभाषा में निहित "सापेक्ष" धाराओं को स्पष्टीकरण *I* में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ एक समाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो संकल्प आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं।

76. एक तर्क यह भी दिया गया कि स्पष्टीकरण *I*, खंड *(ii)* से धारा *29* ए *(*जे*)* में "संबद्ध व्यक्ति" अभिव्यक्ति संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित नहीं कर सकती है जो भविष्य में निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में हो सकता है। यह मनमाना होगा क्योंकि स्पष्टीकरण तब एक अनिश्चित व्यक्ति पर लागू होगा। इस विवाद को भी दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि स्पष्टीकरण *I* यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्यथा "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में शामिल है, तो यह प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करेगा जो व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में है।

समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित देनदार। इसलिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो पूर्ववर्ती समय पर या समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान भी निगमित देनदार के व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालता है। यह धारा *29* ए *(*जे*)* की संवैधानिक वैधता के बारे में सवाल उठाने वाली सभी दलीलों का निपटारा करता है।

खंड से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का निष्कासन

29 ए.

77. मार्च *2018* की आई. एल. सी. रिपोर्ट में पाया गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था की नींव बनाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। रोजगार, उत्पादन, आर्थिक विकास, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन के कारक।

78. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की धारा *7*

विकास अधिनियम, *2006* उद्यमों को इस आधार पर वर्गीकृत करता है कि क्या वे वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करते हैं, या किए गए कुछ निवेशों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान करने और प्रदान करने में लगे हुए हैं:

"7. उद्यमों का वर्गीकरण। — *(1)* इसके बावजूद

उद्योग *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1951 (1951* का *65)* की धारा *11*-बी में निहित कुछ भी, केंद्र सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा और उप-धाराओं *(4)* और *(5)* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उद्यमों के किसी भी वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत कर सकती है, चाहे वह स्वामित्व हो, हिंदू अविभाजित हो।

(क*)* उद्योगों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों के मामले में *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1951 (1951* का *65)*

पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं*;* या

((iii) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश पांच करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उससे अधिक नहीं है।

दस करोड़ रुपये*;*

(ख*)* सेवाएँ प्रदान करने या प्रदान करने में लगे उद्यमों के मामले में, जैसे -

((i) एक सूक्ष्म उद्यम, जहाँ उपकरणों में निवेश किया जाता है।

दस लाख रुपये से अधिक नहीं*;*

((ii) एक छोटा उद्यम, जिसमें उपकरणों में निवेश दस लाख रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। रुपये*;* या

((iii) एक मध्यम उद्यम, जहाँ उपकरणों में निवेश दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

रुपये।

XXX XXX "

79. 2018 की आई. एल. सी. रिपोर्ट में इन उद्योगों को छूट दी गई है।

संहिता के *29* ए *(*सी*)* और *29* ए *(*एच*)* पर, ऐसा करने के लिए उनका तर्क रिपोर्ट के पैराग्राफ *27.4* में निहित है, जो इस प्रकार है:

संहिता के तहत दिवालियापन। हालाँकि, यह देखते हुए कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं, और उनका उद्देश्य उन्हें परिसमापन में धकेलना और कर्मचारियों और श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित करना नहीं है एम. एस. एम. ई. में, समिति ने स्विस रिबन्स पी. वी. टी. को स्पष्ट रूप से अनुदान देने के लिए उपयुक्त होने की मांग की।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कॉर्पोरेट देनदारियों को छूट जो अनुमति देकर एमएसएमई हैं

प्रवर्तक जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, एमएसएमई के लिए बोली लगाने के लिए

दिवालियापन। इस छूट का कारण यह है कि एक व्यवसाय एम. एस. एम. ई. मुख्य रूप से एम. एस. एम. ई. के प्रवर्तक से ब्याज आकर्षित करता है।

और अन्य समाधान आवेदकों के लिए रुचि का नहीं हो सकता है। ”

(जोर दिया गया*)*

80. इस प्रकार, ऐसे उद्योगों को बाहर रखने का तर्क

धारा *29* ए *(*सी*)* और *29* ए *(*एच*)* में निर्धारित योग्यता मानदंड है क्योंकि

यू. सी. एच. उद्योग, अन्य समाधान आवेदक आगामी नहीं हो सकते हैं,

तब अनिवार्य रूप से समाधान की ओर नहीं, बल्कि परिसमापन की ओर ले जाएगा। इसके बाद

दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, धारा *240* ए

06.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कोड में निम्नानुसार लिखा गया हैः

"240 - ए. सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों में इस संहिता का प्रयोग

उद्यम। *(1)* इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

इस संहिता के खंड *(*ग*)* और *(*ज*)* के प्रावधान

धारा *29* ए समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगी।

किसी भी सूक्ष्म, लघु की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

और मध्यम उद्यम।

लोक हित, अधिसूचना द्वारा, निर्देश देता है कि कोई भी प्रावधान इस संहिता का

*(*क*)* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू नहीं होता है; या
*(*ख*)* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू होता है, जिनके साथ

अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए संशोधन।

(3) उप के तहत जारी की जाने वाली प्रत्येक प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा

(4) यदि दोनों सदन अधिसूचना के मुद्दे को अस्वीकार करने के लिए सहमत हैं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हैं,

अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल इस प्रकार जारी की जाएगी

संशोधित रूप जिस पर दोनों सदनों द्वारा सहमति हो सकती है,

मामला हो सकता है।

(5) उप-धारा *(3)* में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि

इसमें कोई भी अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान सदन उप *[2019] 3* एस. सी. आर. में संदर्भित है।

धारा *(4)* को चार से अधिक समय के लिए स्थगित या स्थगित कर दिया जाता है।

लगातार दिन। *(6)*
इस धारा के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे जारी किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम "से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, *2006 (2006* का *27)* की धारा *7* की उप-धारा *(1)* के तहत वर्गीकृत उद्यमों का कोई भी वर्ग या वर्ग अभिप्रेत है।

81. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब संहिता ने उद्यमों के एक वर्ग के लिए कठिनाई पैदा की है, तो सरकार द्वारा गठित समिति, संहिता के कामकाज की देखरेख में, ऐसी समस्याओं के प्रति सचेत रही है, और सरकार ने धारा *240* ए को लागू करने में समिति की सिफारिशों का पालन किया है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे कार्यपालक संहिता के अनुप्रयोग की निगरानी करना जारी रखता है, और उद्यमों के एक वर्ग को इसके कुछ अनुप्रयोगों से छूट देता है। योग्य मामलों में प्रावधान। यह और संहिता में बार-बार किए जा रहे अन्य संशोधन, और इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ कानून, समिति की रिपोर्टों के आधार पर, जो संहिता के कामकाज पर गौर कर रहे हैं, यह भी दिखाएंगे कि विधायिका संहिता के कामकाज में उत्पन्न होने वाली गंभीर विसंगतियों के प्रति सचेत है और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा रही है।

संहिता की धारा *53* अनुच्छेद *14* का उल्लंघन नहीं करती है।

82. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील द्वारा एक तर्क दिया गया है कि परिसमापन की स्थिति में, परिचालन लेनदार

उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वे अन्य सभी लेनदारों से नीचे हैं, जिनमें अन्य असुरक्षित लेनदार भी शामिल हैं जो वित्तीय लेनदार होते हैं। उनके अनुसार, यह धारा *53* और विशेष रूप से, धारा *53 (1) (च)* को भेदभावपूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमाना बना देगा और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करेगा।

धारा *53 (1)* इस प्रकार हैः

" 53. परिसंपत्तियों का वितरण। *(1)* संसद द्वारा अधिनियमित किसी विधि में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद या

तत्काल प्रवृत्त किसी भी राज्य विधानमंडल में परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे स्विस रिबन पी. वी. टी. में वितरित किया जाएगा।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जिस तरह से निर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन

पूरी तरह से भुगतान की गई लागत; *(ख)* निम्नलिखित ऋण जो और के बीच समान श्रेणी के होंगे।

निम्नलिखित में से -

(i) चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया

परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले; और *((ii)* किसी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण, यदि ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने निम्नलिखित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है।

धारा *52;*

(ग) मजदूरी और इसके अलावा अन्य कर्मचारियों को देय कोई भी बकाया राशि

इससे पहले के बारह महीनों की अवधि के लिए श्रमिक

परिसमापन शुरू होने की तारीख; *(घ)* असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण;

(ई) निम्नलिखित देय राशि के बीच और उनके बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध होगी।

निम्नलिखितः

((i) परिसमापन प्रारंभ होने से पहले की दो वर्ष की अवधि के पूरे या किसी भाग के संबंध में भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि।

तिथि;

((ii) प्रतिभूति ब्याज लागू होने के बाद किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हो; और *(ज)* इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो।

XXX XXX "

मामले के इस पहलू से निपटने में एनसी कोड ने कहा हैः "समिति ने केंद्र और राज्य सरकार के वितरण झरने के अधिकार को *[2019] 3* एस. सी. आर. पर परिसमापन में रखने की सिफारिश की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और असुरक्षित वित्तपोषण *(*बांड बाजारों के विकास सहित*)* के लिए एक बाजार विकसित करने के लिए सभी प्रकार के सुरक्षित लेनदारों के अलावा असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के नीचे प्राथमिकता। लंबे समय में, इससे वित्त की उपलब्धता बढ़ेगी, पूंजी की लागत कम होगी, बढ़ावा मिलेगा।

दिवाला व्यवस्था से अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने दोनों को अतिरिक्त लाभ होगा। *XXX XXX XXX*

"परिसमापन की सामूहिक कार्रवाई में भाग लेने वाले शेष लेनदारों के लिए, समिति ने उन देनदारियों के झरने पर बहस की जो नई संहिता में परिसमापन में होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में, अवलोकन यह है कि सुरक्षित लेनदारों के पास पहले है

प्राप्ति पर प्राथमिकता, और यह कि ये आम तौर पर दिवाला समाधान और परिसमापन की लागतों का शुद्ध भुगतान किया जाता है। भारत में प्रथाओं को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रस्तावित संहिता के उद्देश्यों को पूरा किया जाए, समिति ने सिफारिश की है कि परिसमापन में झरना निम्नानुसार होना चाहिएः

1. आई. आर. पी. और परिसमापन की लागत।

2. सुरक्षित लेनदारों और कामगारों का बकाया तीन तक सीमित

आई. आर. पी. शुरू होने के महीनों बाद।

4. असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के लिए देय, परिसमापन शुरू होने की तारीख से बारह महीने पहले शुरू होने और परिसमापन शुरू होने की तारीख से तीन महीने पहले समाप्त होने की अवधि के संबंध में श्रमिकों को देय ऋण; *5.* परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले दो साल की अवधि के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देय कोई भी राशि; निम्नलिखित किसी भी राशि के लिए सुरक्षित लेनदार का कोई भी ऋण जिसका भुगतान नहीं किया गया है।

सुरक्षा हित स्विस रिबन्स पी. वी. टी. का प्रवर्तन।

लिमिटेड। वी. भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

6. बकाया कर्ज
7. शेयरधारकों को अधिशेष "।

84. यह देखा जाएगा कि जब दिवाला संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की बात आती है तो वित्तीय ऋण, जो सुरक्षित हैं और परिचालन ऋण, जो असुरक्षित हैं, के बीच अंतर करने का कारण दो प्रकार के ऋणों का सापेक्ष महत्व है। हम पहले ही देख चुके हैं कि वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान से अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह होता है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान, जो धन वापस किया गया है, उससे अन्य उद्यमियों को उनके व्यवसायों के लिए इस तरह के धन को आगे उधार देने में सक्षम होते हैं। यह तर्क एक बनाता है
वित्तीय ऋणों और परिचालन ऋणों के बीच बोधगम्य अंतर, जो असुरक्षित हैं, जो संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से सीधे संबंधित हैं। किसी भी मामले में, श्रमिकों का बकाया, जो असुरक्षित ऋण भी हैं, पारंपरिक रूप से अधिकांश अन्य ऋणों से ऊपर रखा गया है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि असुरक्षित ऋण विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जब तक कुछ वैध ब्याज की रक्षा करने की मांग की जाती है, विचाराधीन क़ानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में, अनुच्छेद *14* का उल्लंघन नहीं होता है। इन कारणों से, चुनौती

संहिता की धारा *53* भी विफल होनी चाहिए।

एपिलॉग

85. दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पहले के प्रयोग, जैसा कि हमने देखा है, विधानों के विफल होने के संदर्भ में, 'परीक्षण' बार-बार 'त्रुटियों' का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता से आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित क्रूरताओं और असमानताओं से, पारित होता है।

संवैधानिक मस्टर। आर्थिक चीजों में प्रयोग जारी रखना एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा है। हमने यह भी देखा है कि काम

संहिता की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जा रही है जो इस संबंध में स्थापित की गई हैं। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित सभी हितधारक शामिल हैं।

86. हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि संहिता के काम करने में, वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह तेजी से बढ़ा है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निगमित ऋणदाताओं और ऋणदाताओं के बीच अदालत के बाहर निपटारे के आधार पर लगभग *3300* मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें स्वयं आई. एन. आर. *1,20,390* करोड़ से अधिक के दावे शामिल हैं। तब से समाधान योजनाओं को स्वीकार करके अस्सी मामलों का समाधान किया गया है। इन अस्सी मामलों में से ऐसे साठ-तीन मामलों का परिसमापन मूल्य *29* करोड़ रुपये है। हालांकि, समाधान प्रक्रिया से प्राप्त राशि *60,000* करोड़ रुपये के क्षेत्र में है, जो परिसमापन मूल्य के *202%* से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो इन परिणामों को दर्शाते हैं। इस प्रकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र *(*खाद्य के अलावा*)* को दिया गया ऋण *2016-2017* में *INR 4952.24* करोड़ से बढ़कर *2017-2018* में *INR 9161.09* करोड़ हो गया है, और *2018-2019* के पहले छह

महीनों के लिए *INR 13195.20* करोड़ हो गया है। इसी तरह, गैर-बैंकों से ऋण प्रवाह आई. एन. आर. *6819.93* करोड़ से बढ़कर आई. एन. आर. *4718* करोड़ हो गया है।

2018-2019 के पहले छह महीनों के लिए। अंततः, भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र, बैंक और गैर-बैंक दोनों, और घरेलू और विदेशी *(*गैर-खाद्य क्षेत्र से संबंधित*)* में संसाधनों का कुल प्रवाह *2017* में कुल आई. एन. आर. *14530.47* करोड़ से बढ़कर आई. एन. आर. *18469.25* करोड़ हो गया है।

2018 , और *2018-2019* के पहले छह महीनों में *INR 18798.20* करोड़ तक। इन आंकड़ों से पता चलता है कि संहिता को लागू करने में किया गया प्रयोग काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। चूककर्ता का स्वर्ग खो जाता है। इसके स्थान पर अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को फिर से हासिल कर लिया गया है। परिणाम यह है कि अब इस निर्णय के संदर्भ में सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

निधि जैन